सुश्री मायावती (उत्तर प्रदेश) : आप पहले बोलना चाहें, तो बोल सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Venkaiahji, please.

DISCUSSION ON COMMITMENT TO INDIA'S CONSTITUTION AS PART OF THE 125TH BIRTH ANNIVERSARY CELEBRATION OF DR. B.R. AMBEDKAR — *Contd.**

शहरी विकास मंत्री; आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडु): मायावती जी, मुझे इसके बाद लोक सभा में जाना है Otherwise, I would have been happy to hear you.

Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity, in fact, I was there in the Lok Sabha during the debate on the Constitution, our commitment to the Constitution and also on the 125th Birth Anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar. Later on, I thought I should also speak in my House and I should put my point before all the seniors here in the Rajya Sabha. My idea is a little different from others. As a Parliamentary Affairs Minister, I must admit that I have taken initiative. I talked to some of our colleagues also. The suggestion came from one of the Members from the Opposition there about observing the Constitution Day and making it a regular feature and, subsequently, I received some letters from some political parties including our colleague from the C.P.I. (M), Shri Sitaram Yechury, about celebrating Ambedkar Jayanti in a big way and a debate also on what Ambedkarji wanted and what is happening and what is the affirmative action from the Government like that and he wrote a letter also. Then, we discussed and we came to the conclusion that let us have both together, that is, our commitment to the Constitution and then celebration of Ambedkar Jayanti. Let us devote first, as some people suggested, one day and then later two days and all. That is why, we are discussing it. In the Rajya Sabha, we could not have the discussion on that day because, unfortunately, one of our hon. Member has expired. Sir, these Articles 5, 6, 7, 8 & 9 concerning Citizenship, Article 60 concerning President of India. Articles 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 & 393, all came into force on November, 26, 1949 itself before January 26, 1950 because they were necessary even to proceed further. Keeping that in mind, our Constitution framers at that time have brought in all these and the remaining provisions, that is, major part of the Constitution came into force on January 26, 1950. In between, people had further discussions and then they have ratified it on 26th January, 1950. And, then, we considered it as Republic Day and we are all proud to observe the

---

* Further discussion continued from 27th November, 2015.

Republic Day. But that day of the commencement of the Constitution is also equally important. Though officially they said 26th January, 1950 but 26th November, 1949 the day on which the report was submitted, is also equally important and then, today, we are discussing both together. Keeping that in mind, I have certain views in mind. The idea is to express our gratitude and remember the works done by the Father of the nation, Mahatma Gandhi, the Architect of modern India, Pt. Jawaharlal Nehru, the Unifier of India, Sardar Vallabh Bhai Patel, the first Education Minister, one of the stalwarts of India of those days, Maulanaji and the President of the Constituent Assembly – the first President was Dr. Sinha, and subsequently Dr. Rajendra Prasad was the President. We have to recollect the great works done by these great people, and also visit the Constitution and remember the great contribution and the great thoughts and the great expectations that have come from the Constitution and the speeches in the Constituent Assembly. That is the purpose. Keeping that in mind, Sir, we are focussing more on Dr. Ambedkar because of the invaluable contribution he had made as the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly. We are also remembering the good contribution made by 271 odd Members who were all responsible for bringing such value addition to the Constitution.

Sir, I am speaking as a Member, though I am a Parliamentary Affairs Minister. My idea is this. What is there in the Constitution, I need not explain it. What has been said by others, I have taken note of it. My idea is, this is a time when we should really remember what was the expectation of these founding fathers of the Constitution; how far we have achieved it; how far we have travelled; what are the grey areas; what are the shortcomings; what are the challenges before us; how do we meet those challenges, etc. Let there be a broad consensus or let there be a divergent opinion and let the public opinion go on moulding in its own way. That is the purpose, according to me. That should be our contribution, rather than saying that your Government is responsible to this extent or this Government is responsible to this extent or my Government is responsible to this extent and all. This debate, of course, goes on continuously. We have Bills; we have different topics to be discussed in the House. We can devote time to that. But this is the time to take stock of the situation and then try to move forward. How far we have gone forward, is the issue. Keeping that in mind, what I am thinking is that the founding fathers of the Constitution wanted to have respect for the constitutional institutions; constitutional institutions means the Parliament, the Judiciary and also the other institutions of India. How far have we strengthened them? Keeping the unity and integrity of our country and its democratic socialist and secular character – to what extent we have achieved it – maintaining transparency, probity and accountability in public life, dedicating ourselves to equality and social justice and contributing to the task of building a

[श्री एम. वेंकैया नायडु]

strong republic, are the expectations of the founding fathers. So, to what extent have we achieved it? What are the views of Dr. Ambedkar on caste? If I have read him correctly, he said, "Caste is anti-national." What are we doing? Are we doing justice to this? Are we not basing some of our politics on the basis of caste; some of our politics on the basis of religion; some of the politics on the basis of region? This is one issue which everyone has to ponder over. Secondly, Dr. Ambedkar wanted to have uniformity of law, civil as well as criminal. After so many years of experience, have we done justice and moved in that direction? Is there uniformity of civil law? Are we in a position to talk about, accept and work out the modalities of common law with regard to marriage, inheritance, divorce and maintenance? No; so far we have not been able to do it, whatever may be the reasons. I am not saying only a particular law should prevail, the Hindu Law should prevail or this law should prevail. I am not into that. Have we made attempts to move in that direction despite the Supreme Court saying it a number of times and in spite of the public opinion and in spite of the fact that in a State like Goa, there is a common civil code? Practically, there is no problem. Different communities are living in harmony there. We also have the Shah Bano verdict of the hon. Supreme Court. What has happened subsequently? The Parliament has amended the law. Have we done justice to it? To what extent has it helped us? Or has it hurt us? What about gender equality? Have we done justice to gender equality? A woman is a woman. She may be a Hindu or a Muslim or a Christian or of some other religion, but a woman is a woman. Is there gender equality? Have we made some attempts in that direction? If somebody criticizes, people always criticize. Some people opposed reservation also, at that time, saying that by reservations you are dividing Hindu society. That was argued at that time but still our seniors, in their collective wisdom, had gone for reservations. Then the question of sub-reservations is also an issue. The purpose of reservation is to reach the needy, uplift the poorest of the poor, take care of the suppressed, oppressed and depressed people. That was the purpose of reservation. Have we done justice to that?

Then there is the question of A,B,C,D among the Backward Classes. The debate is going in the Dalits also about A & B. In my area, at least, I remember, people are vehemently agitating on both sides. Some people don't want it, some people want it. They are saying that the purpose of reservation is to help the needy. There has to be justice to different sections of the same community because we have castes and sub-castes also in this country. To what extent, have we moved it towards that? The Andhra Pradesh Government has passed a law giving reservations for sub-castes of the Scheduled castes, Mala and Madiga. Subsequently, it was followed by Shri

N.T. Rama Rao. Then the matter went to the Supreme Court. The Supreme Court struck it down saying that 'without amending the Constitution we cannot do this.' That was the Judgment of the Supreme Court. Then the Usha Mehra Committee has been appointed. They made certain recommendations. There is a debate going on wherever you go. All political parties have different political views. People come and they protest and then, sometimes, they create disturbance in the meetings also but still we are not able to take a call. With regard to women's reservation, all the parties, on the face of it, everybody is in favour of women's reservation but it is not happening. People should explain why it has not happened in ten years. Then the debate will be that for ten years you have not done this. Then the others will say, "You were there earlier during Vajpayeeji's tenure and you have not done it." I am not going into that today. But can we, collectively, at least, now, as a tribute to the Founding Father, do justice? There is reservation for women in local bodies in different parts of the country. Fifty per cent reservation is doing well in certain areas. Now, there is a request for reservation of 33 per cent. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please, please.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Before we go to *Parlok Sabha*, it is better we do something now. I am not saying 'you', I am saying 'we'. So, my point is, Sir, let me be very frank. Let us not be hypocritical. My point is when I discuss with my colleagues, colleagues of all shades, they say, "You want us to sign the death warrant for this thing'. Out of 543 in Lok Sabha, you want 33 per cent people to go and all male benches to be vacant." But, at the same time, you talk to lady Members and they ask you, "How long are you going on to talk like this." The other day, in the All-Party meeting, friends did say to me that, at least, we have not brought it in the Agenda. केवल एजेंडा में रखने से क्या मतलब है? एजेंडा में बहुत से विषय 50 सालों से थे, मगर जब उन्हें कर पायेंगे तभी न! इस बीच में आपस में चर्चा करके 33 परसेंट करें, नहीं तो क्या और कोई बीच का रास्ता है? The moment this बीच का रास्ता comes, then again, they will say, Mr. Venkaiah Naidu wants to dilute the reservation to 33 per cent. Then there is a statement. Then again, you say, "No, no; we are for 33 per cent." Now who is not there for 33 per cent? Why are things not moving? This is another issue.

We also have a challenge about regional disparities. There are certain regions which are backward in the country, and certain States which are backward within the regions which are backward. Then we have demands for creation of new States. We created new States of Chhattisgarh, Jharkhand and Uttarakhand. Subsequently, we created Telangana. Then, at that time also, there was a demand that a particular region, – I, myself, standing on the other side in Rajya Sahba demanded that –

[Shri M. Venkaiah Naidu]

Andhra, should be given Special Status because they are losing revenue. Subsequently, a number of other States are also asking for Special Status. Then the next day in Parliament, I remember, after the Bill was passed, there was a discussion and Orissa wanted it, Bihar wanted it, West Bengal wanted it. And even Tamil Nadu, one of the developed States, is also saying this. Punjab is now asking. That is a flair of the season now. Every region wants to be a backward region, every caste wants to be a backward caste and the Backward Castes want to be Most Backwards. Then, the Most Backwards want to be included in the Scheduled Castes and some people want to be considered as the Scheduled Tribes. This is going on. I am not trying to find fault with them. It is their social aspiration. With the advent of all the maturity that is coming up, people are asking for more. How do you reconcile that? Should we not prepare certain guidelines?

Then, with regard to the issue of Special Status, what was the Gadgil formula? What has been the recommendation of the Fourteenth Finance Commission? Then, how do you move forward? We have to evolve a broad consensus. When I asked, "Why have you not put it in the law?", they said, "The Prime Minister has given an assurance on the floor of the House." Prime Minister or ex-Prime Minister is not the issue. An assurance has been given on the floor of the House. We suggested to Dr. Manmohan Singh that in view of the fact that Andhra Pradesh is foregoing their revenue because Hyderabad had been given to Telangana, and rightly so, there is a loss of revenue, and Andhra Pradesh has to be given a certain status. Other Category Status, like, hilly area, forest area, border area, etc., do not apply to Andhra Pradesh. The only issue with Andhra Pradesh is that there is a loss of revenue. But now the situation is that after the recommendations of the Fourteenth Finance Commission and requests made by the State, easily, my friend, Shri Jairam Ramesh can say, "No; no, you have given a commitment to Andhra Pradesh and fulfill it." That is fine. But it is not going to end there. That is another issue. I feel, even today, -- though I am a Member but, at the national level, I am a Minister -- that injustice has been done to Andhra Pradesh and we have to set it right. In whatever manner it may be, whether Special Status or Special Assistance, the Finance Minister may look into the matter. But the point is, unless you are able to evolve some sort of a broad consensus, it is difficult to move in that direction.

The next thing, Sir, pertains to the Common Civil Code. We see people confusing the Common Civil Code with the Hindu Civil Code, which is not so. Even Dr. Babasaheb Ambedkar had favoured it. All things, which are commonly good in different personal laws, have to be taken out and then we have to have a Common Civil Code. But we are yet to achieve it. That would have brought a lot

more national integration as well, according to me. Even now, I feel, that should be discussed threadbare, not keeping elections in mind. With regard to minority and majority, Dr. Babasaheb Ambedkar -- I don't have that much time to quote him elaborately -- wanted that this should be forgotten after some time, that they should all be merged together, that the people of India, irrespective of caste, creed, sex, religion and region, should feel that we are one nation and one people and that we must have one law. That is the concept of the Founding Fathers of the Constitution. We are not able to move towards that. We have not even made any sincere attempt. Whatever party has been in power, that is a different matter. They had been there for fifty years and we were, earlier, there for five or six years and, now again, we are going to be there for another five to ten years. I do not know it but the people will decide that. The point is, unless there is a consensus, it is difficult to move.

Now we have seen that after years of debate, Parliament, in its collective wisdom, passed a unanimous law on the appointment of judges to the Judiciary. The Supreme Court has struck it down. Then, there is also an argument that there is no proper representation of the Scheduled Castes in the Judiciary and that there is no adequate representation of the Scheduled Castes at the IAS level in the bureaucracy. This is also an issue. Without just asking for reservations, is it not necessary that there is some affirmative action to see to it that social justice is done so that these sections also feel that they have a stake in the system? We have not done this for whatever reasons it may be. Now we also have the Supreme Court striking it down. I am not an expert in it. Though I have studied law, I have not practised it. We have Jaitleyji, Ravi Sahnkar Prasadji, Shri Parasaran and other experts sitting here. It is a very, very important issue. Nobody is willing to open it up. Few voices have come up, and then, we are trying to score political points that we have drafted a bad law. We had, collectively, discussed in the House and then we came to the conclusion. Then, the House, in its collective wisdom, had passed it. Except one or two, nobody objected to it. Almost all the major political parties are one with this. Nowhere have I heard that Judges appoint themselves. I don't think any such system exists anywhere. But this is the situation here today. And, if everything is fine, then, why should there be a discussion about changing the Collegium System? So, there is an issue to which I thought people, in these two or three days' debate, would focuss their attention. Then there are also regional aspirations, Sir. Some people are very comfortable. But we come from different parts of the country. There is a feeling. Why not have a Bench of the Supreme Court in the Southern part of the country? Why should the litigant travel all the way for ordinary cases up to Delhi? What is happening? What is the great Constitutional difficulty in that, I am not able to understand. I am not making any commentary on the functioning of the Supreme Court of India. There

[Shri M. Venkaiah Naidu]

are other seniors. Why can't we do it? After all, it is an administrative mechanism that we are suggesting. Then, with regard to the delay in the cases, how much time it is taking and how suddenly some important cases are getting priority, These are questions, Sir, that are debatable among the ordinary people. Suddenly some cases get priority at the top level also. But the ordinary cases, the common man's cases are not getting priority. This is another issue which is agitating the minds of the people. Keeping that in mind, we have to focus our attention on how to take care of the regional disparities. This is the first point.

Then, we come to the Backward Area Development Fund. Every district which is forward is also saying, 'I am also backward' and no political party is able to say, 'No, no; you are not backward.' That means he will be backward among the votes also. That is also another point. I am sorry, Mr. Chairman, Sir, you were kind enough to permit me and Mayawatiji was kind enough to accede to my request because I had to go to the other House. I am speaking out of my heart. Having come to this level after 68 years of Independence you are not able to address certain issues, these genuine concerns which are agitating the minds and which was the expectation of the forefathers. We are not able to do that for whatever reason it is and we are trying to score political points. आपके ज़माने में ऐसा हुआ और हमारे ज़माने में वैसा हुआ। आपके ज़माने में क्या-क्या हुआ, आप स्वयं देखिए। आपने हमसे ज्यादा देश को चलाया है, आपकी क्या स्थिति है? Then, the latest thing is about the books, about the question of intolerance etc. I saw and I am happy that Shri Chidambaram, one of our intelligentsia, said that it was wrong on our part to ban Salman Rushdie's book. Sir, there are two things. One is, people are writing books. They should not affect the sentiments of the people, they should not arouse social tensions. But, at the same time, you could have got right about the freedom of expression and freedom of speech. But there has to be a broad consensus about how you go about it. You ban Salman Rushdie's book, then you feel happy. Somebody bans Shivaji's book, then there is protest. In that angle also different angles are coming, Hindu-Muslim angle, this angle or that angle. Let there be a policy to go about with regard to banning of books or banning of films also. Even with regard to censor also, a debate is going on. All these things have not happened overnight, Sir. All these things have not happened overnight after Shri Narendra Modi has become Prime Minister. These things have been agitating; these things have been happening in different parts of the country. I am not trying to justify anything. Are the atrocities on *dalits* happening now? A *dalit's* family was burnt, Tara Chand's daughter was burnt. In which regime? I am not getting into that. Writers were also killed in two places. Under whose regime? That is not the issue. The issue is, there is some amount of intolerance in the society,

in different areas. So, that has to be identified. It has to be localised, it has to be dealt with firmly. Instead of that, we are trying to generalise and then, in turn, it shows India in a poor light. It is not in our national interest. Keep that in mind. After all, intolerance debate is going to take place in the House. There are other seniors who will talk on that. I am only appealing, let us all be tolerant to each other, tolerant towards the verdict of the people. Sir, according to me, the biggest tolerance that has to be shown, the respect that has to be shown to the Constitution is, respecting the mandate of the people. 'X' has been mandated to rural Tamil Nadu. 'Y' has been mandated to rural West Bengal. Another one has been mandated to rural Bihar. Now people of Bihar have mandated Nitish Kumarji, with the support of Laluji, to rule Bihar. We respect it. Whether we like it or not, that is not the issue. You have no choice also. You respect in Bihar, but I don't respect in Delhi. दिल्ली के लिए एक ही नियम है और एक ही नियम होगा। So, this also, according to me, is one of the important aspects of public life that there has to be respect for the verdict of the people. According to me, respect other man's belief. I was President of the BJP. For example, I don't believe in *Vastu.* I don't believe in Jyotish Shastra. But, I respect both. The reason is, people are free. Who are you to dictate them? People are free. But, I may not practice it. I don't know what the system in the North is. But, in South, people see '*Rahu Kalam*' and say this is bad time and we should not move. Then, I ask them: Suppose, if somebody says, 'I will give you ₹ 1 crore only during that period.' Are you not going to accept it? But, at the same time, ridiculing it, कोई बदनाम करे उनको, प्रोवोक करे, फीलिंग हर्ट करे। मतलब क्या है? If you don't believe, you don't follow. If others are following, you respect other's belief. This sort of mutual respect will only bring tolerance. दुनिया भर में अलग-अलग प्रदेशों में, अलग-अलग देशों में, अलग-अलग समय पर कुछ-न-कुछ होता रहता है। The other day in America, which is so called has the great civilization, we have seen one fellow belonging to one race went to a college and shot down nine people, mercilessly! It was done on the basis of colour of skin! But, this great country is known for its tolerance for centuries. And, some people are making out of turn statements. Sometimes, some make meaningless statements. We have to condemn it. We have to isolate them. But, you say that so and so has spoken like this. होता है, हमारे देश के कुछ लोगों ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान से अनुरोध किया कि हम नहीं कर पा रहे हैं भारत देश में, आप आकर मोदी को हटाओ। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा है, तो उनको कंडेम करना है, उनको डिसओन करना है। ...(*Interruptions*)... पाकिस्तान में जाकर बतलाने की जरूरत क्या है?

MR. CHAIRMAN: Please. Venkaiahji, you might exhaust your party's remaining time.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, my party has the remaining time of three-and-a-half years.

Sir, I request you to bear with me for some more time. When I was in the opposition, I raised issues. And, if I am in Government and keep quiet, then I don't get broad consensus and support from others. I have to work to bring broad consensus.

Then, there is a question of emoluments to the legislators. There is a big debate. Sir, you are our Chair and should also understand the agony of the people. People give us lectures from outside. यह क्या है, यह क्या हो रहा है? इनका वेतन यह हो गया! ये कैंटीन में जाकर खा रहे हैं, तो इसमें क्या है, as if MPs are all going and मुफ्त में खा रहे हों। ऐसा नहीं है। That can be an issue. People have got a right. But, at the same time, what about the people who are giving us these *Pravachans*, how much is being spent on them, how much they are drawing are the issues.

Sir, the Pay Commission has given its Report. So, it is time to evolve consensus. I was there in Whips Conference in Visakhapatnam and also in Goa. Last year the conference was in Goa and this year it is in Visakhapatnam wherein a suggestion has come that instead of leaving it to the House from time to time to discuss and decide about the salaries of MPs, there should be a mechanism. Like the Pay Commission, depending on the inflation, price rise, etc., some mechanism has to be evolved. On that also we are feeling shy. When we are in Government, we feel shy. When we go to the opposition, we tried to be vocal. That is the position. We all understand it. So, we have to have some realistic understanding on such matters also and speak with one voice. The other day Delhi Chief Minister was saying, 'Venkaiahji, I just moved a Bill only for ₹ 50,000 for MLA and people started criticizing me. Do you expect MLAs to have maintenance with just ₹ 50,000?' उससे क्या होगा वगैरह-वगैरह।

So, keeping that all in mind, what I am trying to say is, let us try to evolve a broad consensus. As far as the Government is concerned, it is trying to translate the thoughts, teaching and preachings of the Constitutional framers with regard to federal system, devolution of funds from 32 per cent to 42 per cent, social security schemes like Jan Dhan Yojna, Jan Shree Bima Yojna, Pradhan Mantri Pension Yojna, Atal Pension Yojna and also MUDRA into reality. You may say that Venkaiah Naidu gave a charitable speech without saying what the Government is doing. That is why I am saying. Otherwise, I would not have touched it also. अभी इलेक्शन भी नहीं है, करेक्शन भी नहीं है। केवल हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं।

श्री देरेक ओब्राईन (पश्चिमी बंगाल) : बंगाल में भी नहीं है?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I request hon. Members to please bear with me as I am speaking from the core of my heart. I am not trying to score any political

points on anybody. If I have to score political points, I have many. But, I don't want to do that. I have many, but I don't want to go into those. What I am trying to say is, these days, we should really ponder over where we are lacking, where the shortcomings are, where the challenges are, how to address them, and what the ways and means are to go about those. The Government and the Opposition must have a dialogue and try to evolve a consensus. 'Whatever I say, that alone should be accepted' can't be. In a democracy, either you have to evolve a consensus or go by the majority point of view. That has been the practice. ...(*Interruptions*)... भाई, आप चिन्ता मत कीजिए। हमने बारह महीने में बहुत कुछ करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएँगे। But the point is, at one stage, we must break the ice. Parliament is not functioning. That is the worry of the people. Who is responsible? That is secondary; the people are not concerned. In the last Session, we could not have a meaningful and fruitful discussion. In the earlier Session, we did wonders; the Rajya Sabha also did wonders. These are the issues that are really agitating the minds. The best way is to debate, discuss and decide. I, as a Government propose; as an Opposition, if you want to, you oppose; but you need not suppose, let the House dispose. That should be the attitude. At the end of the day, Sir, that should be the system on which the Parliamentary democracy has to function. Some of my friends are not able to tolerate this because of whatever reasons they have. But my suggestion is, to celebrate both — the commitment to the Constitution and the Birth Anniversary of a great son of this great country, Dr. Babasaheb Ambedkar, the real tribute is to see to it that the vision is followed up.

Sir, the great man said two things. He talked about socialism. He said that the people have a right that if at a later stage, they want to have an alternative method, it is free for them. He said it also. See the vision. Though he had all the suffering and insults, still, the man did not show any prejudice in the drafting. That is the greatness of the man. He is such a great and such an intellectual man that we should all be really proud of him. We should debate on this. वहां से हटकर, आपने पहले स्टेच्यू नहीं बनाया, हमने बनाया, आपने चित्र नहीं लगाया, हमने चित्र लगाया। इससे ज्यादा tribute नहीं होगा। हमने आपसे ज्यादा काम किया और करेंगे, ऐसा कहकर उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। We should try to come out of the caste, regional and religious thinking. Justice to all and appeasement of none should be our policy. On those lines, if there is a discussion, ...

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down, he has not conceded.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I can.

SHRI JESUDASU SEELAM: I just wanted the Minister of Parliamentary Affairs to explain one thing. There are a lot of Bills pending regarding one of the noble ideals to achieve equality. The Bills are pending before the Government. Is the hon. Minister, in order to achieve the noble ideals, willing to get those Bills passed? Please explain.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, Bills can be passed. If there is a will, a Bill can go forward. If there is tolerance, then the Parliament can function. If the Parliament functions, then in its collective wisdom, we can pass. He raised a pertinent point; I am not trying to make it lighter. The other day, I heard from Mayawatiji also, in the earlier Session, on the affirmative action. Even on those issues of affirmative action with regard to atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes, with regard to reservation in promotion which was accepted during Atal Bihari Vajpayeeji's period also, what happened subsequently? Is there a consensus on that? We have seen our friends from Uttar Pradesh, Bihar and other States, the people from Other Backward Classes also expressed certain concerns.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): What about reservation in the private sector?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Let me be very frank. With regard to reservation in promotions, certain apprehensions have been expressed. Let us understand that. Even in women's reservation also, certain people have brought in a point to say, "Where is the reservation for the backward classes? It will be only the forward caste women!," and all. These are the critical issues. Then, there is a demand for reservation in the private sector. Is there a broad consensus on that? The Government brings Bills on the basis of two things — one, by way of a broad consultation; two, by way of the commitment of the Government in that direction. But simply bringing the Bills and getting them defeated in the House, are showing to the country and giving a message that the House is divided even on such a sensitive issue. I don't think it is going to solve any problem. Ultimately ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no. Please ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Ultimately, Sir, Government has to move in the right direction. As Dr. Ambedkarji has visualised at that time ...*(Interruptions)*...

SHRI V. HANUMANTHA RAO (Telangana): Sir, it is a serious issue. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*... lease ...*(Interruptions)*... Please ...*(Interruptions)*... All right; this is not the subject of the moment. ...*(Interruptions)*... Venkaiahji, have you finished?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am just finishing. I, as Parliamentary Affairs Minister, always remind my Cabinet colleagues. Whenever something comes here in the House, I convey it to them because in our system we have a collective responsibility; they have to study various implications, negative implications and legislative measures to be brought in, and then also we have an informal dialogue also with people and at the end of it, legislations come here. Simply because Venkaiah Naidu wants this Bill to come tomorrow, it will not come; that has to be through a system. Whenever something happens, something is said about certain aspects, I always take notes – for information I am telling you – and I try to pass it on. About the sugarcane problem, recently we discussed it in a big way; Sharadji has given certain suggestions. We took them in the Cabinet twice, and then, finally, came to certain conclusions with regard to them also. And then, on issues of Sri Lankan fishermen ...(*Interruptions*)... Tamil fishermen, who are being arrested and harassed by Sri Lanka from time to time, Government of India is taking steps. But what is the permanent solution? Is it happening first time after Shri Narendra Modi became Prime Minister? It was there earlier too – ten years of UPA, before that during the NDA, and before that also. So some sort of a permanent solution has to be found; otherwise, in every Session we raise it because we have to show to the people that we are concerned about your problems and all, and we are satisfying ourselves. But the issue is not getting resolved. I come from that part of the country and I also raised the issue in the House as an opposition Member, and as Government also, from time to time, we discussed it and Prime Minister has taken an initiative, and the five people, who have been convicted for life, have been released at the initiative of our hon. Prime Minister. So to conclude, Sir, the Government led by Shri Narendra Modi ...(*Interruptions*)...

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश): सर, नेपाल से जो छुड़ाए, उसमें जो कामयाबी हासिल की, उसके बारे में भी बताइए। ...**(व्यवधान)**...

†**چودھری منّور سلیم : سر، نیپال سے جو چھڑائے، اس میں جو کامیابی حاصل کی، اس کے بارے میں بھی بتائیے ...(مداخلت) ...**

MR. CHAIRMAN: Please...(*Interruptions*)... Please...(*Interruptions*)... Please.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Prof. Alexis Prem Kumar was kidnapped by Talibans. The Prime Minister got involved and got him released. Thousands of people who are held up in different parts of other countries, whenever there is a crisis in those countries... ...(*Interruptions*)...

† Transliteration in Urdu Script.

चौधरी मुनव्वर सलीमः जो नेपाल से छुड़ाए, उनके बारे में बताएं। ...(**व्यवधान**)...

†**چودھری منوّر سلیم : جو نیپال سے چھڑائے، ان کے بارے میں بتائیں —(مداخلت)—**

श्री एम. वेंकैया नायडुः मैं बता रहा हूं कि सरकार नेपाल की समस्या का भी समाधान करने का प्रयास कर रही है। यह एक तरफ से नहीं होगा। ऐसे नाज़ुक मामलों को पॉलिटिकलाइज़ करने का कोई मतलब नहीं है। उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप बताइए क्या करना है। जो भी करना है, वह जरूर किया जाएगा।

मधेशियों की समस्या है, वह भी गम्भीर समस्या है। मगर वह विदेश से संबंधित विषय है। मधेशी और विदेशी, इन दोनों को मिलाकर हम स्वदेशी के बारे में क्या पॉलिसी तय करें, उसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। Sir, I am only concluding by saying that the House should – after the end of the debate, today, or concluded by the Prime Minister – come out with a categorical resolution, wherein we should reaffirm मनसा, वाचा and, then, try to move to कर्मणा and then, we should try to move in that direction rather than simply trying to politicalise even this pious occasion also. Thank you very much, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Venkaiahji. We now go to the listed speakers of the day; Km. Mayawati.

सुश्री मायावती (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान के प्रति, प्रतिबद्धता को लेकर आज दूसरे दिन भी इस पर सदन में चर्चा चल रही है और इस चर्चा में हमारी पार्टी की ओर से आपने मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। हालांकि मेरे बोलने से पूर्व माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, विभिन्न दलों के नेताओं ने और साथ ही 27 नवम्बर को हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोक सभा में इसके ऊपर काफी कुछ बोला है, अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिन्हें मद्देनज़र रखते हुए देश व जनहित में, खासकर सर्व समाज में से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, किसानों, मज़दूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य विभिन्न पेशों में लगे लोगों के हितों को ध्यान में रखकर इस परिप्रेक्ष्य में अब मैं अपनी बात माननीय सदन के सामने रखना चाहूंगी।

मान्यवर, बाबा साहेब डा. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के वर्ष में इस समय देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सबसे पहले मैं सदन का ध्यान इस बात की तरफ जरूर आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे देश में विभिन्न जातियों और धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस विभिन्नता और अनेकता में यहां एकता देखने को मिलती है, विशेष तौर से धर्म अपनाने के मामले में भारतीय संविधान के तहत सबको पूरी-पूरी आज़ादी भी है। हमें हमारे देश के संविधान में यह बात देखने को मिलती है और यह हमारे देश के संविधान की खास विशेषता भी है, जिसकी वजह से बाबा साहेब डा. अम्बेडकर को हिन्दू धर्म में व्याप्त अनेकों प्रकार की सामाजिक बुराइयों से मुक्ति मिल पायी थी, निजात मिल पायी थी क्योंकि इस धर्म में रहते हुए उनके साथ हुए भेदभाव और शोषण के बारे में यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इन्हें दलित वर्ग का होने के नाते इस धर्म में कदम-कदम पर काफी ज्यादा अपमान झेलना

† Transliteration in Urdu Script.

पड़ा था। इसके बारे में, बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के खुद के द्वारा लिखी हुई जो किताबें हैं, उन किताबों से हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है। दलित वर्ग का होने के नाते जो कुछ बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के साथ हुआ, खास तौर से हिन्दू धर्म में कदम-कदम पर उनके साथ जो जुल्म व ज्यादती हुई तथा उन्हें काफी अपमान झेलना पड़ा, जिससे दुखी होकर उन्होंने इस धर्म को छोड़ने से काफी बरस पहले यह कहा था कि "मैं हिन्दू धर्म में जरूर पैदा हुआ हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है लेकिन मैं हिन्दू धर्म में मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है।" बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने बहुत दुखी होकर यह बात कही थी। लेकिन इसके साथ-साथ इन्होंने इस धर्म की कुछ अच्छाइयों को देखकर यह बात भी जरूर कही थी कि "मैं पूरे तौर से हिन्दू धर्म के खिलाफ नहीं हूं। हिन्दू धर्म में जो अच्छाइया हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं उनका पक्षधर हूं। हिन्दू धर्म में खासतौर से जो वीकर सैक्शन के लोग हैं, हमें उनको लेकर हिन्दू धर्म में कुछ सामाजिक बुराइयां देखने को मिलती हैं, मैं उनके खिलाफ हूं," यह बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने कहा था। इसके साथ-साथ बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने उस समय यह कहा था कि मैं देश के, खासतौर से हिन्दू धर्म के जो शंकराचार्य हैं, उनको मैं यह कहना चाहता हूं – ये बाबा साहेब के लफ्ज़ थे – उनको मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दू धर्म में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, यदि हिन्दू शंकराचार्य उनको दूर कर देते हैं, तो यह बहुत अच्छा होगा। यह देश के लिए भी और समाज के लिए भी अच्छा होगा, खास तौर से वीकर सैक्शन के लिए भी अच्छा होगा – यह बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने कहा था। जब बाबा साहेब ने यह बात कही थी, तो उसके बाद उन्होंने काफी वर्षों तक इस बात का इंतजार किया था कि हिन्दू शंकराचार्य, जो हिन्दू धर्म में कमियां हैं, जिन कमियों की वजह से इस देश के जो वीकर सैक्शन के लोग हैं, जो कदम-कदम पर अपमान झेल रहे हैं, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो पक्षपात वाला रवैया अपनाया जा रहा है – तो बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने काफी वर्षों तक इंतजार किया कि शायद हिन्दू शंकराचार्य इसमें कुछ तब्दीली करेंगे और हिन्दू धर्म में जो कमियां हैं, उनको हटा देंगे। बाबा साहेब ने इस बात का काफी वर्षों तक इंतजार किया। दुख की बात यह है कि बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के इस सुझाव को हिन्दू धर्म के जो शंकराचार्य हैं, जब उन्होंने नहीं माना और हिन्दू धर्म में जो कमियां थीं, उनको दूर नहीं किया, तब फिर बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयाइयों के साथ 14 अक्टूबर, 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में हिन्दू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था और उन्होंने ऐसे धर्म में प्रवेश किया जो मानवता और इंसानियत के ऊपर आधारित है। दुख की बात यह है कि इस धर्म की उत्पत्ति अपने देश में हुई, लेकिन यह धर्म अपने देश में कम पनप रहा है और विदेशों में ज्यादा पनप रहा है। इसके बारे में भी हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

जब हमारे देश के प्रधान मंत्री विदेशों में जाते हैं और खासतौर से बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहां जाकर भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं, उनकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जब इंडिया में वापस आते हैं, तो बिल्कुल उसके विपरीत जाकर, उनकी पार्टी के लोग काम करते हैं। यहां पर जो भगवान बुद्ध की लाइन थी, उसके हिसाब से वे अपनी कंट्री में काम नहीं करते हैं। वर्तमान में जो खराब वातावरण है, उस वातावरण में खासतौर से भगवान बुद्ध ने जो मानवता का, इंसानियत का संदेश दिया, उसकी अपनी कंट्री में इस समय बहुत सख्त जरूरत है। इस प्रकार अपने देश में इन सब परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए बाबा साहेब डा. बी. आर. अम्बेडकर ने यहां भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसकी फाइनल प्रति उन्होंने 26 नवम्बर, 1949 को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को सौंपी थी। इसी ऐतिहासिक दिन के मौके पर

[सुश्री मायावती]
डा. बी. आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती समारोह के रूप में भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर आज हम लोग सदन में चर्चा कर रहे हैं। महोदय, मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगी कि परम पूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर आज जब भारतीय संविधान को लागू हुए लगभग 65 वर्षों का लंबा समय बीत चुका है, तो खासकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और पूर्व की कांग्रेस की सरकार के साथ-साथ, सभी राज्यों की सरकारों को अवश्य ही पूरी ईमानदारी से इस बात का जरूर आकलन करना चाहिए कि अपने देश की संस्कृति, सभ्यता व विभिन्न जातियों एवं विभिन्न धर्मों के हितों को ध्यान में रखकर जिस भारतीय संविधान का निर्माण देश में लोकतंत्र, मानवतावादी व समतामूलक समाज की व्यवस्था के सिद्धांत के आधार पर डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया, तो वह भारतीय संविधान अपनी सही मंशा हासिल करने में कहां और किस कारण अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो सका है। उस बारे में केंद्र व राज्यों की सरकारों को इनकी 125वीं जयंती के मौके पर जरूर गंभीरता से सोच-विचार करना होगा। महोदय, इस बारे में अभी तक केंद्र व राज्य सरकारों की जो भी कमियां रहीं, उन्हें भी इन्हें जरूर दूर करना होगा, तभी डा. अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती मनाने का उद्देश्य सही रूप से सार्थक सिद्ध हो सकता है वरना संसद में इस बारे में जो दो दिन का समय चर्चा के लिए रखा गया है, वह सार्थक नहीं हो सकेगा। महोदय, आज राज्य सभा में इस चर्चा का दूसरा दिन है और लोक सभा में दो दिन चर्चा हो चुकी है, अगर उन खामियों को दूर नहीं किया गया तो यह संसद का दो दिन का समय सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह जाएगा।

महोदय, वैसे भी डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जन्मदिन को मनाने के बारे में कहा है कि मेरा जन्मदिन मेरे अनुयायी तथा केंद्र और राज्यों की सरकारें मनाएं या न मनाएं, इस की मुझे खास चिंता नहीं है, लेकिन मुझे खास चिंता इस बात की है कि मेरे अनुयायी मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। इस के साथ ही भारतीय संविधान में देश व जनहित में और खासकर समाज के कमजोर तबकों के हित में जो अनेकों नियमों, कानूनों व प्रावधानों की व्यवस्था की गई है, उनके हिसाब से ये सरकारें बराबर काम कर रही हैं या नहीं, मुझे इस खास बात की चिंता है। यह बाबा साहेब डा. अम्बेडकर का, खास तौर से अपने अनुयाइयों व केंद्र व राज्य सरकारों को जन्मदिन को मनाने के बारे में कहना था। इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से लेने की बजाय केंद्र की वर्तमान सरकार, खासकर केंद्र सरकार के मुखिया, प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 27 नवम्बर को लोक सभा में बोलते हुए, बाबा साहेब डा. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाने के बारे में अनेकों सुझाव दिए हैं। उन्होंने लोक सभा में अपने भाषण में कई प्रोग्राम्स का जिक्र किया है कि हमें बाबा साहेब की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस प्रकार के प्रोग्राम्स करने चाहिए। उन्होंने बहुत से प्रोग्राम्स गिनाए हैं कि हमें उनके सम्मान में ये प्रोग्राम्स करने चाहिए और इस बारे में सुझाव भी दिए हैं। इसके साथ ही भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब के योगदान के बारे में तथा संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा है, लेकिन उन्हें इसके साथ-साथ इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने 27 नवम्बर को लोक सभा में जो कहा है, उन पर हर वर्ष चर्चा की जाती रही है। इसलिए इनके अनुयाइयों के लिए इनके द्वारा कही गई बातें कोई नई नहीं हैं, बल्कि देश के वर्तमान हालातों में, इनको सही मायनों में यह सब समझाने की जरूरत बीजेपी एंड कम्पनी के लोगों को है, जो संविधान की मंशा के अनुरूप केंद्र व राज्यों की सरकारों को कार्य भी नहीं करने देते हैं। लेकिन हमें फिर

12.00 Noon

भी यह अच्छा लगता यदि प्रधान मंत्री 27 नवम्बर को बाबा साहेब की 125वीं जयन्ती के मौके पर भारतीय संविधान के प्रति अपनी सच्ची प्रतिबद्धता दिखाते हुए, खासकर समाज के गरीब व कमजोर तबकों के हितों में कुछ ठोस कार्य करने का ऐलान करते हुए, यह कहते कि देश में दलित एवं कमजोर तबकों को प्राइवेट सेक्टर व अन्य जिन क्षेत्रों में भी अभी तक इनको आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, तो वर्तमान केंद्र की सरकार ने उन्हें इनकी 125वीं जयन्ती के मौके पर अब देने का फैसला लिया है। माननीय प्रधान मंत्री जी यदि इसका ऐलान करते तो ज्यादा अच्छा होता और पदोन्नति में आरक्षण का लटका पड़ा "संवैधानिक संशोधन विधेयक" भी पास करने के बारे में ऐलान करते। फिर इनके इस समूचे आरक्षण को संविधान की नौंवी अनुसूची में डालने का भी ऐलान करते, तो ज्यादा अच्छा होता। इसके साथ ही इनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ नए व ठोस फैसले लेने का ऐलान करते। इसके साथ ही एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के जो लोग हिन्दू धर्म में अपनी उपेक्षा होने की वजह से धर्म परिवर्तन कर गए हैं अर्थात् मुस्लिम, सिख व ईसाई आदि बन गए हैं, लेकिन वहां भी उनकी बड़े पैमाने पर उपेक्षा हो रही है। इन लोगों ने बरसों से अपना धर्म तो परिवर्तित कर लिया है, लेकिन वहां पर जो उनकी आर्थिक स्थिति है, उसमें कोई खास सुधार नहीं आया है। उनकी बरसों से यह मांग चली आ रही है कि जो धर्म परिवर्तन करके चले गए हैं, जो पहले एससी, एसटी व ओबीसी में थे, उनको भी एससी, एसटी व ओबीसी के लोगों की तरह आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। अच्छा होता यदि 27 नवम्बर को माननीय प्रधान मंत्री जी ऐसे दुखी व उपेक्षित लोगों को संविधान में संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर इनको भी आरक्षण देने का ऐलान करते। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की ओबीसी की 17 जातियों ने और देश के अन्य राज्यों से भी ओबीसी की जिन जातियों ने एससी व एसटी की सूची में शामिल किए जाने के लिए बरसों से भारत सरकार के पास अपना प्रतिवेदन भेजा हुआ है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन के जरिए एससी व एसटी का कोटा बढ़ाने की शर्त के साथ इनको उस सूची में शामिल किए जाने का ऐलान करते।

इसके साथ ही साथ वे संविधान में संशोधन के जरिए अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने का ऐलान करते, तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन 27 नवम्बर को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं किया गया। इतना ही नहीं मैं यहां यह भी कहना चाहती हूं कि यदि अगले वर्ष अपने राजनीतिक स्वार्थ में भारतीय संविधान दिवस पर यह सरकार इनमें से कुछ का ऐलान भी कर देती है, तो भी यह सरकार उसे आसानी से लागू करने वाली नहीं है। यदि हम इनकी कार्यशैली के मामले में इनके पिछले इतिहास को उठाकर देखें, तो हमें यह नहीं लगता है कि ये इस मामले में कुछ करने वाले हैं अर्थात् ये इन्हें बरसों तक किसी न किसी कारण जरूर लटका कर रखेंगे। इसलिए बाबा साहेब ने खासकर केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा अपनी जयन्ती मनाने को लेकर, जो कुछ चिन्ता जाहिर की है, तो हमें उसमें काफी सच्चाई व दम नजर आता है।

इस समय हमें वह प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बाबा साहेब ने ऐसा इसलिए कहा था, क्योंकि उनके जीते जी भारतीय संविधान के तहत, खास कर कमजोर तबकों के हितों में बनाए गए नियमों, कानूनों व प्रावधानों का पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से फिर बाबा साहेब ने समाज के सभी दुखी, पीड़ित, गरीब व कमजोर तबकों को उनके हितों में यह कहते हुए यह सलाह दी थी। अर्थात् बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने इन लोगों को

[सुश्री मायावती]

यह सलाह दी थी कि मैंने रात-दिन मेहनत करके भारतीय संविधान में आपको जिन्दगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कानूनी अधिकार तो दिला दिए हैं, लेकिन अब इसका लाभ आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में मुझे शक है। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के जीते जी ही उन्होंने यह महसूस किया कि भारतीय संविधान में वीकर सेक्शंस के हित में जो कानून बनाए गए थे, उनका पूरा लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था। फिर बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने दुखी होकर अपने लोगों को यह सलाह दी थी कि मैंने आप लोगों के हितों में कानून तो बना दिए हैं, यदि आप लोग इन कानूनों का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो मेरी आप लोगों को यह सलाह है कि आप लोगों को फिर अलग से अपनी राजनीतिक पार्टी बना कर और सत्ता अपने हाथों में लेकर, पॉलिटिकल पावर की 'मास्टर की' अपने हाथों में लेकर इन कानूनों को खुद आप लोगों को लागू करना होगा और अपने लोगों को इसका फायदा पहुँचाना होगा। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी के महत्व के बारे में भी अपने लोगों को यह समझाया कि पॉलिटिकल पावर एक 'मास्टर की' है और यदि इस 'मास्टर की' को दबे-कुचले लोग अपने हाथों में ले लेते हैं, तो फिर इस 'मास्टर की' के माध्यम से भारतीय संविधान में मैंने इन वर्गों के लोगों को जो कानूनी अधिकार दिए हैं, इनका पूरा लाभ ये लोग अपने समाज के लोगों को, वीकर सेक्शंस के लोगों को पहुँचा सकते हैं। इसका सही मायने में एहसास हमने उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनाने पर किया है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर हमने वहां विभिन्न स्तर पर बाबा साहेब डा. अम्बेडकर को पूरा-पूरा आदर-सम्मान दिया है। इसके साथ ही उनके बताए हुए रास्तों पर चल कर हमने वहां "सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय" की सरकार भी चलाई है, अर्थात् हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय संविधान की मंशा के मुताबिक ही धर्म, जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर वहां सर्व समाज में से, खास कर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य पेशों में लगे लोगों के हितों के हिसाब से ही आम जनहित की सरकार चलाई है। इसके साथ ही हमने वहां सभी जाति व धर्मों के जान-माल व मजहब की भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से हिफाजत की है। इतना ही नहीं, हमने विकट परिस्थितियों में भी भारतीय संविधान को ध्यान में रख कर वहां पर कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं होने दिया। मैंने विकट परिस्थिति इसलिए कहा है कि जब उत्तर प्रदेश में चौथी बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश में मेरी हुकूमत के दौरान अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का जो विवादित मामला है, इसके ऊपर उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में काफी बहस हुई और इस मामले में जब उसने फैसला रिजर्व कर लिया और जिस तारीख को कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी, तो फैसला आने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ कर देश के अन्य राज्यों में हालात ऐसे बन गए थे, जैसे इमरजेंसी लग गई हो। उत्तर प्रदेश को छोड़ कर देश के अधिकांश राज्यों में स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, सब बंद कर दिए गए थे कि कहीं हालात न खराब हो जाएँ, लेकिन माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे देश के अन्दर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था, हालांकि यह मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उस मौके पर वहां कानून-व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। न कोई कॉलेज बंद होने दिया, न दफ्तर बंद होने दिया, हालात को काबू में रखा। जो भी फैसला आया, हालात को बिगड़ने नहीं दिया, हालांकि उस फैसले के बाद फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने अपनी हुकूमत के दौरान विकट परिस्थितियों में भी वहां पर हालात

को बिगड़ने नहीं दिया, कानून-व्यवस्था को हमने चुस्त व दुरुस्त बना कर रखा, लेकिन वहां की सभी विरोधी पार्टियों ने, चूंकि यह अच्छी गवर्नमेंट थी, वहां की सभी विरोधी पार्टियों ने अंदर ही अंदर आपस में मिलकर अपने-अपने राजनैतिक स्वार्थ में इसे फिर आगे कामयाब नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, बल्कि मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर भी इसका काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा।

माननीय सभापति जी, इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहती हूँ कि सन् 2002 में तीसरी बार जब मेरे नेतृत्व में वहां सरकारी बनी थी, बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो नहीं मिली थी, बीजेपी के साथ मिलकर यह कोअलिशन गवर्नमेंट बनी थी और जब मैंने उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान बनाया है, उसके मुताबिक वहां की सरकार को चलाया, भारतीय संविधान की मंशा के मुताबिक मैंने वहां सरकार चलाई, तो वहां पर जो बीजेपी हमारी सरकार में थी, उस बीजेपी में खासतौर पर जो हिन्दूवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको यह सब अच्छा नहीं लगा। क्योंकि बीजेपी मेरी सरकार में अपना एजेंडा लागू करना चाहती थी। जो उनका हिन्दूवादी एजेंडा था, उसको वह लागू करना चाहती थी, तो मैंने अपनी गवर्नमेंट में उनको यह कहा कि कोअलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन मैं आपका हिन्दूवादी एजेंडा अपनी सरकार में लागू नहीं होने दूंगी। नतीजा क्या हुआ? मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, मुझे यहां तक भी कहा गया कि यदि आपने हमारा हिन्दूवादी एजेंडा नहीं माना, उसके हिसाब से सरकार नहीं चलाई, तो हम आप से समर्थन वापस ले लेंगे और दूसरी पार्टी को सत्ता में बैठा देंगे। मैंने कहा कि ठीक है, आपको यह तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी और फिर मैंने खुद ही 25 अगस्त, 2003 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मैंने भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया था कि जब तक मैं सत्ता में रहूंगी, भारतीय संविधान की मंशा के अनुसार ही सरकार चलाऊंगी। बीजेपी का जो हिन्दूवादी एजेंडा था, उसके हिसाब से मैं सरकार नहीं चलाऊंगी, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। नतीजा क्या हुआ? माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो मुझे उसका इतना नुकसान उठाना पड़ा कि 'ताज-प्रकरण' मामले में सीबीआई का दुरुपयोग करके मुझे फर्जी फंसाया गया, लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहती हूँ कि दुख मुझे इस बात का है कि जब बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई तो उन्होंने भी इस मामले को लटका कर रखा। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स अदा करती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से मुझे इस मामले में न्याय मिला और इतना ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता को यह सब अच्छा नहीं लगा और जब सन् 2007 में उत्तर प्रदेश में विधान सभा के आम चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आधार पर वहां सत्ता में बैठाया। इतना ही नहीं, अब जब केंद्र में फिर से बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के लिए मुश्किल से एक, सवा साल का समय रह गया है और इनको लगा कि बीएसपी वहां मजबूत हो रही है, चूंकि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि मेरे सत्ता से हटने के बाद चार साल तक NRHM मामले में मेरे खिलाफ इनको कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए जब लगभग एक, सवा साल रह गया और इनको लगा कि बीएसपी मजबूत हो रही है, तो केंद्र की सरकार ने दुबारा से वही गलती की, जो इन्होंने 'ताज प्रकरण' वाले मामले में की थी। एनआरएचएम मामले में केंद्र की सरकार के द्वारा सीबीआई का दुरुपयोग करके मुझे इसमें फर्जी फंसाया जा रहा है। मैं केंद्र की सरकार

[सुश्री मायावती]

से यह कहना चाहती हूं कि इस बार भी आपका वही हाल होने वाला है, जो सन् 2007 में हुआ था। आप लोगों ने सीबीआई का दुरुपयोग किया है। मेरा कसूर केवल इतना ही था कि मैं बाबा साहेब डा. अम्बेडकर की मूवमेंट के मुताबिक गवर्नमेंट चला रही थी, जिसको बीजेपी के लोग पसन्द नहीं कर रहे थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहेब डा. अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मुझे काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन सब अड़चनों, हथकंडों व षड्यंत्रों के बावजूद भी मैं बाबा साहेब डा. अम्बेडकर की मूवमेंट व उनकी संवैधानिक सोच को पूरे जी-जान से आगे बढ़ाती रहूंगी, यही विरोधियों को मेरा चैलेंज है।

महोदय, भारतीय संविधान की मंशा के मुताबिक सरकार चलाने के मामले में उत्तर प्रदेश में रही बीएसपी की सरकार को छोड़कर, केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों की सरकारों की कार्य-प्रणाली की अभी तक की सच्चाई यह रही है कि उन्होंने भारतीय संविधान की मंशा को, खासकर दलितों, पिछड़ों व अन्य कमजोर तबकों के मामले में अभी तक 30% आरक्षण को भी पूरा नहीं किया है। बाबा साहेब ने संविधान के सम्बन्ध में ठीक ही कहा था, जिसका इग्ज़ाम्पल सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों तरफ से दिया भी गया है कि किसी भी देश का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले शासनकर्ताओं की नीयत साफ नहीं है, तो वह बढ़िया संविधान भी जरूर फेल हो जाएगा, अर्थात् कामयाब नहीं हो सकेगा। आज अपने देश में इन वर्गों के मामले में हमें खास तौर पर यही देखने को मिल रहा है। हालांकि बाबा साहेब ने हर मामले में अपने देश के संविधान को काफी बेहतरीन बनाया है, लेकिन इसे लागू करने वालों की नीयत साफ न होने की वजह से यहां खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में अभी तक कोई खास सुधार नहीं आया है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

इसकी मुख्य वजह यह रही है कि इन तीनों वर्गों के लोग, अर्थात् दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, पहले हिन्दू धर्म में व्याप्त वर्ण व्यवस्था के मुताबिक चौथे वर्ण में आते थे, जिनको इस व्यवस्था में सभी अधिकारों से वंचित रखा गया था। इन्हें ऊपर के तीनों उच्च वर्णों के लोगों ने हर मामले में अपना गुलाम व लाचार बनाकर रखा, लेकिन बाबा साहेब के अथक प्रयासों के कारण, भारतीय संविधान के माध्यम से इस गैर-बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को दरकिनार कर दिया गया, किन्तु संविधान लागू होने के बाद, केंद्र व राज्यों की अधिकांश सत्ता इन्हीं तीन उच्च वर्णों की मनुवादी सोच रखने वाले लोगों के हाथों में आ गई, जिसकी वजह से अभी तक इन्हें भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन वर्गों के प्रति इनकी हीन व जातिवादी मानसिकता आज तक भी पूरे तौर से नहीं बदली है, जिसके कारण आज भी इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस पार्टी के राज में तो विशेष तौर पर दलित वर्ग के लोगों के मामले में कभी भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया था और वर्तमान सरकार में भी हमें यही स्थिति देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, बरसों से इन वर्गों के लोगों को पदोन्नति में जो आरक्षण मिल रहा था, उसे भी पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा निष्प्रभावी बना दिया गया। इस बात से पूरा सदन अवगत है कि जब कुछ लोग पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में गए और जब यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया, उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की

सरकार थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की कांग्रेस सरकार को भी इसमें एक पार्टी बनाया था। उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह कहा कि यदि आपको कुछ कहना है तो आप बोलिए... लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अच्छा वकील नहीं किया और इस केस की ठीक ढंग से पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी शर्तें लगा दीं, जिनकी वजह से पदोन्नति में आरक्षण को खत्म तो नहीं किया गया, लेकिन इसमें कुछ ऐसी शर्तें लगा दी गई थीं, जिनकी वजह से इनका यह आरक्षण निष्प्रभावी हो गया। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आया और उस डिसीजन को जब मैंने पढ़ा तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जो खास तौर से दलित वर्ग के कर्मचारी हैं, उनके साथ यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और यदि इसमें केंद्र की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो इनको बड़ा भारी नुकसान हो जायेगा। तो उस समय हमारी पार्टी ने संसद में, लोक सभा और राज्य सभा, दोनों में इस मामले को उठाया और सरकार से उस समय यह रिक्वेस्ट की थी कि इसमें जो भी कुछ अड़चनें या जो भी कुछ शर्तें लगा दी गई हैं, उनको भारतीय संविधान में संशोधन के जरिए दूर किया जाए। जब राज्य सभा में यह मामला आया तो इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ। राज्य सभा में तो पदोन्नति में आरक्षण का यह जो मामला है, इसमें जो शर्तें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगायी थीं, उनको दूर करने के लिए और दलित कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए राज्य सभा में तो इस मामले में संवैधानिक संशोधन विधेयक पास हो गया, लेकिन लोक सभा में यह लटक गया। अब केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और अब इस मामले में वर्तमान भाजपा सरकार भी शान्त बैठी हुई है। यह इस मामले में कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि लोक सभा में इनका बहुमत है। इतना ही नहीं, वर्तमान में भाजपा के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार चल रही है, इसने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था किये बिना ही अपनी सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बड़े-बड़े सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनके आरक्षण को ही काफी हद तक कम कर दिया है। यह भी इनके आरक्षण के मामले में एक बहुत बड़ी साजिश वर्तमान केंद्र की सरकार की चल रही है। अब इसकी आड़ में ये लोग बड़े-बड़े पूँजीपतियों व धन्ना सेठों को बड़े पैमाने पर फायदा पहुँचा रहे हैं, जिनकी आर्थिक मदद से यह पार्टी केंद्र व राज्यों की सत्ता पर आसीन होती है। इसके साथ ही इनके एजेंडे को निर्धारित करने वाली इनकी एक संस्था के मुखिया ने अभी कुछ दिन पहले इन वर्गों के आरक्षण को लेकर यहां तक कह दिया कि आरक्षण की समीक्षा करने की जरूरत है और इसकी जो समीक्षा है, यह किसी गैर राजनीतिक संगठन द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहक दिया, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध होने की वजह से फिर उनको यह फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्र की भाजपा सरकार को यह चेतावनी देना चाहती हूँ कि यदि केंद्र की सरकार ने आगे किसी भी प्रकार से इन वर्गों के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की तो फिर मैं खुद भी शांत बैठने वाली नहीं हूँ, अर्थात् फिर मैं अपने लोगों के साथ खुद सड़कों पर उतर कर वर्तमान केंद्र की सरकार की इस कोशिश को कभी भी पूरा नहीं होने दूँगी। ...**(व्यवधान)**... इसके अलावा, खास कर ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अठावले (महाराष्ट्र): सर ...**(व्यवधान)**...

सुश्री मायावती: इसके अलावा खास कर दलितों की सुरक्षा ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't do this. ...*(Interruptions)*... अठावले जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... अठावले जी, आप प्लीज़ बैठिए। ...**(व्यवधान)**... ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए। ...**(व्यवधान)**... Mr. Athawale, please. ...*(Interruptions)*... अठावले जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... आप प्लीज़ बैठिए।

सुश्री मायावतीः माननीय उपसभापति जी, इसके अलावा खास कर दलितों की सुरक्षा व इनके स्वाभिमान के मामले में केंद्र की पूर्व की सरकारों की तरह, केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की भी संविधान के प्रति हमें ऐसी प्रतिबद्धता देखने के लिए मिल रही है कि इस सरकार के एक मंत्री श्री वी.के. सिंह ने फरीदाबाद के दलित कांड को लेकर जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके, जो पूरे देश के दलितों का अपमान किया है, वह भी कतई बर्दाश्त करने व माफ करने लायक नहीं है। इसलिए इस प्रकरण में मेरा केंद्र की सरकार से यह कहना है कि यदि सरकार वास्तव में संविधान के प्रति पूरी ईमानदारी से प्रतिबद्ध है, तो फिर सरकार को इन्हें तुरन्त ही बर्खास्त करके इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जहां इनकी असली जगह है, अर्थात् ऐसे लोगों की जगह संसद में नहीं, बल्कि जेल के अन्दर होनी चाहिए, ऐसा हमारी पार्टी का इस किस्म के लोगों के बारे में मानना है। इतना ही नहीं, खासकर भाजपा शासित राज्यों में तो दलितों का आज भी हर स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। इसके साथ ही सरकार दलितों को न्याय देने के बजाए इनके शोषणकर्ताओं को ही बचाने में लगी हुई नजर आती है। इस बात का ताजा-ताजा उदाहरण यह है कि दिल्ली से लगे हरियाणा प्रदेश में एक दलित महिला आई.पी.एस. अधिकारी का इस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा जिस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है, वह कतई भी उचित और न्यायसंगत नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्र की सरकार को वहां तुरन्त ही दखल देकर संबंधित दलित महिला अधिकारी को उनके साथ हो रहे उत्पीड़न से उनको जरूर बचाना चाहिए, वरना आगे चलकर इसके काफी गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसी प्रकार हमें देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की भी स्थिति कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है, जबकि बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने इन धर्मों के लोगों के हितों को भी ...**(समय की घंटी)**... सर, बहुत जरूरी बात मुझे रखनी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं।

श्री सतीश चंद्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश) : अभी तो कल भी यह कंटीन्यू होना है।

सुश्री मायावती : जबकि बाबा साहेब ने इन धर्मों के लोगों के हितों को भी ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनाने के साथ-साथ इनकी तरक्की व इनके जान-माल व मज़हब के हिफाजत की भी पूरी जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकारों के ऊपर डाली थी। लेकिन दुख की बात यह है कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल की तरह वर्तमान बी.जे. पी. के शासन काल में भी इस मामले में कोई खास पहल नहीं की जा रही है। खासकर वर्तमान केंद्र की सरकार में तो इन सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की स्थिति हर मामले में हमें अब बहुत ज्यादा खराब नजर आती है। इसके साथ ही इस सरकार में, इस समय देश में जो बड़े पैमाने पर असहनशीलता व उग्रता का वातावरण व्याप्त है, तो इसका भी अधिकांश बुरा प्रभाव , खासकर मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर ही पड़ रहा है। दादरी कांड इस बात का जीता-जागता उदाहरण है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए, उतनी ही कम है। अब तो इस सरकार में संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भी देश में सामाजिक व साम्प्रदायिक माहौल को बिगाड़ने में पूरे जी-जान से लगे हुए हैं, जिनका सरकार गंभीरता से संज्ञान तक नहीं

ले रही है। इस मामले में अभी हाल ही में असम के गवर्नर ने संवैधानिक पद पर बैठकर जो यह असंवैधानिक बयान दिया है कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं का है और यहां से मुसलमान पाकिस्तान जाने के लिए पूरे स्वतंत्र हैं, तो इस किस्म का यह असंवैधानिक बयान किसी से छिपा नहीं है, जबकि केंद्र की सरकार को ऐसे गवर्नर को तुरन्त ही बर्खास्त करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। क्या यही वर्तमान केंद्र की सरकार की भारतीय संविधान के प्रति सही प्रतिबद्धता है?

इसके साथ ही भारतीय संविधान में जो विचारों की आजादी निहित है, वह भी कुछ हद तक खंडित होती हुई नजर आ रही है। इसके साहित्य व फिल्म जगत से जुड़े अनेकों उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। इसके साथ ही अति चिंता की बात एक यह भी है कि अब भारतीय संविधान की गरिमा के खिलाफ जाकर वर्तमान केंद्र की सरकार के, खासकर बी.जे.पी. के कुछ सांसद, मंत्री व नेतागण तथा इनके हिन्दू संगठनों से जुड़े लोग जो आए दिन विवादित, अमर्यादित व शर्मनाक बयानबाजी करते रहते हैं, तो इससे भी देश में सामाजिक व साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल काफी ज्यादा बिगड़ रहा है, लेकिन तब भी इस पार्टी व इनकी सरकार के मुखिया, श्री नरेंद्र मोदी खामोश बने हुए हैं। क्या यही बी.जे.पी. व केंद्र की वर्तमान सरकार की भारतीय संविधान के प्रति सही प्रतिबद्धता है? इसलिए ऐसे हालातों से दुखी होकर फिल्म जगत से जुड़े एक मुस्लिम कलाकार को मजबूरी में भारत छोड़ने की बात कहनी पड़ी है और इसके लिए हमारी पार्टी देश के वर्तमान साम्प्रदायिक हालातों को देखते हुए संबंधित फिल्म कलाकार को कम और बी.जे.पी. व इनकी केंद्र की सरकार को ज्यादा कसूरवार मानकर चलती है और संबंधित फिल्म कलाकार को अपना देश छोड़ने के बजाए इनको मैं बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के पदचिन्हों पर चलने की सलाह देती है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था या अंग्रेज हमारे देश को आज़ाद करने के लिए तैयार हो गए थे, तब अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ने से पहले यह कहा कि आप अपना संविधान बना लो। जब अंग्रेज बिल्कुल रजामंद हो गए थे कि हम देश को आज़ाद कर देंगे, तब उन्होंने इस देश को छोड़ने से पहले यहां के लोगों से यह कहा कि आप अपना संविधान बना लो। इसके बाद भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, लेकिन उस संविधान सभा के लिए यह शर्त रखी गई थी कि इसके मेम्बर चुने हुए होंगे। उस समय बाबा साहेब डा. अम्बेडकर यह चाहते थे कि वे महाराष्ट्र से चुन कर आएं, जो उनकी कर्मभूमि थी, लेकिन महाराष्ट्र में उस समय जो कांग्रेस पार्टी और हिन्दूवादी संगठन थे, वे उस समय बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के बहुत खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संविधान सभा में चुन कर जाएं। जब बाबा साहेब डा. अम्बेडकर को महाराष्ट्र से चुन कर नहीं जाने दिया गया, तब बंगाल, जहां पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व नहीं था, वहां के जो सामाजिक संगठन थे, उन्होंने बाबा साहेब डा. अम्बेडकर को यह ऑफर दिया और उनको यह कहा, "ठीक है, आपको तो महाराष्ट्र में वहां के हिन्दूवादी संगठन और कांग्रेस के लोग संविधान सभा में चुन कर नहीं जाने देना चाहते हैं, आप हमारे बंगाल में आएं, हम आपको यहां से जिताकर भेजेंगे।"

इसके बाद बाबा साहेब डा. अम्बेडकर बंगाल के जैसुर और खुलना की सीट से चुन कर आए। वहां से भी हराने के लिए कांग्रेस पार्टी एण्ड कंपनी के लोगों ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनकी वह कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर वहां से चुन कर आ गए, लेकिन दुख की बात यह है कि जब सन् 1947 में अपने देश का बंटवारा हुआ, भारत

[सुश्री मायावती]

और पाकिस्तान अलग देश बने, तब बाबा साहेब डा. अम्बेडकर बंगाल के जिस क्षेत्र से चुन कर आए थे, उस क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। जब यह बंटवारा हुआ था और बंटवारे को लेकर बंगाल में जो शर्तें रखी गई थीं, उन शर्तों के विपरीत जाकर बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के उस क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया और इसका नतीजा यह हुआ कि फिर बाबा साहेब डा. अम्बेडकर पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य कहलाए। इस स्थिति में वे भारत की संविधान सभा के मेम्बर नहीं रहे।

इसको लेकर बाबा साहेब डा. अम्बेडकर बहुत दुखी हुए। बाबा साहेब ने इस पर काफी गंभीरता से चिंतन किया और अपने आप में सोचा, "मेरे लोग तो इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो मैं पाकिस्तान में रह कर क्या करूंगा? यहां रह कर ही मैं उनके हितों की लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ।" इसके बाद बाबा साहेब डा. अम्बेडकर अंग्रेजों से मिले। उन्होंने सारी बातें उनके सामने रखीं। उन्होंने बताया कि उनके साथ किस प्रकार से धोखा किया गया और जो शर्तें रखी गई थीं कि कौन-सा क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा और कौन-सा क्षेत्र बंगाल में रहेगा, उन शर्तों के खिलाफ जाकर उस क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया, जहां से बाबा साहेब चुन कर आए थे। ऐसी स्थिति में बाबा साहेब ने सोचा, "जब मैं भारत की संविधान सभा में रहूंगा ही नहीं, तो फिर मैं अपने लोगों की बात कैसे रख पाऊंगा?" अंग्रेजों ने बाबा साहेब डा. अम्बेडकर की बातों को गंभीरता से सुना और उसी समय उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों को बुलाया। कांग्रेस पार्टी एण्ड कंपनी के लोगों को बुलाया और नेहरू जी से भी उन्होंने बात की और उनको यह कहा, "देखिए, बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने जो बात कही है और वे अपने लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस क्षेत्र से वे संविधान सभा में चुन कर आए हैं, आपने उस क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है।" उन्होंने उनको यह कहा, "ठीक है, आप आज़ादी चाहते हैं, हम आपको आज़ादी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हम आपको आज़ादी तभी देंगे, जब आपने जिस क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है, जहां से बाबा साहेब चुन कर आए हैं, उस क्षेत्र को आप इंडिया में वापस ले लें। यदि आप उसको वापस नहीं लेते हैं, तो आपकी यह जिम्मेवारी बनती है कि आप भारत के अंदर कहीं से भी अपने मेम्बर से रिज़ाइन कराएं और उनके स्थान पर बाबा साहेब को भारत की संविधान सभा में चुन कर लाएं।" उसके बाद ये लोग मुश्किल में पड़ गए। उस समय कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग सकते में पड़ गए। इनको आज़ादी भी चाहिए थी। हमें भी आज़ादी चाहिए थी, हम भी आज़ादी के पक्षधर हैं और बाबा साहेब भी आज़ादी के पक्षधर थे। जब कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि इस देश की आज़ादी मुश्किल में पड़ रही है, तो उस समय फिर उन्होंने मजबूरी में महाराष्ट्र में पूना से अपने एक मेम्बर से रिज़ाइन कराकर बाबा साहेब डा. अम्बेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजा, जिसको अक्सर ये यह कहकर भुनाते रहते हैं कि बाबा साहेब को तो हमने संविधान सभा में जिताकर भेजा था, लेकिन ये यह नहीं बताते कि किन परिस्थितियों में उनको वहां से चुनकर भेजा था। इनकी बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के प्रति यही श्रद्धा थी। इसलिए मैं फिल्म जगत से जुड़े मुस्लिम समाज के एक कलाकार को खास तौर से यह कहना चाहती हूँ कि उनको बाबा साहेब अम्बेडकर से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे वे काफी बुद्धिमता से और योजनाबद्ध तरीके से मुश्किल हालात से निपटे, लेकिन उन्होंने अपने भारत देश को नहीं छोड़ा और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। इसलिए फिल्म जगत से जुड़े मुस्लिम समाज के कलाकार को भारत छोड़ने

के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उनके कुछ दुःख और तकलीफें हैं, जिनका उन्हें बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर निवारण करना चाहिए।

माननीय उपसभापति जी, मैं यहां यह भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के बारे में यह कहते हैं कि हमने बाबा साहेब डा. अम्बेडकर का बड़ा मान-सम्मान किया है, तो उनसे मैं इस पूरे सदन के बीच यह कहना चाहती हूँ कि उनका उनके लिए अगर इतना मान-सम्मान था, तो बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने भी तो इस देश को अपना संविधान दिया! इस देश के संविधान निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। यदि कांग्रेस पार्टी के लोग यह कहते हैं कि हम बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के बहुत हितैषी थे, तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब भारतीय संविधान के तहत सन् 1951-52 में देश में पहली लोक सभा के लिए आम चुनाव हुआ था, तो उस समय बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के मुम्बई की एक सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर, जिन्होंने अपने देश को संविधान दिया, उस संविधान में उनके योगदान को ध्यान में रखकर मेरा तो यही कहना है कि जब बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने पहली लोक सभा का चुनाव लड़ा तो सभी पार्टीज़ उनके उस योगदान को ध्यान में रखकर उनके खिलाफ कैंडिडेट न खड़ा करके, उनको निर्विरोध जिताकर लोक सभा में भेजतीं तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन उस समय ऐसा नहीं किया गया। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मिस्टर कजरोलकर को खड़ा किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और जितने वोटों के अंतर से बाबा साहेब डा. अम्बेडकर चुनाव हारे, लगभग उतने ही उनके वोट्स कैंसल कर दिए गए थे, जिसकी वजह से अर्थात् सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उस समय बाबा साहेब को जबरन चुनाव में हराया गया था। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर देश के संबंधित फिल्म कलाकर व अन्य दुखी लोगों को भी बाबा साहेब....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: *Behenji*, please conclude.

सुश्री मायावती : सर, थोड़ा-सा और रह गया है। उनको बाबा साहेब के पदचिह्नों पर चलकर साम्प्रदायिक ताकतों का अपनी बुद्धिमता व सूझ-बूझ से तथा शांतिमय ढंग से मुकाबला करना चाहिए न कि घबराकर मैदान छोड़ने की बात करनी चाहिए।

इसके साथ-साथ, महात्मा ज्योतिराव फूले की तरह बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर भी नारी मुक्ति व महिलाओं को पुरुषों के समान संपत्ति आदि में भी बराबरी का अधिकार देने के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने भारत में नारी कल्याण हेतु संविधान की धारा 14 और 15 में पुरुषों के समान बराबरी का अधिकार दिलाकर एक महान कार्य किया है। इतना ही नहीं, बल्कि "हिन्दू कोड बिल" बनाकर बाबा साहेब नारी मुक्ति व कल्याण के मामले को नई प्रगतिशील समानता के नियमों को अंतिम रूप देना चाहते थे। इस मामले में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री नेहरू के परामर्श से ही "हिन्दू कोड बिल" बनाकर भारतीय समाज में कुछ जरूरी परिवर्तन करने के उद्देश्य से बाबा साहेब ने क़ानून मंत्री की हैसियत से वह "हिन्दू कोड बिल" दिनांक 11 अप्रैल, 1947 को संसद में पेश किया था, परन्तु वह बिल चार वर्षों से भी अधिक समय तक संसद में लम्बित पड़ा रहा और फिर अंत में इस बिल को तत्कालीन प्रधान मंत्री ने वापस ले लिया था। बाबा साहेब इससे काफी दुखी हुए। इसे उन्होंने पूर्ण रूप से महिलाओं के अधिकारों व उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध समझा और फिर अंत में, उन्होंने दिनांक 28 सितम्बर, 1951 को देश के पहले क़ानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उपसभापति महोदय, हालांकि "हिन्दू कोड बिल" पर बाद

[सुश्री मायावती]

में टुकड़ों में बहस हुई। संक्षेप में इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा यही कहना है कि केंद्र की वर्तमान सरकार बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर जो भारतीय संविधान के प्रति अपनी सच्ची प्रतिबद्धता जताने की बात करती है, तो यह केवल इनका दिखावा मात्र है। इसका अंदाजा, इन सभी वर्गों के प्रति इनकी कथनी और करनी के अन्तर से लगाया जा सकता है, जिसका काफी कुछ वर्णन मैंने आज किया है।

महोदय, इसके साथ ही यहां मैं वर्तमान केंद्र सरकार के बारे में यह भी कहना चाहूंगी कि बाबा साहेब की 125वीं जयन्ती के वर्ष में इनके सम्मान में एक या दो स्मारक या संग्रहालय आदि बनाने से इनको मानने वाले लोग, इनसे प्रभावित होने वाले नहीं हैं, बल्कि इसके साथ-साथ इन वर्गों के उत्थान के लिए केंद्र की सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे और इस मामले में केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश में रही बी.एस.पी. की सरकार से सबक सीखना होगा। हमारी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के आदर व सम्मान में स्मारक, संग्रहालय व पार्क आदि का निर्माण करने के साथ-साथ इनको मानने वाले कमजोर तबकों के विकास व उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए, जिसकी जानकारी अधिकांश पार्टियों को है। उन कार्यों को मैं यहां फिर से नहीं दोहराना चाहती हूं।

महोदय, कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहेब की 125वीं जयन्ती मनाने का सही लक्ष्य व इसके साथ ही भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्धता भी तभी सही और सार्थक हो सकती है जब इनकी व संविधान की मंशा के मुताबिक चल कर देश व जनहित में, खासकर समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए हर स्तर पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य किया जाएगा, जो पूर्व की सरकारों की तरह, केंद्र की वर्तमान सरकार में अभी तक ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

सुश्री मायावतीः महोदय, मैं पांच मिनट में समाप्त करूंगी।

महोदय, पूर्व की सरकारों की तरह केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने भी यहां दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के हितों के लिए अभी तक जो भी कदम उठाए हैं या फैसले लिए हैं, उनसे इन वर्गों को फायदा कम हुआ है, बल्कि इनकी आड़ में देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। इस बारे में मैं कहना चाहती हूं कि खासकर मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति इनका रवैया और भी ज्यादा खराब है। क्या यही इनकी बाबा साहेब, डा. अम्बेडकर व भारतीय संविधान के प्रति सही प्रतिबद्धता है? इतना ही नहीं, बल्कि पूर्व की सरकारों की तरह, वर्तमान की केंद्र सरकार ने भी देश में सर्वसमाज में से गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी व अन्य पेशों में लगे लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान नजर आते हैं।

महोदय, देश में महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हमारे देश का पर्यावरण भी बिगड़ रहा है। हमारे देश की सीमाएं भी बराबर सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन इन समस्याओं के समाधान की तरफ सरकारों द्वारा, यानी केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारों द्वारा कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न कोई प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। क्या यही केंद्र सरकार के

साथ-साथ राज्य सरकारों की भी भारतीय संविधान के प्रति सही प्रतिबद्धता है?

महोदय, सदन प्रारम्भ होने के पहले ही दिन माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को लेकर यह घोषणा की है कि अब हर साल 26 नवंबर के ही दिन देश में 'संविधान दिवस' मनाया जाएगा, जबकि इस बारे में हमारी पार्टी का यह कहना है कि हर साल अकेले 'संविधान दिवस' मनाने से कार्य चलने वाला नहीं है। मेरा तो यह कहना है कि इसके साथ-साथ, इन्हें भारतीय संविधान की कार्य-प्रणाली के अमल पर भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से ध्यान देना चाहिए, जो हमें इस सरकार में अभी तक अमल होता नज़र नहीं आ रहा है। इसकी तरफ भी इन्हें ध्यान देने की जरूरत है, तभी 'संविधान दिवस' मनाने का मकसद सही अर्थों में सार्थक साबित होगा।

महोदय, इतना ही नहीं, इन्होंने दिनांक 27 नवम्बर , 2015 को लोक सभा में बोलते हुए यह कहा कि अब संविधान बदला नहीं जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है, तो फिर वह आत्महत्या जैसा ही होगा। कहने के लिए बात तो बहुत अच्छी है, जबकि वास्तव में ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इनके आरएसएस संगठन द्वारा आरक्षण की समीक्षा करने की बात करना ही इस बार इनको बिहार विधान सभा के आम चुनाव में काफी महंगा पड़ गया है, जिससे सबक सीखकर अब इन्हें मजबूरी में देश के दलितों को अपने विश्वास में लेने के लिए यह सब कहना पड़ रहा है। इस बात से वैसे सभी अवगत हैं। अब मैं यही उम्मीद करती हूं कि केंद्र और सभी राज्यों की सरकारें बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर भारतीय संविधान की मूल मंशा और गरिमा के अनुरूप ही अपनी सरकारें चलाएं, तो यह बाबा साहेब डा. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर इनके लिए बहुत बड़ा आदर-सम्मान होगा। ...**(समय की घंटी)**... इसके साथ-साथ इस मौके पर मैं बाबा साहेब के अनुयाइयों से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि वे बाबा साहेब के उस मंत्र का, अर्थात "शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो," इसका खासकर कमजोर तबकों के बीच में जाकर जरूर प्रचार और प्रसार करें। इसके साथ ही जुल्म और ज्यादती के खिलाफ संघर्ष करने और आवाज़ उठाने के मामले में भी उन्होंने लोगों को कहा कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला उससे भी कहीं ज्यादा कसूरवार होता है। तो वर्तमान हालात में इसके लिए भी लोगों को जरूर प्रेरित करें। इतना ही नहीं, बाबा साहेब ने इन लोगों को यह भी कहा था कि यदि केंद्र और राज्यों की सरकारें देश में सर्व समाज में से, खासकर गरीबों, कमजोर तबकों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के विकास और उत्थान के लिए भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं, तो ऐसी स्थिति में इन्हें अलग से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर यह कार्य अपने आप ही करना होगा। इस खास बात की तरफ भी इन लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ-साथ अब मैं पुनः केंद्र और राज्यों की सरकारों से भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होकर कार्य करने की अपील करती हूं। इस मामले में, खासकर वर्तमान केंद्र की सरकार को, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जिस दिन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोक सभा में बाबा साहेब की 125वीं जयंती और भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर अपनी बात रख रहे थे, उसी दिन उनकी पार्टी के एक सांसद, जो इसी सदन के सदस्य भी हैं, बाहर मीडिया में यह बयान दे रहे थे कि अयोध्या में श्री मोदी के ही शासन काल में राम मंदिर जरूर बनेगा, जबकि यह मामला अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में लम्बित पड़ा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think now you should conclude.

सुश्री मायावती : इसलिए इस किस्म के अपने अन्य और लोगों पर भी पार्टी और सरकार को कुछ न कुछ अंकुश जरूर लगाना होगा, वरना इस किस्म के लोगों से हमारे देश के हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, you should conclude.

सुश्री मायावती : मैं बस खत्म कर रही हूं। वैसे भी इस समय पूरी दुनिया में आतंकवाद का कहर छाया हुआ है और हमारा देश भी समय-समय पर इसका शिकार हो रहा है। इस समय हमारे देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। पड़ोसी देशों से भी अब एक-एक करके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। नेपाल इसका खास एग्ज़ाम्पल है। इसके साथ ही इस समय देश में असहनशीलता, उग्रवाद और अराजकता का भी काफी ज्यादा माहौल पनप रहा है, इसलिए ऐसे हालातों में केंद्र की सरकार को प्राथमिकता के आधार पर देश में जनता के हितों के साथ-साथ उनकी सुरक्षा की तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए, न कि उसे इस समय मंदिर निर्माण की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब हमारा देश और जनता ही पूरे तौर से सुरक्षित नहीं रहेगी, तब ऐसे हालात में मंदिरों में पूजा करने के लिए कौन जाएगा? यह बात सरकार को अपने लोगों को जरूर समझानी चाहिए। इसके अलावा खासकर देश के कमज़ोर तबकों के हितों में जिन भी बातों की तरफ मैंने केंद्र की सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है, उनकी तरफ सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए।

अंत में, यहां मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यदि इन सब मामलों में, अर्थात देश व जनहित में और खासकर कमजोर तबकों के हितों में केंद्र की सरकार कोई भी सकारात्मक कदम उठाती है तो हमारी पार्टी केंद्र की सरकार का जरूर साथ देगी। इसी क्रम में यहां मैं जीएसटी बिल के बारे में भी यह बात जरूर कहना चाहती हूं कि जीएसटी बिल के बारे में केंद्र की सरकार का यह कहना है कि यह बिल पास हो जाने से देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा। हम आपकी बात मान लेते हैं। **...(समय की घंटी)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, you please conclude.

सुश्री मायावती : यदि आपको पूरा भरोसा है कि जीएसटी बिल के पास होने से देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, you please conclude.

सुश्री मायावती : तो आज मैं इस शुभ अवसर पर यह कहना चाहती हूं कि यदि आपको पूरा भरोसा है कि इस बिल के पास हो जाने से इस देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा, सुधार आएगा और वह मज़बूत होगी, तो इस बिल का हमारी पार्टी समर्थन करती है, यह मैं आपको कहना चाहती हूं। इसके लिए आप लोगों को हमें एक कप चाय तो छोड़ो एक गिलास पानी भी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही...

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): हम तो आपको भोजन भी कराएंगे।

सुश्री मायावती: अब मैं पुनः परम पूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के वर्ष पर, इनके द्वारा खासकर अपने देश को हर मामले में एक बेहतरीन संविधान देने के लिए, इनके इस अमूल्य योगदान को दिल से नमन करते हुए, आदर-सम्मान देते हुए, अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y. S. CHOWDARY): Thank you very much, Mr. Deputy Chairman, Sir.

The hon. Members of both the Houses have spoken a lot about *Bharat Ratna* Dr. Ambedkar, and about his contribution towards drafting the Constitution, which has helped this nation in a great way. I could not understand one thing. This is the 125th Birth Anniversary of the Constitution, but in the last 50-55 years we never bothered to think about the architect of our Constitution. Now, since many hon. Members in both the Houses have spoken a lot on this subject, I do not wish to repeat things already said about Dr. Ambedkar. To the best of my knowledge, the founder of our Party, Dr. N.T. Rama Rao, perfectly followed Dr. Ambedkar's philosophy, mainly by dispensing with the *Patwari and Patel* systems, delegating powers at the village level and uplifting the weaker sections of the society. Incidentally, it was during his tenure as the National Front Chairman that Dr. Ambedkar's statue was unveiled in the Parliament. Whether it is any guide, the *Geeta*, the *Kuran*, the *Guru Granth Sahib* or whatever else, our country has benefited in a big way from the contribution of Dr. Ambedkar, the architect of our Constitution. We are witness to how our neighbouring country has been facing problems in running the country in a democratic way, mainly because of their weak Constitution. It is because of our Constitution that we find many great examples, like that of our great economist, Dr. Manmohan Singh, entering this House and becoming the Prime Minister of this country for ten years. Also, even some 'non-national' citizens could enter this House because of the provisions in our Constitution. Because of the Constitutional provisions and a great visionary leader like Mr. Chandra Babu Naidu, even a person like me, who is not a politician by career, could come here to witness the Parliament's functioning.

Sir, these days we hear a lot of talk about intolerance. The opposition parties are becoming intolerant towards the Treasury Benches and the Treasury Benches are becoming intolerant, irrespective of which party is in power, towards the opposition parties. Children are becoming intolerant towards parents and parents are becoming intolerant towards children. Film producers are becoming intolerant towards censorship, and so on. I am sure this is another passing cloud. The Constitution written by Dr. Ambedkar makes us a great nation, and so, this hysteria would also pass.

Sir, today, an average citizen, who is involved in a productive activity, is not interested in anything else; he is interested in living happily. He is not interested in knowing what one is eating and which religion one is practising, and so on. But, unfortunately, that is being talked about a lot. The Constitution does not permit eating of human beings but, unfortunately, because of all these issues, human brains are

[Shri Y. S. Chowdary]

being eaten away. That has to be stopped. In fact, I am not able to really forget. You are also a witness, last year, to the way in which A.P. Reorganisation Bill was passed. The Constitution never allowed or provided to give differential justice to different States. When we have made the Republic of India, all the States are expected to have the same justice and both the Houses, that is, Parliament, which is supreme, is expected to give justice to all the States of this country. When Uttar Pradesh came after passing the positive Assembly resolutions, the then Government never bothered to think of that. When Andhra Pradesh Assembly passed the dissent resolution, for political reasons, the same Parliament House, both the Houses have allowed. Sir, with the result, a lot of injustice also has happened. This is going to be a permanent wound in the hearts of citizens of Andhra Pradesh. Sir, at that point of time, it was Article 3 of the Constitution. Article 3 of the Constitution was incorporated mainly to bring the Republic of India. Our great leader Sardar Vallabhbhai Patel for bringing unity in the country, for bringing back the Princely States into the Republic of India, Article 3 was incorporated and used; whereas in the case of Andhra Pradesh only for political reasons, it was used and nobody said that it is not correct to divide a State. Article 3 said very clearly that it has to have the statement of purpose. But simply 272 Members of the House can make this country divide into bits and pieces, the way they have done it to the State of Andhra Pradesh. Nobody has said that the division is wrong. But the manner in which they have done, I have no hesitation to say that it was done definitely undemocratically by closing the Lok Sabha doors, by switching off the T.V. channels and also finally it was passed in the din. Whatever they have allotted, whatever they have committed in the Bill and also the promises made on the floor of the House, it was a condition precedent for passing the Bill by the then Government. Just merely a change of guard cannot alter the commitments. The promises made by the Bill should become a law, whether it is special category status or whether it is a special package for industries at the end of the day. That day that Bill was passed subject to certain commitments, certain promises made by the then hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh mainly in order to see that Andhra Pradesh also gets proper support until they get a level-playing field with the neighbouring States. So, I am really unable to understand and we are not able to answer to every citizen of Andhra Pradesh. In the same House, when the then Government was passing the Bill for the purpose of political gain, they thought that they would get the benefit which finally has not happened. So, that has proven very clearly that they have no respect for the Member and they simply have respect for the numbers and they bulldozed the Bill which is fundamentally against the Parliamentary principles. The

Parliamentary Principles always mentioned that a solution has to be arrived only by way of debates and deliberations. But, unfortunately, Sir, that has happened. So, only my request is that....

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana) : Sir, I have serious objections. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. ...(*Interruptions*)...You are not allowed ...(*Interruptions*)...

SHRI Y. S. CHOWDARY: Whether it is unsigned. ...(*Interruptions*)... It is a law passed. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Sit down, sit down. ...(*Interruptions*)... Rapoluji, sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: But, Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRI Y. S. CHOWDARY: Sir ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have not allowed you. ...(*Interruptions*)... He is not yielding. ...(*Interruptions*)... He is not yielding. ...(*Interruptions*)...

SHRI Y.S. CHOWDARY: I am not saying about any particular Member. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please take your seat. ...(*Interruptions*)...

SHRI Y.S. CHOWDARY: All the Members of Parliament are responsible because every citizen of Andhra Pradesh is a wounded citizen of Andhra Pradesh. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please take your seat. ...(*Interruptions*)... He is not yielding. ...(*Interruptions*)...

SHRI Y.S. CHOWDARY: They are all ...(*Interruptions*)... My question is that whether we are part of India or not.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What Mr. Rapolu says will not go on record. (*Interruptions*)...

SHRI Y.S. CHOWDARY: Sir, his party could not ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... Mr. Chowdary, please. ...(*Interruptions*)... No, it is not going on record. Please sit down. ...(*Interruptions*)... When your turn comes, you speak. ...(*Interruptions*)... Please sit down. It is not going on record. ...(*Interruptions*)... You cannot speak like that. Sit down. ...(*Interruptions*)...

[Mr. Deputy Chairman]

It is not going on record. ...(*Interruptions*)... You sit down. ...(*Interruptions*)... When your turn comes, you reply to it, not now. ...(*Interruptions*)... Hon. Leader, please ask him to obey the Chair. Please ask him to obey the Chair. ...(*Interruptions*)... He is interrupting. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... You can't do this. ...(*Interruptions*)... What are you doing? He is not yielding. ...(*Interruptions*)... What are you saying? You reply when your turn comes. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... This is not the way to behave. ...(*Interruptions*)... No, please. The discussion is going on smoothly. Every Member has a right to express his view. Those who want to rebut or reply, can do so when their chance comes. Don't interrupt like this. ...(*Interruptions*)... I will give you a chance. Please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir,*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He can do that. He is speaking as a Member. ...(*Interruptions*)... When your turn comes ...(*Interruptions*)... I have told you to resume your seat. What Mr. Rapolu said will not go on record. ...(*Interruptions*)... What Mr. Rapolu said will not go on record. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir,*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When your turn comes, you can speak.

SHRI Y. S. CHOWDARY: The manner in which the Bill was passed was illegal, undemocratic and unscientific. There is no question about that. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is his view. You reply when your turn comes. Why do you interrupt now? Yes, that is his view only. ...(*Interruptions*)... Please sit down. When your turn comes, you can say it. That is only his view.

SHRI Y. S. CHOWDARY : Sir, in fact, Dr. Ambedkar also said that if I find the Constitution being misused, I shall be the first to burn it. That was also mentioned. What happened? I am saying I never mentioned about ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Chowdary, please address the Chair. Don't look there. Please address the Chair. ...(*Interruptions*)...

SHRI Y. S. CHOWDARY : Sir, please bring the House to order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You ignore him. You ignore him and address the Chair. What you say is on record and what he is saying is not going on record. Don't worry about that.

---

* Not recorded.

1.00 P.M.

SHRI Y. S. CHOWDARY : He is disturbing me, Sir. ...(*Interruptions*)... I am talking on behalf of every citizen of Andhra Pradesh who are all hurt very badly because of the manner in which both the Houses have passed the Bill. Today again we are facing the problem. This Government came 18 months back. Because of the lacuna ...(*Interruptions*)... There were promises made by the then Prime Minister. Just by the change of guard the things cannot happen like this. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What Mr. Rapolu says will not go on record.

SHRI Y. S. CHOWDARY : Sir, the Bill was passed as a condition precedent on the promises of the then hon. Prime Minister, which has to become a law. Then only the people will give respect. Definitely, the time has come to think and introspect, and even the Private Members' Bills need to be respected. We have made the Private Members' Bills just a ritual. That is not correct. Whichever Government is there, they should give a serious thought to it.

Sir, irrespective of the change of guard, all the promises made on the floor of the House, have to be made law. We should not compare with other States. Today that is what I have to say. When the Uttar Pradesh Assembly passed a Resolution for the division of the State, both the Houses, irrespective of parties, never respected it. When Andhra Pradesh brought the Bill with dissent, just for political reasons -- they were pushed and bulldozed -- both the Houses have passed it. These kinds of things we should not allow to be repeated. Every citizen of this country is looking at these sacred places, that is, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. It has definitely brought a lot of bad name to our democratic system. Recently, we were talking about cooperative federal system. What is the cooperative federal system?

A federal system is a federal system. It has to be done with proper benefit to every State equally. So, upliftment means not just trying to give freebees and special packages. It is expected to really give some sustainable growth for needy people, whether it is education, healthcare, employment or agriculture, which is not taking place with Government after Government even after 60 years. Both the Houses are expected to talk about these important things for upliftment. At the same time, because of the Constitution providing for it, so many people benefited from reservations or otherwise. So, there is also a need for us to think of measuring the benefits so that people, who have already got the benefit, can also join the rest of the citizens and help more quickly. So, that is another point. We have to think with collective wisdom and for the collective satisfaction of every citizen of this country.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, it is 1.00 p.m. Shall we sit until he finishes and then adjourn for lunch? Okay, you please continue.

SHRI Y. S. CHOWDARY: So, there is, definitely, a need for us to have collective wisdom or collective satisfaction and there is also a need for us to interpret, as per the time. When I entered this House for my maiden speech and I wanted to use i-Pad, the Treasury Benches then made a huge noise saying that I cannot use it, whereas, ultimately, Parliament itself has given i-Pad to every Member. So, when they are able to adopt such changes so easily, why are we not able to adapt the Constitution aptly and properly as per the times? Can we think of living today without computers and phones? Similarly, the Constitution has to be utilized very carefully and also there is a need for us to change ourselves as per the times. So, I sincerely urge upon all the Members, irrespective of their political parties, when we come to this sacred place, political parties' views should not be brought here. We have to think impartially. Thereby, I sincerely urge upon the Members to ensure that such incidences are not repeated, irrespective of any political lineages.

Sir, on the occasion of the 'Constitution Day', and while celebrating the 125th Birth Anniversary of Dr. Ambedkar, it is desirable that Parliamentarians, who enjoy the public mandate, regardless of political lineage, not withstanding whether we are on the Treasury side or the Opposition side, cherish the noble intentions enshrined in the Constitution. We all must rededicate ourselves to the solemn resolve taken while giving to ourselves this Constitution. That must be our renewed commitment, to give a better life to one and all. To begin with, the present context warrants that we should moderate ourselves and allow the Parliament to function and take up the normal legislative business and perform its duties as envisaged in the Constitution. This will be a befitting tribute to Dr. Ambedkar. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at four minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at six minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभापति महोदय, हमारे यहां दोनों सदनों में परसों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम चर्चा हो रही है। राजनीति से ऊपर उठकर, इस देश के संविधान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है और देश के संविधान के माध्यम से हमने आज़ादी के इतने वर्षों में जो प्राप्त किया है, उस पर एक सघन चर्चा हो रही है। मैं हमारे राज्य सभा के सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था व्यक्त की है।

हमारा संविधान 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ और तब से लेकर आज तक जिस तरह से यह हमारे देश को एक रखने में, उसे बांधकर, जोड़कर रखने में सफल रहा है, यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर, जो

इस संविधान के शिल्पकार थे, उनका जो सपना है, साथ ही हमारे देश के सभी 125 करोड़ नागरिकों की जो आशा है, अपेक्षा है, हम सभी का सपना है, उसको हम सबको मिलकर पूर्ण करना होगा। मैं डा. बाबा साहेब अम्बेडर की मेडन स्पीच, जो कांस्टीट्यूएंट असैम्बली में दी गई थी, उसकी कुछ पंक्तियां यहां पर कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, 'I have got not the slightest doubt in my mind as to the future evolution and the ultimate shape of the social, political and economic structure of this great country. I know today we are divided politically, socially and economically; We are a group of warring camps...' और वे खुद भी स्वीकार करते हैं, '...and I may go even to the extent of confessing that I am probably one of the leaders of such a camp. But, Sir, with all this, I am quite convinced that given time and circumstances nothing in the world will prevent this country from becoming one. With all our castes and creeds, I have not the slightest hesitation that we shall in some form be a united people.' यह कांस्टीट्यूएंट असैम्बली में उनका प्रथम भाषण था, जिसका एक छोटा सा अंश इन पंक्तियों के रूप में मैंने आपके सामने रखा है। आप भी यह मानते हैं और हम सब भी इसे स्वीकार करते हैं कि विश्व में हम कहीं भी जाते हैं तो लोगों को लगता है कि भारत, जो 125 करोड़ लोगों का देश है, एक अजूबा है। इतने बड़े देश में लोकतंत्र किस तरह से चल रहा है? जिस देश में अमीरी है, गरीबी है, जहां अलग-अलग मज़हब के लोग रहते हैं, जहां धर्म और जाति के मामले में हम कितने हज़ार सालों से बिखरे हुए रहे हैं, इसके बावजूद भी भारत का लोकतंत्र इतना मज़बूत किस तरह से है, इसमें लोगों को आश्चर्य लगता है। आप भी कई बार कहीं बाहर गये होंगे, तो आपसे भी कई लोगों ने चर्चा की होगी कि इतना बड़ा देश किस तरह से चलता है। हमारे यहां चुनाव होते हैं। चुनावों के माध्यम से सरकारें बनती हैं, बदलती हैं। सरकार अच्छा काम करती है, तो उसकी सराहना भी लोग मतदान के माध्यम से करते हैं, सरकार ठीक नहीं चलती है, तो उसको बदलने का काम भी मतदान के माध्यम से, वोट के माध्यम से हमारे यहां पर होता है। यह हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए हमारे संविधान के माध्यम से जो हमें मिला है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हम लोगों को कहीं न कहीं इसके बारे में चिंतन करना होगा, सोचना होगा कि हम किस तरह से अपने लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं।

हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। कांस्टीटुएंट असेम्बली का डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का एक और जो वाकया था, उसको मैं यहां क्वोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि "On the 26th January, 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality and in social and economic life, we will have inequality." उन्होंने कितनी सही बात कही कि हम लोग आज आज़ादी के 68 वर्षों बाद भी उसी बात की और उसी चीज की चर्चा हर रोज अपने दैनिक जीवन में करते हैं। "In politics, we will be recognizing the principle of one man one vote and one vote one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value." उन्होंने यह कितनी सही बात बोली! मतलब हमारे लोकतंत्र के, आज़ादी के 68 साल बाद भी हम लोग एक व्यक्ति की कद्र आज भी नहीं कर रहे हैं। हमने कई जगह देखा है, हमारे देश में कितनी घटनायें घटती हैं, कम हों, ज्यादा हों, अच्छी हों या बुरी हों, लेकिन यह बात हमें अपने दैनिक जीवन में रोज मिलती

[श्री प्रफुल्ल पटेल]

है। हमारे यहां अभी दादरी के किस्से की भी बात हुई। कभी किसी और जगह दलित के बच्चों पर अत्याचार होता है, कभी किसी और पर कुछ होता है। खैरलांजी में, मेरे ही लोक सभा क्षेत्र में, वह घटना घटी, जिसमें जीवित लोगों को जलाया गया, दलित कुटुम्ब के लोगों को जलाया गया। इस तरह से जो घटनायें हमारे देश में आज भी हो रही हैं, ये कहीं न कहीं वह बात, जो डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने कांस्टीटुएंट असेम्बली में हमारे संविधान बनने के पूर्व कही, उसको आज भी हम अपने जीवन में रोज अभी भी अनुभव कर रहे हैं। How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? इकोनॉमिक लाइफ की जब हम बात करते हैं, तो आज भी गरीब भूखा मर रहा है। आज भी हम लोग, इसमें मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आज भी as a nation, हमारे पूरे देश के नाते हम लोगों को इसके बारे में सोचना होगा कि हम लोग अभी भी गरीब को गरीब समझते हैं। गरीब के लिए हमारे पास सिर्फ शब्द हैं, कुछ योजनायें इधर-उधर की हैं, लेकिन उस गरीब को उस गरीबी से बाहर कैसे निकालना है, इसके बारे में हम लोग केवल चर्चा तक ही सीमित हैं, हमारे पास आज भी कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। इसीलिए, "We must remove this contradiction at the earliest possible moment. Else, those who suffer from inequality will blow up the structure of democracy which this Constituent Assembly has so laboriously built-up." मतलब वे सिर्फ बात करके या उसका वर्णन करके यहीं तक सीमित नहीं रहे हैं, उन्होंने 25 नवम्बर 1949 में यह आगाह किया "अगर हम लोगों को इन सारे मूल्यों, हमारे इन सारे सिद्धांतों को, हमारी जो ये सारी विषमतायें हैं, भेदभाव हैं, अगर इनको दूर करने का काम नहीं किया, तो हम अपने इस देश के हमारे लोकतंत्र में अपने आप ही विस्फोट करेंगे"। यह बात इसलिए सही है कि 125 करोड़ लोगों के देश में हम सब लोग यहां पर कहीं न कहीं सामाजिक और राजनीतिक जीवन से हमेशा जुड़े रहे हैं। उपसभापति महोदय, हमारे हर सांसद के घर पर सुबह कोई न कोई अपने काम को लेकर मिलने आता है। एक ज़माना था कि हमारे पास लोग आते थे कि गांव में सड़क बनवा दीजिए, गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन आज अगर सौ आदमी किसी सांसद के घर पर आते हैं, तो उनमें से 99 लोग केवल अपने बच्चों के रोजगार के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं और एकाध आदमी जो आता है, वह अपने व्यक्तिगत या निजी काम के लिए आता है। अब कोई सार्वजनिक काम के लिए इसलिए नहीं आता है, क्योंकि आज इतने बड़े देश में इतनी प्रगति करने के बावजूद हम नौजवानों की इतनी बड़ी फौज को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। उनका भविष्य हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और आज भी कहीं दादरी होगा, कहीं खैरलांजी भी होगा, कहीं अलग-अलग तरह की घटनाएं इस देश में घटती रहेंगी तो हमारे लोकतंत्र को हम अपने आप ही समाप्त कर देंगे। यहां पर भी एक विस्फोटक परिस्थिति हमारे देश में इंकार नहीं की जा सकती, यह वक्तव्य बाबा साहेब अम्बेडकर का 1950 में कांस्टीट्यूंट असेंबली में भाषण था और इस बात को हम लोगों को नजर-अंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हमारे यहां पर बहुत सारी घटनाएं रोज घटती हैं। हम लोगों ने, उन्होंने इकॉनोमिक्स को कितना वेल डिफाइन किया। उन्होंने कहा "Our object in framing the Constitution is really two-fold: (i) To lay down the form of political democracy, and (ii) To lay down that our ideal is economic democracy..." आज हम लोग गरीब को गरीबी में, मैंने कहा न कि सिर्फ हम बातें करेंगे, लिप सर्विस करेंगे लेकिन सही अर्थ में उसको दूर करने के लिए हम काम नहीं करेंगे। उन्होंने यह ठीक बात कही कि "(ii) To lay down that our ideal is economic

democracy and also to prescribe that every Government, whatever is in power, shall strive to bring about economic democracy. The Directive Principles have a great value, for they lay down that our ideal is economic democracy." This is all I am quoting from what he said then, and these things hold as much as they were true then, maybe, more even today, because, as I said, of the kind of population explosion. For our knowledge and, I am sure, all of us know that, in the last Lok Sabha election witnessed, we had 84 crore registered voters. Out of those 84 crore registered voters, Mr. Deputy Chairman, Sir, there were 14 crore voters who were of the age of 18 and 19; first time registered. Out of those 84 crore voters, 19 crore voters were below the age of 22; that means they had not voted in the previous Lok Sabha elections. That means almost close to 20 per cent of India's demographics was first-time voters in the last Lok Sabha elections. And I can tell you, whichever Government comes or goes, we are happy; there is no question in democracy. We wish Narendra Modi Government well, but the point here is -- and what I mentioned earlier -- if such a large young population, restless population of India cannot be given its economic freedom and power, we are certainly going to see Governments coming and going. What happened in Bihar or what happened in Delhi? Do not take it as an aberration, it is a fact that people are not able to realise their true potential; they are not getting economic freedom and this is the time they will react through the ballot; they cannot react through the bullet. That is something which we will have to take care of. That is why, when you talk about Government and how Governments work, again, I quote Dr. Ambedkar, "While everybody recognised the necessity of diffusion of constitutional morality for the peaceful working of the democratic Constitution, there are two things interconnected with it which are not, unfortunately, generally recognised." What does he say? "One is that the form of administration has a close connection with the form of the Constitution." What does it mean? When *Behenji* was talking in the morning about your Ministers talking and making such statements about the people without the sensitivities of people in mind; what does it mean? Is it not a reflection of the administration against the sprit of the Constitution? What is the spirit of the Constitution? Would you want somebody to comment on a Dalit as if somebody is an animal? Would you like to comment on the killing of people as if something has happened just by some forces which have no connections with the religion of the person? I think we have to understand that. Therefore, what he further said is, "The form of administration must be appropriate to and in the same sense as the form of the Constitution. The other is that it is perfectly possible to pervert the Constitution, without changing its form by merely changing the form of the administration." So you may have a Constitution which talks of all good things. Of course, the Constitution is like a holy Bible, *i.e.*, the temple of our democracy; we sit here. Everybody has respect for the Constitution. But, the spirit

[श्री प्रफुल्ल पटेल]

of the Constitution is reflected through the administration. What are the things happening in this country? Look at the series of events which have happened. I am not talking of only this Government; I am talking about since the time we have become independent, since the time we have adopted the Constitution. Today, when we talk, obviously, we will be referring to the incidents which have been taking place in the last eighteen months. Therefore, the administration can't be quiet by simply saying, 'These are one of the things', 'Somebody said it', 'We have no reason to contradict the things', 'These are individual views'. There may be individual views. But as long as they are not countered by a collective view, as long as they are not countered by the will of the Government and the might of the Government, those individual views will also be reflected as the Government views of the day. Therefore, you have to take responsibility for these things. Therefore, without all these things, you will not be able to celebrate. Actually, when we talk of celebrating Dr. Ambedkar's 125th Birth Anniversary and also the Constitution Day of India because we had him as the author of the Constitution, we have to read not only the Constitution but also the spirit with which the Constitution was written. Therefore, Sir, I quoted it from what Dr. Ambedkar said.

I would like to say quickly, Mr. Deputy Chairman, Sir, that there are many things which have happened over the years. It is not just about the tolerance in the country and the equality or inequality which we have seen in this country.

There are so many other things which we also need to do. Even as a Parliament, we have the right to enact the Constitution; we have the right to change the Constitution; we have the right to discuss and debate, reform laws and we legislate. Dr. Ambedkar had given segregation of powers to the Constitution. We have the Judiciary, we have the Legislature. We decide so many things. In the last so many years, we had to worry that despite the segregation of powers though well-defined, there was something not going right. We legislate but the courts dispose. We propose and they dispose. Why is this happening? Is this the right balance which we should strike? We will have to look at where we are able to draw the right balance and take things forward. Otherwise, Parliament will only be left in the hands of another body to decide on what we should be legislating. I think, that is also not what the spirit of the Constitution is. That is why we have to look at certain issues in the larger context.

Mr. Deputy Chairman, Sir, we had many incidents in our country. I just mentioned a few of them. I would also like to say that there is something called the intolerance which is being talked every day. Nobody would like to see intolerance in our country. But we talked about it as a lip service. I want to give you an example of what

should happen. In Marathwada, in Maharashtra, there is a university in Aurangabad, the Marathwada University. The first college in that University set up by Dr. Babasaheb Ambedkar. One of our esteemed Members is from that area. The Senate of that University decided to name that University as Dr. B.R. Ambedkar University.

AN HON. MEMBER: No, that was proposed by the Senate.

SHRI PRAFUL PATEL: Then there was a big agitation for and against saying, 'Why should the name be there?' Several leaders including our Mr. Athawale, who is not present here now, took part; there was a big dalit movement in Maharashtra. There were violent protests, killings; there were long marches, and so on. Eventually, it went on for years and years. Sharad Pawarji was the Chief Minister of Maharashtra. I remember – I am saying this with firsthand knowledge – when this decision was taken, everybody in the Congress Party – we were in the Congress then – came and said, 'do not fall into this trap, and do not take this decision to rename the University. Sharad Pawarji, seven-eight people were sitting there, and I was one of them, said, 'whatever may happen, the fact is that this University truly deserves to be named after Dr. Ambedkar. Even if we lose our Government, even if we lose politically, we will not hesitate, but we will bring this debate to an end and we will name this University as Dr. Babasaheb Ambedkar University'. It was done, and true to what he said, six months or one year later, when the elections took place, we lost the elections. We were in the Opposition; we were in the Congress Party then; but the naming of the University was done. This is where I would like to say that all of us go for political convenience. Many of us speak of all what we talk of the Constitution, Dr. Ambedkar, बड़े, छोटे, गरीब, दलित, आदिवासी, लेकिन ये बातें केवल धरी रह जाती हैं। जब राजनीतिक कीमत की बात आती है, तो हर व्यक्ति यह सोचता है कि मेरा इसमें क्या लाभ हो रहा है, मुझे इसमें से क्या मिलने वाला है, मैं इसमें से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, इसलिए इस बात को हम लोगों को भी कहीं न कहीं सोचना होगा। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर को जब यह महसूस हुआ, तो उन्होंने सोचा कि हमारे देश में हिन्दू संस्कृति का जो प्रभाव ऊँच-नीच का है, हज़ारों सालों की जो हमारी पुरातन विरासत है, इस विषमता को कहीं न कहीं दूर करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने संविधान तो दिया ही, उसके अलावा भी उन्होंने दलितों और पिछड़ों की इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। जब उनके सामने सवाल आया कि इस संस्कृति में, हमारे हिन्दू धर्म में हमको न्याय नहीं मिलने वाला है, तब उन्होंने धर्मान्तरण के बारे में सोचा। धर्मान्तरण के बारे में सोचने के वक्त उनके सामने कई पर्याय थे। उनसे कई लोगों ने अलग-अलग बातें कहीं। मैं किसी धर्म या मज़हब की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उन्होंने बहुत सोच-विचार कर बुद्धिज्म को स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि बुद्धिज्म हमारे ही देश का एक अंग है, हमारे ही देश से इस धर्म की शुरुआत हुई है और बुद्धिज्म हमारी भारतीय संस्कृति के सबसे नजदीक है। इसलिए उन्होंने हिन्दू धर्म त्यागा, लेकिन उन्होंने कोई अन्य इधर-उधर के धर्म को स्वीकार न करते हुए बुद्धिज्म को स्वीकार किया। रामदास जी, अब आप आ गए हैं, इस बात की पुष्टि आप कर सकते हैं। आज हम लोग

[Shri Praful Patel]

डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की बहुत चर्चा करते हैं। सब लोगों में यह होड़ लगी है कि किस तरह से हम डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की स्मृति का अभिनव अभिवादन करें और हम उसका राजनीतिक लाभ लें, लेकिन किसी की भी ये बातें ज्यादा चलने वाली नहीं हैं।

हमारी मुम्बई में इन्दु मिल है, जहां पर उनकी चैत्य भूमि है, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। उस भूमि पर उनका एक भव्य स्मारक बनाने की बात थी। उस स्मारक का अभी कोई फंक्शन हुआ। उस फंक्शन में तो हम लोगों में से किसी को बुलाया नहीं गया, लेकिन उस स्मारक के लिए जगह किसने दी? उस स्मारक का निर्णय किसने लिया? उस स्मारक का निर्णय हमारी सरकार ने लिया, हमने लिया, डा. मनमोहन सिंह साहब के नेतृत्व में लिया, शरद पवार जी के नेतृत्व में लिया। अब आप उधर चले गए हैं, तो इस बात को आप बहुत जल्दी भूल गए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अठावले : उसका निर्णय आपने लिया, यह बात सही है, लेकिन उसका भूमि पूजन करने में आपने बहुत साल लगाए। ...**(व्यवधान)**... डिप्टी चेयरमैन सर, निर्णय इनकी सरकार ने अनाउंस किया था, लेकिन इन्होंने उसका भूमि पूजन जल्दी नहीं किया, उसमें इन्होंने बहुत साल लगाए।

श्री प्रफुल्ल पटेल : अच्छा ठीक है, थैंक यू। चूंकि ये खड़े हो गए, इसलिए अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यह जो इनटॉलरेंस की डिबेट हो रही है, इसके लिए मैं टॉलरेंस की बात बताना चाहता हूँ। हमारे नेता शरद पवार जी महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे। मैं आपसे यह बात फख्र के साथ कहना चाहता हूँ। उस वक्त हम कांग्रेस में थे। रामदास जी यहां विटनेस हैं, ये उस समय अलायंस में हमारे साथी थे। रामदास अठावले जी, आर.एस. गवई साहब, योगेंद्र कवाडे जी, प्रकाश अम्बेडकर जी और सुशील कुमार शिन्दे जी, हमारे ये पांचों नेता उस समय लोक सभा में महाराष्ट्र में ओपन सीट से जीतकर आए, यह भी टॉलरेंस की एक मिसाल है। आप वहां गए तो हार गए, मगर ...**(व्यवधान)**... अभी इनको मंत्री नहीं बनाया है। ये एक बार हार गए तो इनको वहां पर शरद पवार जी ने तुरंत मंत्री बनाया। यह ठीक बात है?

श्री रामदास अठावले: नहीं-नहीं। उन्होंने पहले ही बनाया था।

श्री प्रफुल्ल पटेल: हां-हां, पहले ही तो बनाया था।

श्री रामदास अठावले: जब मैंने महाराष्ट्र में कांग्रेस को सपोर्ट किया, तो मुझे महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री बनाया था, लेकिन शिरडी में आप लोगों ने मुझे हराया, इसलिए मैं इधर आ गया।

श्री प्रफुल्ल पटेल: महोदय, मैं इस पर कुछ ज्यादा राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): महोदय, जब एक भी आदमी चुनकर नहीं आया, तो भी शरद पवार जी ने उन्हें बुलाया। उसमें मैं भी था, वे मुझसे बोले कि उन्हें लाइए, वे आपके दोस्त हैं। उन्होंने उन्हें मंत्री बनाने का काम किया, जबकि वे उस समय केवल कार्यकर्ता थे। वे मंत्री बनना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वे तो केवल कार्यकर्ता थे इसलिए बोले कि मैं कैसे मंत्री बनूं? ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right; all right.

श्री प्रफुल्ल पटेलः उपसभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत सारी बातें हो रही हैं। यह अच्छी बात है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। यह हम सब के लिए अच्छी बात है और खुशी की बात है। हम लोग अपने देश के कांस्टीट्यूशन की रक्षा और कांस्टीट्यूशन के माध्यम से देश को आगे बढ़ा सकें और इसके लिए सब लोग मिलकर काम कर सकें, यही तो हम चाहते हैं।

महोदय, डा. अम्बेडकर को केवल संविधान के शिल्पकार के नाम से पहचाना जाता है। अक्सर चर्चा यही होती है कि वे संविधान के शिल्पकार थे, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि उनकी सबसे पहली पी.एच डी., इकनॉमिक्स में थी। उनका डॉक्टरेट किस चीज में था — His thesis was on 'The Problem of Rupee'. इस बात को भी बहुत कम लोग जानते हैं कि आजादी के पहले जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें उन्होंने वॉटर रिसोर्सेस मंत्रालय, एनर्जी मंत्रालय और लेबर मंत्रालय आदि मंत्रालयों की जिम्मेदारी स्वीकार की थी।

महोदय, यह भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि भाखड़ा नांगल या दामोदर वैली जैसे जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण संस्थान हैं, इनके सही शिल्पकार डा. बाबा साहेब अम्बेडकर थे। बहुत कम लोग जानते हैं ...**(व्यवधान)**... उनकी कल्पना थी। बनाने का काम तो जो भी सरकार होगी, वह करेगी ही।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Yes, you are right.

SHRI PRAFUL PATEL: I am quoting a fact. I am not involved in politics on a debate like this. I am just quoting. Those who are from Punjab, they should realize it. स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की कल्पना और निर्मिति डा. भीमराव अम्बेडकर की थी। नैशनल ग्रिड बनना चाहिए, यह कल्पना भी उन्हीं की थी। आप उस समय की सरकार के पुराने कागजात देखिए। आपके पास तो सब कागज हैं। आप देखिए कि कहां से इन सारी बातों की कल्पना हुई।

महोदय, डा. अम्बेडकर के जीवन को हम लोगों ने कभी चर्चा का विषय नहीं बनाया। हम लोगों ने डा. अम्बेडकर के बारे में जब भी बात की, तो सिर्फ संविधान के शिल्पकार के रूप में की और सोशल रिफॉर्मर के रूप में बात की, यह खुशी की बात है। वे ये तो थे ही, लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने इस देश को इकनॉमिक डायरैक्शन और विज़न देने का काम किया है। इसीलिए, हम आज जब एक प्रकार से, एक ऐसे महान व्यक्ति के स्मरण में यहां चर्चा करते हैं... हम अपने संविधान के बारे में चर्चा करते हैं तो कहीं न कहीं आपको और हमें विचार करना होगा कि किस तरह से हम अपने देश का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। देश में ऊंच-नीच, दलित-आदिवासी के ऊपर अत्याचार और माइनॉरिटीज़ के बारे में हम लोग रोज़ चर्चा करें, यह हमारे लिए कोई बहुत शोभा देने वाली बात नहीं है। कहीं न कहीं हम अपने देश को एक कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में चिंतन करना जरूरी है। इसलिए अंत में, I am just reading out one paragraph of his speech. I am saying this only because I have heard many speeches, not many people have quoted him, but I think this is a very relevant paragraph, I read this and I close. I think it will capture the essence and that will be a true tribute to Dr. Ambedkar. He said:

> "In this country, both the minorities and the majorities have followed a wrong path. It is wrong for the majority to deny the existence of minorities.

[Shri Praful Patel]

> It is equally wrong for the minorities to perpetuate themselves. A solution must be found which will serve a double purpose. It must recognise the existence of the minorities to start with. It must also be such that it will enable majorities and minorities to merge some day into one. The solution proposed by the Constituent Assembly is to be welcomed because it is a solution which serves this two-fold purpose. To diehards who have developed a kind of fanaticism against minority protection, I would like to say two things. One is that minorities are an explosive force, which if it erupts, can blow up the fabric of the State. The history of Europe bears ample and appalling testimony to this fact. The other is that the minorities in India have agreed to place their existence in the hands of majority. In the history of negotiations for preventing the partition of Ireland, Redmond said to Carson, Ask for any safeguard you like for the Protestant minority, but let us have a united Ireland. Carson's reply was, "Damn your safeguards. We don't want to be ruled by you. No minority in India has taken this stand. -- This is very important -- They have loyally accepted the rule of the majority which is basically a communal majority and not a political majority. It is for the majority to realise its duty not to discriminate against minorities. Whether the minorities will continue or will vanish must depend upon this habit of the majority. The moment the majority loses the habit of discriminating against the minority, the minorities can have no ground to exist. They also will vanish."

So, this is what Dr. Ambedkar said. Today, if we really want to pay a tribute to Dr. Ambedkar and to the Constitution of India, which we have all accepted, I think, we will have to go back to history and read what he said, what he professed 60,70, or 80 years ago and that still is very valid today. Sorry, Mr. Deputy Chairman, Sir, in spite of all our good intentions, we may have a Constitution, we may celebrate it, we may have every 26th November as the Constitution Day of India; there is nothing bad about it, but if you do not espouse the spirit and live and work with the spirit of the Constitution, and the people who enacted the Constitution, I think this will be the farce of democracy. With these words, let us all work together to celebrate our great Constitution and pay a tribute to Dr. Ambedkar. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Praful Patel. Now, Shri K.T.S. Tulsi.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी): सर, बहस बहुत ही पॉज़िटिव हो रही है, अच्छी हो रही है। अभी प्रफुल्ल पटेल जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, लेकिन चूंकि हमारे पास समय कम है, आज इस

चर्चा को हमें खत्म करना है, इसलिए हमें लगता है कि समय के अंदर ही, जो वक्ता बोलने वाले हैं, अपनी बात को खत्म करें, यह मेरा चेयर से निवेदन है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I hope all of you heard. ...(*Interruptions*)...

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, when it comes to the turn of small parties, we are given two minutes, which is not fair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; no question of two minutes.

SHRI NARESH GUJRAL: We came to your Chamber. You assured us that if we participate in the debate, we will also be given proper time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you want two minutes? ...(*Interruptions*)... What are you talking? There is no question of two minutes. ...(*Interruptions*)... I tell you that the smaller parties categorised as 'Others' can speak from 7 to 10 minutes. Athawaleji, let me complete. ...(*Interruptions*)...

श्री रामदास अठावले: सर, मुझे ज्यादा टाइम चाहिए। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: अठावले जी, आप सुनिए। **...(व्यवधान)...** All what Athawaleji said is that we should conclude the discussion, if possible, tomorrow. That is one thing. But there was also a suggestion that tomorrow we may not have Zero Hour, etc., and, then, if it is not over, we can continue this also. That suggestion was also there. But it is for the House to decide. ...(*Interruptions*)... No, no, I have not taken any decision. I have only said this. But, however, I am saying ...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): If we do not conclude it, we should continue it till tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That we will have to. If we do not conclude it, we will have to do that. However, that doesn't mean that you should make your speech longer and longer. ...(*Interruptions*)... I am trying to accommodate all. But have self-control and self-restraint so that you try to be within your time. But I can again assure Mr. Gujral that if you want eight-ten minutes, you can take. But those who want to finish it in five minutes, let them do it. See, there are good speakers who can give brief speeches and bring every point in five minutes. Why do you worry about them? ...(*Interruptions*)... Let them do it. ...(*Interruptions*)...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Sir, good speakers like Mr. Athawale can finish it in three minutes. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yeah. Mr. Raja is here who always speaks five-six minutes and includes all points. ...(*Interruptions*)... Okay. Sorry. Yes, Mr. Tulsi.

SHRI K. T. S. TULSI (Nominated): Thank you hon. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T. K. RANGARAJAN) *in the Chair*]

I have always believed that the Constitution of India is the best Constitution in the world. As the clock struck midnight on the 15th of August, the Constitution of India not only gave us a right to equality but also gave a vote, treated men and women equal, rich and poor equal. Majority and minority were given the same rights; landlords and landless had one vote; industrialists and labourers had one vote. It is a freedom. Apart from the nine freedoms that are guaranteed by the Constitution of India, one of the freedoms is also the freedom of religion. So, therefore, I feel that while Guru Gobind Singhji gave us a turban, it is the Constitution of India which gives me the right to wear it. And, I am sure, in this country, no one will take that away. I am a bit surprised that the hon. Home Minister did not choose to express outrage over intolerance but he instead was outraged by secularism. Secularism is the cornerstone of the Constitution, and I am a bit appalled that the learned Home Minister did not take into account the times during which the Constitution was made. This Constitution was made at a time of Partition which experienced most gruesome killing of more than a million people, more were raped, when hundreds and thousands of houses were burnt and many more million people were uprooted from one part of the country to the other. The learned Home Minister did not, perhaps, take into account that the nation of India was founded on the debris of a monumental tragedy where over a million people had lost their lives. It is during this mayhem that was going on that the Constituent Assembly debated and decided on the values of our Constitution. The Constituent Assembly realized that unless paramount, significant importance was given to secularism, the nation could not be united. And, that is why, by making secularism a core value, the Constitution gave a guarantee against a theocratic state. It also gave an assurance to everyone that India was not going to be a Hindu nation; it is not going to be the same as Pakistan, which was founded on religion. The surgical wounds of Partition were thus treated by the Constitution-makers with the medicine of secularism. I wish, the learned Home Minister would have realized the significance of this and not only that this guarantee was given at that time. I believe that the liberal and secular values of this country have made us a great nation over the years. It is on account of this that India has progressed. It healed the wounds of Partition. In comparison with the Muslims in the world, the Indian Muslim, I believe, because of the secular character of the Constitution, has been most peaceful. They have stayed away from the wars of the Muslims across the world. Whether it was Pakistan, Afghanistan, Libya, Iraq, Syria or Egypt, the Indian

Muslim has remain unconcerned about those developments and he has reused to join the *Taliban* or *Al-Qaeda*. But for a few aberrations, the Indian Muslim has been a loyal and patriotic citizen because of secularism. The equality, the representation given to the Muslims, the freedom to settle anywhere and the guarantee of education and employment have strengthened secularism and Indian Muslims have never waged a war against the nation. A few aberrations cannot be taken as an act of significant disloyalty. The successive governments in this country have also lived up to the pledge of secularism. There may be many grievances, but they have largely been resolved by dialogue. The freedom of speech was a freedom guaranteed not only on paper, but was actually implemented on the ground. The Constitution and successive governments drew inspiration from *Ashoka*. Our forefathers asked us to respect differences amongst each other and the Constitution-makers told us that all of us would equally belong to India. The Indian Muslim, I want to submit, is not a first or a second generation resident of India and that is why, sometimes when the statement is made by Ministers, Chief Ministers and others that *Hindustan* is for *Hindus* and the others can go away, I want to say to them that the Indian Muslim has not come from anywhere; they have been living here for centuries and they have nowhere to go. There have been loss of lives in our country. There has been communal violence, but I want to submit that it has been only an aberration. If you consider the violence that has been let loose by the West on the Muslims of the world, the US War on Terror has killed two million Muslims since 9/11. In Iraq and Afghanistan, more than four million Muslims have been killed. In India, there have been violence and casualty, at the most, in a couple of hundreds. Those are only aberrations and those kinds of differences cannot be used for dubbing the entire Muslim community that they can go away. I also want to mention that I am terribly disappointed with the political slant that has been given by the Government to the *satyagrah* by artistes, *satyagrah* of poets, *satyagrah* of writers, scientists and historians against intolerance. I thought that the Government would like to reinforce with full vigour the idea of India and say that physical violence can never be an answer to a contrary opinion. But nothing of the sort happened. I don't know why we don't realize that a few incidents did create a sense of fear amongst the sensitive artistes, the sensitive souls which are artistes, etc., and all that artistes can do is make a symbolic protest and that symbolic protest is in the form of return of awards. These awards are earned by them with sweat and tears of lifelong work and these awards are dearer to these people than their own children. They are the highest points of their lives. And if they are returning it, instead of understanding their pain and their anguish and healing their wounds and addressing their fears, a political twist is given by saying that this is a manufactured rebellion. The Government fails to realize that there is always a

[Shri K. T. S. Tulsi]

tipping point and in this tipping point perhaps was arrived when a person, on a mere rumour, was killed in a most brutal fashion in his own house. Also, they say, why they are protesting now. My answer to the Government is, they are protesting now because the tipping point is reached. When Nirbhaya incident took place, lakhs of people collected in India Gate lawns. Never before had they collected for protesting against a rape? Rape takes place every hour in India but there was a tipping point, the horror of the crime, which brought people out of their homes. Could anybody ask them why now these are things which happen and which have to be understood in the correct perspective? I do believe that Bihar Assembly results will clear the clouds on the idea of India. People have voted resoundingly for freedom, for debate, for diversity, for tolerance; they have voted for the idea of Mahatma Gandhi; they have voted for Tagore; they have reasserted the constitutional pledge of the freedom of religion. I beg this Government not to write off the intellectuals. They are the pride of the nation and they have done yeomen's service in the making of India. Please talk to them, engage them and understand them, and, for God's sake, don't abuse them with the judgement of manufactured protest. Thank you.

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संविधान दिवस पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। आजादी के बाद पहली बार 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इसके जरिए हमारी जनता और विशेष रूप से युवा वर्ग को संविधान के बारे में तथा संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर के विचारों और उनके जीवन के बारे में जानने का मौका मिलेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रोग्राम हर साल होने चाहिए, ताकि जनता को संविधान के बारे में जानकारी मिल सके और वह अपना विकास कर सके। उपसभाध्यक्ष महोदय, संविधान के निर्माण में डा. अम्बेडकर का अहम योगदान है। डा. अम्बेडकर अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए दिन-रात संविधान का मसौदा तैयार करने में व्यस्त रहे। भिन्न-भिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और रहन-सहन वाले देश को एक सूत्र में बाँध कर एकत्रित रख सकने वाले संविधान की उन्होंने रचना की। संविधान का खाका 4 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपने भाषण में संविधान की विशेषताओं का विश्लेषण किया। भाषण का समापन करते हुए डा. अम्बेडकर ने कहा था, "यह संविधान प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने योग्य है, लचीला है, साथ ही शान्ति के दिनों या युद्ध काल में देश की एकता को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए अत्यंत प्रभावशाली और सक्षम है। यदि संविधान का सही प्रकार से अनुसरण नहीं हो पाया, तो यह कहना होगा कि दोष संविधान का नहीं, बल्कि मनुष्यों में बसे अवगुणों का है"। 26 नवंबर, 1949 को अंतिम रूप से संविधान के ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद संविधान को देश में लागू किया गया।

इस संविधान के निर्माण में बाबा साहेब अम्बेडकर का अहम योगदान रहा। उनके कारण ही

संविधान में धर्म की स्वतंत्रता तथा विस्तृत नागरिक आजादी की आधारशिला रखी गई। उनके कारण ही छुआछूत का अंत हुआ। प्रीतम रामदासपुरी के शब्दों में अम्बेडकर के योगदान को इस प्रकार दर्शाया गया है।

"इन ख़िज़ाओं में बहारों का समां पैदा किया,
अपने फिक्रे नुक्ता आरा से विधां पैदा किया,
यानी फिर से इक नया हिन्दोस्तां पैदा किया,
हिन्द का आईन तेरा पर तू एजाज़ है,
हिन्दोस्तां को हस्ती ए अम्बेडकर पर नाज़ है।"

— अर्थात् हिन्दी में,

"पतझड़ में तूने बहारों का दृश्य पैदा कर दिया,
और अपने विशेष चिन्तन से विधान को जन्म दिया,
अर्थात् तूने फिर से एक बार भारत का निर्माण किया,
भारत का संविधान तेरा चमत्कार है
ऐ अम्बेडकर, तेरे महान व्यक्तित्व पर भारत को अभिमान है"।

हमारा संविधान सहज, सफल व प्रगतिशील है। संविधान को बने 66 वर्ष हो गए हैं। इन 66 वर्षों में हमारे देश में 16 लोक सभा के और 300 विधान सभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में बहुत ही आसानी से सत्ता का हस्तांतरण होता रहा है। यह हमारे संविधान की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है।

हमारे संविधान ने हमें बहुत सी चीजें दीं और इसकी बहुत सी विशेषताएँ हैं। इनमें से मुख्य है — वोट का अधिकार। उन्होंने हमें यह एक बहुत ही बढ़िया अधिकार दिया है। आजादी से पहले सभी को वोट का अधिकार नहीं था। वोट का अधिकार कुछ लोगों तक ही सीमित था। उन लोगों को ही वोट का अधिकार था, जिनके पास जायदाद थी या जो पढ़े-लिखे होते थे। इस बात की कल्पना की जा सकती है कि उस समय कितने लोगों के पास जायदाद होगी और कितने लोग पढ़े-लिखे होंगे। जब ऐसा था, तो उस समय कितने लोगों को वोट का अधिकार होगा। आज इस संविधान में डा. अम्बेडकर ने हरेक नागरिक को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को वोट का अधिकार दिया है। इस वोट के अधिकार से हरेक नागरिक अपनी ताकत से आगे बढ़ने का काम करता है और अपना विकास करता है। मैं यहां तक कह सकता हूँ कि वोट की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि इस वोट की ताकत से हरेक नागरिक आगे बढ़ने का काम कर सकता है। जो काम वह बड़ी-बड़ी डिग्री लेकर नहीं कर सकता है, वोट की ताकत का सहारा लेकर वह बड़े-से-बड़े पद पर जा सकता है। वह एमएलए बन सकता है, वह एमपी बन सकता है, वह मिनिस्टर बन सकता है, वह प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वह राष्ट्रपति बन सकता है। यह ताकत किसने दी? यह ताकत हमारे संविधान निर्माताओं ने दी, डा. अम्बेडकर साहब ने दी। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ।

साथियों, इसके बाद मौलिक अधिकार की बात आती है। आजादी से पहले हमें मौलिक अधिकार नहीं थे, हमें बोलने की आजादी नहीं थी, हमें अपना काम-धंधा करने की आजादी नहीं थी, हमें

[श्री राम कुमार कश्यप]

3.00 P.M.

अपने धर्म में विश्वास करने की आजादी नहीं थी। इस संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए। आज इन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके हम अपने आपको विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं।

मैं यह कहना चाहूँगा कि उस समय महिलाओं को भी वोट का अधिकार नहीं था। वह वोट का अधिकार भी हमारे संविधान ने दिया है। इस वोट के अधिकार के कारण ही आज राज्य सभा में 31 महिलाएँ एमपी हैं और इस सदन में सुशोभित हैं। यह हमारे संविधान की ही विशेषता है।

अब मैं छुआछूत के अंत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आजादी से पहले हमारे देश में छुआछूत का बड़ा जोर था, समाज में बहुत सी कुरीतियां थीं। समाज के छोटे वर्गों को बहुत ही नीची नजरों से देखा जाता था। यहां तक कि मैंने अपने बचपन में देखा है कि सवर्ण जाति के लोग चारपाई पर पैर फैलाए बैठे होते थे और जब कोई शूद्र या दलित उनसे मिलने जाता था, तो वह उनके पैरों के सामने बैठ कर हाथ जोड़े रहता था और उनका आदेश सुनता रहता था। इस प्रकार का समाज था। उस समाज को बदलने का काम किसने किया? यह काम अम्बेडकर साहब ने किया।

स्वयं अम्बेडकर साहब को अपने जीवन में उन्हीं यातनाओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने छुआछूत को खत्म कराया। आज सभी भाई बराबर हैं, सब साथ बैठते हैं, सभी एक-साथ बैठकर खाना खाते हैं। यह किसकी देन है? हमारे संविधान की देन है, अम्बेडकर साहब की देन है, विधान सभा, विधायिका के अन्य सदस्यगणों की देन है। उस समय एक कंसेप्ट और था— 'शूद्र, पशु और नारी, ये प्रताड़ना के अधिकारी'। शूद्रों के साथ एक प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता था, नारियों के साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता था। इस कंसेप्ट को किसने खत्म कराया? इस कंसेप्ट को डा. अम्बेडकर साहब ने खत्म कराया। मैं अम्बेडकर साहब को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। जो एससी, एसटी के लोग हैं, उन्होंने उनको राजनीति में, नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दिया, जो वाकई इसके हकदार थे, क्योंकि विकास की स्पीड में ये लोग काफी पीछे रह गए थे। उनको साथ लाने के लिए संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान किया, वह इनका बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके कारण ही आज हमारे दलित भाई राजनीति में हैं, उच्च पदों पर हैं, शिक्षा में आगे हैं, नौकरी में आगे हैं। यह इसी संविधान की देन है। मैं इसके लिए डॉ अम्बेडकर साहब को बधाई देना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष जी, जब वी. पी. सिंह साहब की सरकार थी, उस समय पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 27 परसेंट के आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसके बूते पर उनके आगे बढ़ने का काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि राजनीति में भी अगर पिछड़ों को 27 परसेंट आरक्षण मिलेगा, तो ये पिछड़े वर्ग के लोग भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसके लिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी इसके लिए सहयोग देने का काम करें। अम्बेडकर साहब के योगदान को देखते हुए अटल जी की सरकार की अनुशंसा में उनको भारत-रत्न की उपाधि देने का काम किया गया और उसको देने में हमारी पार्टी के नेता स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी का विशेष योगदान रहा। वे इसके हकदार थे।

महोदय, अंत में, मैं एक बात बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूँ। मैं हरियाणा से आता हूँ, कुरुक्षेत्र में रहता हूँ। जब सारा देश 26 नवंबर को "संविधान-दिवस" मना रहा था, बाबा साहेब की जयंती मना रहा था, तो कुरुक्षेत्र में एक घिनौना काम हुआ। उनकी मूर्ति को किसी असामाजिक तत्व ने, बैड एलिमेंट ने खंडित करने का काम किया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस ओर ध्यान दे कि आगे से इस प्रकार की घिनौनी हरकतें न हों। किसी की भी मूर्ति हो, उन मूर्तियों की सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए। मैं कुरुक्षेत्र प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ कि प्रशासन ने हरकत में आकर लोगों को आश्वासन दिया है और आगे उनकी कांसे की मूर्ति बनाने की बात कही है।

मैं सरकार से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि दो दिन से संविधान के ऊपर और डा. अम्बेडकर साहब के ऊपर सदन में बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चा के अंत में इसके ऊपर समराइज होकर, सारा विचार होकर जो संविधान में कमियां सामने आई हैं, उनको ठीक करने का काम किया जाए और हम सब लोगों को, सरकारों को डा. अम्बेडकर साहब के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि देश का विकास हो सके।

अंत में, एक कविता के माध्यम से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा—

"निराली शान से रहा, जब तक जिंदा।
चला है सूए अदम शाने, इनफरादी से।
जहां फानी से रखते सफर वह बांध चला।
कभी जो जा न सकेगा दिलों की वादी से।"

जय भारत। जय भीम।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Thank you. Now, Shri M.J. Akbar.

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Sir, it is the maiden speech of Shri M.J. Akbar. सर, पहली बार बोल रहे हैं।

SHRI M. J. AKBAR (Jharkhand): Mr. Vice-Chairman, Sir, with your permission, I rise to speak here. It is always a high honour to speak in a Chamber that echoes with the sense and sensibility of our modern history, and, it is even a higher honour to speak on the occasion when we speak in memory of Dr. Ambedkar.

सर, कई जिंदगियां ऐसी होती हैं, जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है, ये ऐसी जिंदगियां हैं, जिन्होंने हमारे इतिहास को रचा है। हमें लगता है कि कहीं न कहीं उनकी नींव जो है, किसी एक दर्द में बसी हुई है। एक समय था, वह कहानी शायद आप सबको मालूम है कि गांधी जी एक ट्रेन में बैठे थे और वहां साउथ अफ्रीका में उनके साथ जो हुआ, उनके साथ जो गुजरी, उनके मन पर गुजरी, उनके दिल पर गुजरी, वहां से एक नया विज़न निकला और वह विज़न हमें और सारी दुनिया को आजादी के रास्ते पर ले चला। उसी वक्त, उसी समय की एक और कहानी थी, जिस कहानी को हम शायद भूल गए हैं। मैं जब अपनी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रिसर्च कर रहा था, तब यह कहानी मुझे नज़र आई। जब बाबा साहेब अम्बेडकर बच्चे थे, उस

[Shri M. J. Akbar]

समय अपने भाई और अपने कज़िन के साथ वे ट्रेन पर बैठे और अपने वालिद को मिलने गए। महाराष्ट्र में एक गांव है, गोरेगांव, वहां उनके वालिद की पोस्टिंग हुई थी। जब वे वहां पहुंचे, तो जो चिट्ठी भेजी गई थी, वह चिट्ठी उनके वालिद को नहीं मिली थी। जब वे स्टेशन पर उतरे, उन्होंने स्टेशन मास्टर को देखा, लेकिन वहां कोई उन्हें लेने नहीं आया था। तब उन्होंने वहां से एक बैलगाड़ी ली, लेकिन कुछ ही क्षणों में बैलगाड़ी का जो मालिक था, उसे पता चल गया कि यह दलित है, तो उसने उन्हें अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया। यह घटना उस बच्चे के दिल पर लग गई।

महानता के ऊपर स्मारक तो बहुत बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक-दो स्मारक दर्द के भी बनने चाहिए। उस गांव में जाकर हम एक स्मारक बनवा दें। हम अगर याद दिलाएं, चलो साउथ अफ्रीका में तो रेसिज्म होता था, लेकिन हमारे मुल्क में भी कम नहीं होता था, लेकिन हम कभी-कभी अपनी याददाश्त कमज़ोर कर देते हैं। अम्बेडकर जी की जिन्दगी का जो अंश था, जिसके बारे में आज हम मिले हैं, वह है उनका relationship to the Constitution of India. He was certainly not the only architect, लेकिन वे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे। हम उन्हें क्यों याद करते हैं, उसका एक कारण तो प्रैक्टिकल है, लेकिन शायद आपको और इस सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने सारी ड्राफ्टिंग 141 दिन में खत्म कर दी थी। सिर्फ 141 वर्किंग डेज़ के अन्दर ही उन्होंने यह काम खत्म कर दिया था और मैं कभी-कभी सोचता हूं, प्लीज़, आप इसको पार्टिज्म मत समझें, 141 महीने हो गए और आज तक हम जीएसटी बिल को पास नहीं कर सके हैं । ....**(व्यवधान)**... चाहे जिसकी गलती भी हो, देखिए, सब लोग इस चीज़ में शामिल हैं। मैं इसमें पार्टिज्म नहीं लाना चाहता। सच में नहीं लाना चाहता।

मुख्तार अब्बास नक़वी : यह माननीय सदस्य की मेडन स्पीच है। पहले इन्हें अपनी बात सदन के सामने रख लेने दीजिए।

श्री एम.जे. अकबर : उनका जो 141 दिन का काम था, अगर हमें उसके बारे में समझना है, शायद अभी भी लोग श्री टी. टी. कृष्णमचारी का नाम याद करते होंगे, मैं उनको क्वोट करना चाहता हूं, जिससे यह बात क्लीयर हो जाएगी कि एक्चुअली उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का फादर या वालिद क्यों कहा जाता है? इसी सदन में, यानी कांस्टीट्यूएंट असैम्बली में उन्होंने बताया कि हम क्यों इनका आदर करते हैं, क्यों सम्मान दे रहे हैं? यह कमेटी सात मेम्बर्स की थी, of seven, one resigned, but was replaced; one died, not replaced; one away in America for a long period; another engaged in State affairs; and two lived far away from Delhi, and health could not permit frequent travel. So, actually, the heavy lifting of the Constitution was done by Dr. Ambedkar. The other Committee members did not lend their weight to the Committee. उनकी जो जगह है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं समझता हूं कि आज उनको याद रखना बहुत जरूरी है। इतिहास के बारे में बहुत से लोगों ने अपनी बात कही है, मैं समझता हूं कि यह भी एक सूचना है।

मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। I yield to no one in my admiration to Jawaharlal Nehru, मैंने उनके ऊपर किताब लिखी है। I admire him. But all text should be put into context. That is the responsibility of anyone trying to remember history. 1946 में

इंटेरिम गवर्नमेंट बनी थी। अम्बेडकर जी उस वक्त वायसराय काउंसिल के लेबर मेम्बर थे, लेकिन 1946 में उनको सरकार में नहीं लिया गया, वहीं जगजीवन राम, जिनकी उम्र मेरे ख्याल से उस वक्त 27-28 वर्ष भी नहीं थी, उनको कैबिनेट में ले लिया गया। मैं यह बताना चाहूंगा कि यह कांस्टीट्यूएंट असैम्बली आज़ादी से पहले की है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनने से पहले की है। अगर हमें समझना है कि ड्राफ्ट कमेटी में उन्होंने क्या किया, तो दिसम्बर, 1946 में objective resolution के बारे में उनकी जो स्पीच है, जिसके बारे में मेरे मित्र गुलाम नबी जी ने भी बहुत कहा है और सही कहा है, उसे समझना जरूरी है। वे Constituent Assembly में बंगाल से आये, यहां पर यह भी बहुत कहा गया, लेकिन शायद किसी ने इसे याद नहीं किया कि किस पार्टी द्वारा उनको लाया गया। ज़रा सा खोज लीजिएगा तो आश्चर्य होगा, क्योंकि मैं यह बोलने नहीं वाला हूँ। वे वहां से आये, तो objective resolution जब पास हुआ, तो मैं समझता हूँ कि Constitution का जो operative fundamental principle है, वह उन्होंने अपनी स्पीच में—13 दिसम्बर को जवाहरलाल नेहरू ने अपने objective resolution में, as usual, Jawaharlal was very eloquent, उन्होंने कहा कि this is a contract with millions of Indians and, therefore, in the nature of an oath, which we mean to keep. तो इस objective resolution के क्लॉज़ 5 और क्लॉज़ 6 तो आप सब जानते हैं, आपने देखा भी होगा। 17 दिसम्बर, 1946 को अम्बेडकर साहब इस सदन में उठते हैं और वे कहते हैं कि मैं जवाहरलाल की sincerity के ऊपर उँगली नहीं उठाता हूँ। शायद उनका दिल अगर तड़प रहा था, तो इसलिए तड़प रहा था कि जवाहरलाल जैसे एक व्यक्ति, एक सोशलिस्ट, एक हीरो की जब आशाएँ बड़ी होती हैं, तो दुख भी बड़ा होता है। तो जवाहरलाल के बारे में वे कहते हैं, जिसे मैं क्वोट करूँगा from that speech. "I must confess that, coming as the Resolution does from Pandit Jawaharlal Nehru who is reputed to be a Socialist, this Resolution, although non-controversial-- वह इसलिए non-controversial था, क्योंकि जो objective resolutions थे, वे हमारी आज़ादी के मूवमेंट का value system था, जो 1928 में मोती लाल नेहरु जी की 'नेहरु रिपोर्ट' थी, वहां से निकलते हुए थी और कराची रिजॉल्यूशन से निकलते हुए थी, सब सम्मिलित थी, मतलब सारे लोगों को उस पर कोई आपत्ति नहीं थी। "is, to my mind, very disappointing. I should have expected him to go further". क्यों? उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। मैं समझता हूँ कि वह जो बात है, आज तक बहुत जबरदस्त और बहुत लागू है। He said, there cannot be any rights without remedies. आप मुझे क्या rights दे रहे हैं? आप remedy का रास्ता बताइए। जब तक remedy का रास्ता objectives में नहीं रहेगा, तब तक rights are, in his words, pure pedantry. यह principle उन्होंने फिर कांस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया कि कांस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन रहेगा, यह नहीं कि सिर्फ objective resolution में वादा बन कर रह जायेगा। Remedies का सिलसिला था। यह बात हम सब जानते हैं कि डा. अम्बेडकर की जो रिलेशनशिप गांधी जी के साथ थी, कभी कोऑपरेटिव थी, कभी adversarial थी। ऐसा इसलिए था, क्योंकि हर बार कहते थे कि भाई, सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी। हमें यह बताइए कि कानून क्या है और वह कानून कांस्टीट्यूशनल कैसे हो सकता है?

सर, हम सब कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को ऐतिहासिक कहते हैं, लेकिन आखिर यह ऐतिहासिक क्यों है? अगर इसे ऐतिहासिक कहते हैं, तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि we can never say, anything is historical without understanding the historical moment in which

[Shri M. J. Akbar]

it was written. वह कौन सा moment था? सारी दुनिया के इतिहास में वह बहुत जबरदस्त moment था, क्योंकि अगर यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इस देश से शुरू होता है, तो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इस देश से खत्म भी होता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात 1947 और 1950 में हो रही थी। 1000 साल का जो इंटरनेशनल ऑर्डर था, वह 100 साल के अन्दर चूर हो गया। दुनिया के जितने महान एम्पायर्स थे, अगर चीन का हवाला देना है, तो 1840 या 1850 ले लीजिए, 1960 तक सारे खत्म हो गये। हिन्दुस्तान का मुगल एम्पायर, चीन का एम्पायर, पर्शिया का सफाविद एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, Tsarist Empire खत्म हो गये, Spanish Empire भी खत्म हो गया। उसके बाद अंत में अंग्रेज़ों ने कुछ वक्त इतिहास से मांग लिया, क्योंकि उन्होंने कॉलोनाइजेशन की जगह पर कई जगह neocolonisation को जन्म दे दिया। What is neocolonisation? Neocolonisation is the grant of independence as long as you don't exercise it. लेकिन, neocolonisation नहीं चल सका। यही मैं बार-बार कहता हूँ if the challenge of the 19th and 20th century was the challenge against colonisation, then the challenge of the 20th and 21st centuries is what do you do with nationalism. नेशन तो मिल गए लेकिन नेशन के साथ हम करें क्या? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने आपको मॉडर्न नेशन कहते हैं। नेशन तो हैं, नेशन आज भी थे, कल भी थे लेकिन यह नेशन का मतलब सब समझते हैं? मॉडर्न का मतलब क्या हुआ, बताओ, और जब तक हम मॉडर्न का मतलब नहीं समझेंगे, हम मॉडर्नाइजेशन नहीं समझेंगे और मैं आपको कहता हूं कि अगर इतिहास सही से लिखा जाए तो Indian Constitution is the Magna Carta of the next five hundred years. क्योंकि Indian Constitution ने इस लफ्ज 'modernity' को define किया है। यह modernity क्या है? Modernity के चार basic non-negotiable principles हैं। एक तो है democracy, डेमोक्रेसी के बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सब समझते हैं, डेमोक्रेसी, इसकी आजादी समझते हैं और कभी-कभी हम जरूरत से ज्यादा आजाद हो जाते हैं लेकिन वह भी सही है। दूसरा, इस बात को मैं खास तौर पर अपनी तरफ से इस पर जरा सा तवज्जह देना चाहता हूं। दूसरा, आप modern nation नहीं हो सकते हैं जब तक आपने अपने संविधान में faith equality का मतलब नहीं समझाया, उसको enshrine नहीं किया। आज जो दुनिया में लड़ाइयां हो रही हैं, जिसके बारे में भी चर्चा हुई है, वे सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि हमारे पश्चिम में कई मुल्क हैं, जिन्होंने faith supremacy को मान लिया है। Faith supremacy modern देश में नहीं चल सकता। हां, विवाद होता है यहां पर लफ्ज़ 'secularism' का। मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। मैं अपने आपको secular मानता हूं और इसके बारे में मैं चर्चा जरूर करना चाहता हूं। क्यों? सेक्युलर हमारे कांस्टीट्यूशन में शब्द है, लेकिन इसके मायने क्या हैं? यह यूरोप से निकला हुआ शब्द है। इसके दो political origins या दो sources हैं। एक है French Revolution, या तो Voltaire और Rousseau का मान लीजिए, which is separation of Church and State और या वह Karl Marx का मान लीजिए which is the abolition of Church यानी कि मज़हब को निकाल दो। *Majhab* is the opium of the masses. लेकिन हमारा जो secularism है वह इन दोनों से अलग है। हमारा secularism is not for the abolition of *majhab*. कोई भी यहां पर खड़ा होकर कह दे, हिन्दुस्तान में आप मज़हब को हटा दीजिए या धर्म को हटा दीजिए तो आप दो दिन नहीं चल पाएंगे। हम जरूर मानते हैं कि the State has no religion. But the reality is that we believe in the equality of faith rather than the separation or elimination

of faith. और यह बात सिर्फ हमारे कानून में नहीं है, यह हमारे ईमान में है। और इसीलिए गाधी जी हमारे secularism को "रामराज्य" कहते थे। क्या गाधी जी communal हो गए थे जब उन्होंने "रामराज्य" वर्ड का इस्तेमाल किया? क्यों उन्होंने इस्तेमाल किया था? क्योंकि वह हमारे यहां उदाहरण दे रहे थे कि हजारों साल से इस जमीन पर सर्व धर्म समभाव है। हमें सर्व धर्म समभाव के लिए किसी और से सीखने की जरूरत नहीं, यह कह रहे थे। और आपको मैं कहता हूं, उससे बढ़कर कहता हूं कि मेरा देश ऐसा देश है, मेरा देश एक वाहिद देश है जहां पर audible secularism है, यानी कि हर सुबह, आज से नहीं, 1400 सालों से हर सुबह शुरू होती है बिलाल की अज़ान से और उसके बाद हनुमान मंदिर की घंटी बजती है, उसके बाद गुरु का पाठ होता है और उसके बाद अगर इतवार हो तो चर्च की घंटी बजती है। आप वॉशिंगटन में चले जाइए, लंदन में चले जाइए, आपको अज़ान नहीं सुनाई देगी। और हमारे यहां जैसा मैंने कहा कि 1400 साल से अज़ान सुनाने दी गई है और 1400 साल आगे भी दी जाएगी। इसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए नहीं कि किसी सरकार ने इसको बचाया है, इसलिए कि हर हिन्दुस्तानी ने अज़ान को बचाया है। इसका मतलब है हिन्दुस्तान का secularism.

तीसरी बात gender equality की है। आप मॉडर्न देश नहीं बन सकते हैं, जब तक आपके देश में gender equality नहीं होगी, तब तक यह नहीं हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं। सर, Maurice Zinkin, ब्रिटिश राज के आखिरी फाइनैंस मेम्बर थे, फाइनैंस मिनिस्टर थे। उनकी बीवी, Taya Zinkin थी। 1955 या 1956 में Taya Zinkin हिन्दुस्तान वापस आई as a Special Correspondent of The Manchester, Guardian. वे जवाहरलाल नेहरू के सोशल फ्रेंड्स थे। उस जमाने में ऐसी सिक्युरिटी नहीं होती थी, इसलिए वे जवाहरलाल के घर पर आते-जाते थे। शायद यह 1961 की बात होगी, यह बात उनकी किताब में है। एक दिन Taya Zinkin जवाहरलाल के घर जाती है, वह कोई AICC session से आए थे और Taya ने देखा कि कुछ घबराहट तो नहीं, लेकिन Jawaharlal बहुत थके हुए जरूर लग रहे थे। तो उन्होंने फिर बात छेड़ी और उन्होंने जवाहरलाल से पूछाः "What is your greatest achievement in life?" जवाहरलाल थे, वे आसानी से कह सकते थे, "यह आज़ादी, फ्रीडम मूवमेंट, हमने आज़ादी दी।" नहीं, उन्होंने कहा, "मेरा जो most successful achievement था, वह 'हिन्दू कोड बिल' था।" उसके बाद Taya Zinkin ने एक सवाल पूछा, जिसका जवाब हम आज तक नहीं दे सके। उन्होंने पूछा, "आपने हिन्दू औरतों को तो equality और एकता दे दी है, लेकिन आपने यह मुसलमान औरतों को क्यों नहीं दी?" उस पर जवाहरलाल का जवाब था, उन्होंने कहा, "You know the time was not right." वक्त उस समय सही नहीं था। समझ में आता है, वक्त उस समय सही नहीं था, लेकिन सही वक्त कब आएगा? शाह बानो के जमाने में सही वक्त नहीं था, तो कब आएगा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत दिल से, ज़बान से और यकीन से कहा रहा हूँ कि किसी भी कौम के ऊपर आप कोई भी कानून थोप नहीं सकते, लेकिन बातचीत तो कीजिए। सर, बातचीत तो कीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप लोगों से बातचीत तो कीजिए। हमें यह तो नहीं पढ़ना पड़े कि कोई कहीं से कह रहा है कि अगर आप equality देंगे, तो वह इस्लाम के खिलाफ होगा। यह आज के ही अख़बारों में है। मैं यह सुन कर बहुत हैरान हो गया। इस्लाम एक रिवॉल्यूश्नरी मज़हब है। सातवीं सदी में इन्होंने औरतों को जो राइट्स दिए थे, वे कहीं नहीं मिले थे, यह वह इस्लाम है। इस्लाम की पहली मुसलमान एक औरत है, जिनका नाम ख़दीजा है। इस्लाम में औरतें पहले आईं, क्योंकि यहां पर इस्लाम ने उनको राइट्स दिए। इस डिबेट में हर मुसलमान

[Shri M. J. Akbar]

को औरों से आगे होना चाहिए था और देखिए, हम पीछे-पीछे हैं। इसलिए फिर मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज को किसी कौम के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, लेकिन ज़बान बंद भी रखना तो कहीं न कहीं एक गलती है।

चौथी बात यह है कि there cannot be anything called 'economic equality'. अगर economic equity भी नहीं होगी, तो आप अपने आप को मॉडर्न नहीं कह सकते हैं। Economic equity का मतलब क्या है? Economic equity का मतलब है कि गरीब समझे कि यह जो rising economic growth है, उसके हिस्सेदार हम भी हैं। देखिए, गरीब बेवकूफ नहीं होता है, वह नहीं समझता है कि मैं झोंपड़ी में पैदा हुआ हूँ और मैं महल में मरूंगा। वह बेवकूफ नहीं है। आपने गरीब को तालीम नहीं दी है, इसका यह मतलब नहीं है कि आज वह बेवकूफ है, लेकिन यह कहना उसका हक है कि अगर मैं दो रोटी खाते हुए पैदा हुआ था, तो मरने के वक्त क्या मेरे नसीब में चार रोटी नहीं होगी? यह हक उसे है या नहीं? अगर छत नहीं थी, तो छत नहीं होगी? बड़े आंकड़े निकलते हैं। 1950 में below the poverty line का परसेंटेज 65 था और आज 30 है। देखिए, अगर आप और हम तीन वक्त का खाना खा चुके हैं और चौथे वक्त का इसलिए नहीं खा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि चौथे वक्त का खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, तब तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने 60 से 30 कर दिया। जिसके नसीब में एक भी दिन का खाना नहीं होता है, उससे जाकर पूछिए। वह पूछ रहा है, "तुम्हें 60 से 30 करने में 70 साल लगे, क्या और 70 साल लगेंगे 30 से शून्य करने में?" क्या इसमें और 70 साल लगेंगे, वह यह सवाल पूछ रहा है। अगर सदन इस सवाल का जवाब नहीं देता है, तो भूखा इस सदन को नहीं चलने देगा... हमारे संविधान में लिखा है— poverty alleviation. मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि जब मैंने अपने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुँह से सुना कि poverty alleviation का जमाना खत्म हो गया है, poverty elimination का जमाना आ गया है, तो मैं यही समझता हूँ कि इस बात पर तो हम सब एक हो जाएँ! बाकी 30 दिन तो हम अलग रहेंगे, नोक-झोंक होगी, आप कुछ कहेंगे, मैं कुछ कहूँगा, लेकिन हम इस बात पर तो एक हो जाएँ कि poverty elimination ही हमारी तकदीर है और कुछ नहीं है। जब वे यह कहते हैं कि हिन्दू को तय करना पड़ेगा कि वह मुसलमान से लड़ेगा या गरीबी से लड़ेगा और मुसलमान को यह तय करना पड़ेगा कि वह हिन्दू से लड़ेगा या गरीबी से लड़ेगा, तो इसके सिवा कहने को है क्या? देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**... सदन का वक्त है, बोलने के लिए और मेम्बरान भी हैं। ...**(व्यवधान)**... देखिए, अगर हम अपने आपको एक मॉडर्न नेशन बनाना चाहते हैं, तो सारी पार्टियों से मेरी एक अपील है। आपको एक चीज़ तय करनी पड़ेगी। इलेक्शंस होंगे, हर तीन महीने पर होंगे, हर छः महीने पर होंगे, हर साल होंगे। हमें सदन में यह तय करना पड़ेगा कि हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वह पिछले 25 साल का आखिरी इलेक्शन है या अगले 25 साल का पहला इलेक्शन है। मैं कहता हूँ कि जिस दिन दिमाग में इस बात की सफाई हो जाएगी, उस दिन विवाद भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगले 25 साल का जो इलेक्शन है, वह गरीबी का इलेक्शन है, वह मजहब का इलेक्शन नहीं है। जो बांटता है, वह उसका इलेक्शन नहीं है, जो जोड़ता है, वह उसका इलेक्शन है। जहां से भी आवाज उठे, यह विवाद खत्म हो। डा. अम्बेडकर की "डिप्रेस्ड क्लासेस" नाम की एक अपनी पार्टी थी। सन् 1950 में उनके नाम पर बॉम्बे में एक बहुत बड़ा जश्न हुआ, क्योंकि तब ड्राफ्टिंग

कमिटी का काम खत्म हो गया था। वहां पर उन्हें gold-edged copy of the draft Constitution दिया गया। तब उन्होंने सिर्फ एक बात कही। उन्होंने अपनी कम्युनिटी से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम किस पीड़ा से निकले हो। खुद उनको अपना दुःख था। मैंने यह कहा, फिर दोबारा कहूँगा कि महाराष्ट्र में उनकी महानता पर तो बहुत से स्मारक बने हैं, कहीं एक स्मारक तो उनके दर्द पर बनाइए। सब कुछ सहकर उन्होंने कहा कि अपनी कम्युनिटी की बात तो जरूर कहो, लेकिन तुम्हारी कम्युनिटी से भी एक चीज़ बड़ी है और वह है तुम्हारा देश। अगर तुम इस बात को याद नहीं रखोगे, तो your independence will be in jeopardy, your freedom will be in jeopardy. आज our freedom is not in jeopardy, but may be our future is in jeopardy. मैं जाते-जाते एक बात और कह दूँ कि इस सवाल का जवाब, हमारे मित्र श्री प्रफुल्ल पटेल ने अभी जिक्र भी किया, यहां का यूथ इस सवाल का जवाब जानता है। उसको चाहिए अगले 25 साल का इलेक्शन, अगले 30 साल की दिशा। अगर हम वह नहीं दे पाएँगे, तो एक बात याद रखिएगा कि यह सब के लिए है, लेकिन यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। राजीव गांधी जी ने वोटिंग एज को 18 साल कर दिया। तब से सिर्फ वर्ष 2009 के इलेक्शन के सिवा आज तक कोई भी सरकार री-इलेक्ट नहीं हुई है। वर्ष 2019 में यह दूसरी बार होने वाला है, लेकिन वह एक अलग बात है। ...**(व्यवधान)**... मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यह सच में कह रहा हूँ कि यहां का यूथ इस सवाल का जवाब जानता है और वह यह चाह रहा है कि आप मुल्क को मॉडर्न बनाइए। यहां का यूथ यह चाह रहा है कि आप मुल्क को मॉडर्न बनाइए। आप मुल्क को विवादों से उठाइए। अभी हमारे लीडर की बैठक हुई। उसमें उन्होंने 377 के बारे में कहा। यही है दिशा। आप, लोगों को 19वीं सदी के पिंजरे में कब तक कैद कर के रखेंगे? वह जमाना गया, भूल जाइए। आगे की तरफ देखिए। देश आगे की तरफ देखता है। चलिए हम भी देश के साथ मिल जाएं। थैंक यू वैरी मच।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी यहां श्री एम. जे. अकबर साहब हिन्दी में बोले और इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर हिन्दी में बहुत अच्छा बोले। इसके लिए मैं उन्हें अपनी और अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अश्विनी कुमार (पंजाब): उपसभापति जी, धन्यवाद। आपने मुझे इस ऐतिहासिक चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश की पार्लियामेंट के सर्वोच्च सदनों में यह चर्चा पिछले दो दिन से चल रही है, सही मायने में यह ऐतिहासिक चर्चा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जब हम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यकीनी तौर पर यह साल हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। मैं उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य इस चर्चा को ऐतिहासिक बनाने का यह समझता हूं कि 65 साल के तज़ुर्बे के बाद, आज देश के लोग, एकजुट होकर, मिलकर हमारे संविधान की मूल मर्यादा के प्रति अपनी वचनबद्धता का इज़हार कर रहे हैं। बाबा साहेब, भीमराव अम्बेडकर, हमारे संविधान के न केवल शिल्पकार थे, बल्कि वे बहुत बड़े समाज सेवक, अर्थशास्त्री, वकील और इतिहासकार थे। उनका ज्ञान, तज़ुर्बा और अध्ययन संविधान के हर पन्ने और हर चप्पे पर अंकित है।

महोदय, हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि संविधान की रचना में देश के बहुत से महानुभाव थे। इस संविधान के निर्माण में देश के बहुत लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे पं. जवाहरलाल नेहरू, जिनके objective resolutions के माध्यम से ही हमारे संविधान की प्रस्तावना

[श्री अश्विनी कुमार]

और हमारे प्रिएम्बल की रूपरेखा निकली। डा. सच्चिदानन्द सिन्हा, जो किसी वक्त कांस्टीट्यूएंट असैम्बली के अध्यक्ष रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबू राजेंद्र प्रसाद आदि इन सभी महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान था। उन सबकी मिली-जुली कोशिश का यह नतीजा है कि देश को एक ऐसा नैशनल चार्टर, ऐसा संविधान मिला, जिसने देश को एक डोर में बांधने की भूमिका निभाई और हमारे देश को एक ऐसा लोकतंत्र दिया, जिसकी मिसाल सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलती।

महोदय, अगर आप मुझ से, संविधान का एक स्टूडेंट होने के नाते, यह पूछें कि हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग या पार्ट कौन सा है, तो मैं यह कहूंगा कि संविधान की प्रस्तावना, संविधान का जो प्रिएम्बल है, वह हमारे संविधान की आत्मा है, जहां Liberty, equality, freedom और fraternity की बात हुई। इन चार शब्दों ने हमारे लोकतंत्र को हमारे समाज और हमारी राजनीति को दिशा दी है और देते रहेंगे।

(उपसभापति महोदय *पीठासीन हुए*)

सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यह कहा है कि Preamble का हर शब्द संविधान की आत्मा को परिभाषित करता है। मैं जिक्र करना चाहता हूं, उस खास देन का, जो संविधान ने इस देश के लोगों को दी और जिसके कारण हिन्दुस्तान का संविधान वह संविधान है, जिसको दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालतों में क्वोट किया जाता है, जिसका उदाहरण दिया जाता है और वह है, Dignity of Man, इंसान का आत्म-सम्मान। संविधान में हर भारतीय को आत्म-सम्मान का वादा किया गया है और वह आत्म-सम्मान देशवालों को कैसे प्राप्त हो, किस माध्यम से प्राप्त हो, उसको Fundamental Rights, मूल अधिकारों के चैप्टर में अंकित किया गया है, जहां हमें बोलने की आज़ादी, अपने विचारों की आज़ादी, अपने धर्म की आज़ादी और हम क्या पेशा अपनाते हैं, उसकी आज़ादी दी गयी है। आज जब हम संविधान की मूल मर्यादाओं पर चर्चा करते हैं, तो सही मायनों में हमें इस बात पर चर्चा करनी होगी कि ये जो मूल अधिकार हमें संविधान ने दिए, क्या आज हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं? क्या देश में ऐसा वातावरण है, जिससे हमारे ये मूल अधिकार सुरक्षित रह सकें? जब ये संविधान की दीवारें खड़ी की जा रही थीं, इनकी जो बुनियाद थी, जो प्रखर बुनियाद थी, फौलादी बुनियाद थी, वह उस ख्याल में निहित है, जो ख्याल राष्ट्रकवि अलामा इकबाल ने अपनी कुछ पंक्तियों में हमें सुनाया है। उन्होंने इंसान को सामने रखकर और उसे ईश्वर की सबसे बड़ी रचना कहकर इस देश को यह बताया कि :

"न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए,
जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए।"

हमारा समाज, हमारी दुनिया इंसान के आत्म-सम्मान को बरकरार रखने के लिए कायम है और इंसानी आत्म-सम्मान के बिना हम अपने समाज को कायम नहीं रख सकते हैं। समय-समय पर हम भूल जाते हैं, अपनी मूल मर्यादाओं को, अपने देश की संस्कृति को, अपने समाज को एक रखने वाली भावनाओं को भूल जाते हैं क्योंकि किसी न किसी समय पर देश में राजनीति और सियासत का वर्चस्व जब चलता है तो वोट की जो राजनीति है, वह कहीं न कहीं हमारे पांव उखाड़ देती है। मैं बार-बार यह बात अपने आज जो सत्ता पक्ष में साथी बैठे हैं, उनको कहता हूं

कि आज आप सत्ता में हैं, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह न भूलिए, कल हम वहां थे, शायद कल आप यहां हों, हम फिर वहां हों, लेकिन देश का जो संविधान है, जो इसकी क़दरें हैं, वे सदियों से बरकरार रही हैं और आगे हमें बरकरार रखनी हैं। जब तक इंसान का रुतबा हम उसके आत्म-सम्मान के माध्यम से कायम नहीं रख सकेंगे, तब तक न हम देश की राजनीति को कायम रख सकेंगे और न अपनी परम्पराओं को कायम रख सकेंगे। उपसभापति जी, मैं इन बातों पर इसलिए ज़ोर दे रहा हूं, क्योंकि कभी-कभी, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, self-evident truth को हम भूल जाते हैं, जब उनका ज़िक्र नहीं करते तो वे जो सच्चाइयां हैं, वे दुर्बल पड़ जाती हैं, वे कमज़ोर पड़ जाती हैं और हल्के-हल्के जब उनकी चर्चा न हो, तो सिद्धांत भी कमज़ोर हो जाते हैं। आज अगर इस डिबेट का कोई औचित्य है या इसका कोई मतलब है या इससे देश को कुछ सीखना है तो केवल यह कि जो हमारे मूल सिद्धांत हैं, उनसे हम कभी दगा न करें, उनसे हम कभी पीछे न हटें। और क्या सिद्धांत हैं— आपसी सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता, सबको मान्यता, सबका आदर, इन्हीं के माध्यम से हम देश को इकट्ठा रख सकेंगे और कोई चारा नहीं है। डा. अम्बेडकर ने ठीक कहा था कि संविधानों की गरिमा तभी कायम रह सकती है जब संविधान को चलाने वाले, इस पर पूरा उतरने वाले लोग इतने ऊंचे कद के हों कि वे अपनी आकांक्षाओं को दबाकर संविधान की जो परम्पराएं हैं, उनको कायम रखें। कोई भी समाज, कोई भी संविधान, कोई भी इंस्टिट्यूशन तब तक जोर नहीं पकड़ सकता जब तक कि उसको चलाने और बनाने वाले ऊंचे लोग न हों। बदकिस्मती है कि आज हम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अम्बेडकर साहब को कहां से लाएं? मगर जो हैं, वे इनसे inspiration तो ले सकते हैं। खास तौर पर जब हम देश के उन निर्माताओं को आज याद कर रहे हैं, अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो उनके बताए हुए आदर्शों को भूलें नहीं, उन पर चलने की सामर्थ्य रखे, मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बाबा साहेब अम्बेडकर को होगी। जर्मनी के एक बहुत बड़े philosopher Goliath हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें समय-समय पर सच्चाइयों को दोहराते रहना चाहिए और उन बातों को धिक्कारना चाहिए जिनसे हम सहमत नहीं और उन बातों को दोहराते रहना चाहिए जिनके साथ लोगों की सहमति है ताकि लोग उनको भूलें नहीं। बेरिस डैमन एक बहुत बड़े पॉलिटिकल philosopher रहे हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात Freedom of expression के संदर्भ में कही। उन्होंने कहा कि "Freedom of expression is everybody's guarantee of honour in everybody else's thoughts." अगर हम किसी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं देंगे और अगर हमसे हटकर कोई बात करता है, तो या तो हम उसका मुंह काला करेंगे या हम उसको कहेंगे कि देश छोड़ दो, तो फिर जिस समाज की परिकल्पना, जिस भारत के भविष्य की परिकल्पना भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी, वह भारत तो कम से कम हमको नहीं मिलेगा! आज यह संवेदनशीन मुद्दा है। मुझे खुशी है कि सभी पार्टियों के हमारे प्रतिष्ठित नुमाइंदों ने आज कम से कम इस बात पर तो एकता जाहिर की कि संविधान की दीवारों को पुख़्ता करने के लिए इसकी मूल क़दरों की भावना का आदर करना होगा।

मैं संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट करते हुए एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कोई भी संविधान सदा-सदा के लिए पर्याप्त नहीं होता है। उसकी विचारधारा, जो बुनियादी विचारधारा है, वह जरूर पर्याप्त होती है, परन्तु समय-समय पर लोगों की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कभी-कभी संविधानों में संशोधनों की जरूरत होती है और तभी हमारे संविधान में सौ संशोधन हुए हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि वे संशोधन गलत हैं- चाहे

[श्री अश्विनी कुमार]

हमारे दलित भाइयों को शक्ति देने की बात हो, federalism के ऊपर नई विचारधारा की बात हो, cooperative movement को सशक्त करने की बात हो, हमारी बहनों को पॉलिटिकल शक्ति देने की बात हो और Directive Principles of State policy, जो हमारे समाज की बुनियाद हैं, जिस पर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि Political democracy can only be premised on a strong foundation of a social democracy, चाहे उसकी बात हो, हमने समय-समय पर संविधान में संशोधन किए और ठीक किए। अगर आगे भी संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, तो संशोधन करने होंगे क्योंकि लोगों के लिए संविधान बनते हैं, लोग संविधान के लिए नहीं बनते हैं। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि हम हर नाज़ुक घड़ी पर संविधान में संशोधन न करें क्योंकि हमें राजनीतिक अभिलाषाओं की पूर्ति करनी है इसलिए संविधान में संशोधन करो, तो यह गलत होगा। संविधान की एक sanctity होती है, उसकी एक मर्यादा होती है, जो बार-बार के संशोधनों से उलझ जाती है। हमको उसे बचाकर रखना है। किसी ने कहा है कि A living Constitution can never be a static Constitution. यह ठीक कहा है। अमेरिका के एक बहुत बड़े जज Cardozo हुए हैं, जिन्होंने कहा है, "The great generalities of the Constitution have a content and meaning that vary from age to age." और इसीलिए अनुच्छेद 378 के माध्यम से बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में power of amendment of the Constitution निहित की है। वे जानते थे कि एक समय आएगा, जब देशवासी अपनी अभिलाषाओं के मुताबिक एक नया मतलब अगर हमारे संविधान को देना चाहेंगे तो दे सकेंगे। इसीलिए 65 साल के बाद और 65 साल ही क्या अगले सौ साल के बाद भी यह संविधान चलेगा क्योंकि हम सब ने मिलकर इस की नींव को मजबूत बनाए रखने का संकल्प किया है।

उपसभापति जी, आज 42वें संशोधन को लेकर नेता सदन ने यह बताने की कोशिश की कि socialist और secular शब्द पहले संविधान में नहीं थे। वे भली-भांति जानते हैं कि उस वक्त भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जहां तक secularism का सवाल है, वह तो हमारे outlook का एक salient immaculate panacea है। He said, secularism is a silent immaculate premise of our outlook and need not necessarily be spelt out, and Pandit Nehru agreed with it because the Constitution was a product of the history of this country. It was a product of what happened in Partition and the nation knew that if this country has to stand together, it can only stand on the basis of total and sovereign loyalty and commitment to secularism as understood in the sense of 'Sarva Dharma Sambhava'. उस वक्त हमें लाखों मुसलमानों को आश्वस्त करना था कि भारत देश उनका देश है। यहां उनके मूल्यों की कद्र होगी, उनकी identity को preserve किया जाएगा और आज भी हम वह वायदा निभा रहे हैं। Therefore, when we talk of national charters of a nation as the Constitution of India, we talk of the history of the country, we talk of the need to continue the continuity of our history and the history of this country cannot be divorced from an unequivocal and unswerving commitment to the secular credentials of our nation building.

महोदय, जैसे कहा गया है कि इस देश का एहसास धर्म-निरपेक्ष है। आज हिंदू, मुसलमान का नाखून और मांस का रिश्ता है। अब इसे कोई जुदा नहीं कर सकता। हमारा रोटी-बेटी का

रिश्ता है, हम इसे जुदा नहीं कर सकते, इसलिए आज उस पर चर्चा करना ही गलत है। हमने तो theocratic State नहीं बनाया। पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना, लेकिन हिंदुस्तान तो धर्म के नाम पर नहीं बना। मुझे दुख इस बात का है कि 65 साल के बाद भी इतनी बड़ी तादाद में, इतना शिक्षित होने के बाद भी, आज देश में secularism के ऊपर डिबेट हो रही है। कोई इसे पंथ-निरपेक्ष कह रहा है और किसी ने secularism शब्द पर बहस शुरू कर दी। पंथ-निरपेक्ष तो एक larger concept है, मगर secularism तो अपनी जगह खड़ा है। उसे dilute करने की कोशिश गलत है, वह anti national है। उपसभापति जी, मैं आपसे बहुत ही विनम्र तरीके से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इमारत तो बुलंद खड़ी कर दी, पर इस इमारत को शक्तिशाली बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है।

आज असहिष्णुता की बात क्यों आ रही है? वह इसलिए आ रही है क्योंकि देश के संविधान में जिन मूल मर्यादाओं को निहित किया गया है, उन्हें चुनौती है। क्या पनसारे, डाभोलकर, कलबुर्गी और दादरी में जो निर्मम हत्याएं हुईं, क्या इनसे किसी का सिर ऊंचा उठ सकता है? आप आमिर खान को कहते हैं कि देश छोड़ना चाहो, तो छोड़ जाओ। क्या ये बातें कहने लायक हैं? महोदय, आज वेंकैया नायडु जी ने अपने भाषण में consensus की बात की। मैं सत्ता पक्ष में बैठे अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या consensus चुभन देने से बनेगा? हर आत्मा को चुभाते रहो, जख्म में नमक छिड़कते रहो, क्या हमें यह बात शोभा देती है? क्या आज हम यह कहें कि "हमारा इश्क, इश्क है, तुम्हारा इश्क गुनाह?" ये बातें ठीक नहीं हैं और अगर एक आदमी दूसरी बात कहता भी है, जो आपको मंजूर नहीं है, तो कम-से-कम उसे अपनी बात रखने का अधिकार तो दो। उसको जो अधिकार संविधान ने दिया है, आज आप उसको कैसे छीन सकते हैं? रवि शंकर जी,

"तुम्हीं न सुन सके अगर, किस्सा-ए-गम सुनेगा कौन
किसकी जुबां खुलेगी फिर, हम न अगर सुना सके" ।

श्री रवि शंकर प्रसाद : हमने तो आपको कुछ भी करने से नहीं रोका है, साहब।

श्री अश्विनी कुमार : रवि शंकर जी, बात इन्सा न के आत्मसम्मान की है। आपने इश्क की बात कर ली।

"जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद अगाही
खुलते हैं गुलामों पर भी इसरारे शहनशाही"

जब इन्सांन अपनी इज्जत करना आप जाने तब जो गुलाम है, वह भी अपने आपको बादशाह मानता है। रवि शंकर जी, कम से कम देशवासियों से वह अधिकार मत छीनो, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, मैं यह नहीं कहता कि उस तरफ के सब लोग एक से हो सकते हैं, लेकिन यह बात सच है। प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा में बहुत बड़ा भाषण दिया और हमने उसको सुना है। उन्होंने अच्छी बातें कहीं हैं। उन्होंने idea of India की बात कही है, मगर करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए।

"कसमे वादे प्यार वफ़ा सब बातें हैं बातों का क्या
कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या"

[श्री अश्विनी कुमार]

बात यह है कि आज देश के लोग यह जान चुके हैं कि अब बातों से पेट भरने का समय नहीं है। जैसे किसी ने कहा है,

"तू इधर उधर की न बात कर, यह बता कि काफिले क्यों लुटे।
मुझे राहज़नों से गर्ज़ नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।"

आज सवाल राजनीतिक मर्यादाओं का है। प्रधान मंत्री जी, आपने जो बातें की हैं, आप उन बातों पर पूरा उतरें, यही हमारी दिल से प्रार्थना है। इस देश का हरेक सिख, हरेक मुसलमान, हरेक जैनी और हरेक हिन्दू देश पर न्यौछावर होने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसको देश की परिकल्पना में, देश बनाने में पूरी भागीदारी दीजिए और उसके सम्मान को बरकरार रखिए। आज अगर इस डिबेट पर कोई main चर्चा होनी थी, तो वह यही चर्चा होनी है।

मैं दो बातें और कहना चाहूंगा। सबसे पहले ये बातें मेरे मित्र, नेता सदन, अरुण जी ने कही हैं। मैं समझता हूं कि ये बातें उनके स्वभाव के विपरीत हैं, लेकिन उन्होंने कही हैं, शायद उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी होगी। उन्होंने कहा है कि ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये Manufactured Consent हैं, orchestrated opposition हैं. मैं उनको इतिहास की याद दिलाना चाहता हूं। जब जलियांवाला बाग का massacre हुआ था, तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने अपने पुरस्कार वापस कर दिए थे। आज जब नयनतारा सहगल जैसे लोगों को तथा अन्य लोगों को जिन्हें हमने राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है, जब वे मजबूर हो गए और अपने दुख को सीमित नहीं रख सके, उन्होंने राष्ट्रपति जी को अपने सम्मान वापस किए, तो बराए मेहरबानी आप उनके जख्मों पर मरहम लगाइए और उनको Manufactured Consent मत कहिये। खास तौर पर यह सत्ता पक्ष को शोभा नहीं देता है। आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे वे शब्द मिले हैं, क्योंकि उससे बेहतर मैं अपनी बात नहीं रख सकता था। गोपालकृष्ण गांधी और प्रताप भानु मेहता ने एक बात कही थी। मैं उनकी चंद पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं और उनको quote करना चाहता हूं। गोपालकृष्ण गांधी ने अपनी बात कही, जब उन्होंने यह देखा कि हम किस तरह Manufactured consent की बात कर रहे हैं। मैं इस सदन के सामने पहले प्रताप भानु मेहता की चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। A frontal assault on the liberal ethos of India, which the nation has witnessed, will be etched in the memory of the nation for centuries to come. An assault of a kind unprecedented in the annals of free India has invited, and justly so, the reaction that it has invited from the iconoclasts and from the conscience keepers of the nation. The artists, the historians, the writers, the intellectuals, the professors, the scientists in unison have said that this is a frontal assault on the social fabric of the country and the conscience and soul of India. It is an assault on the heart of India's democracy. This is what he said. सुनिए, प्रताप भानु मेहता ने क्या कहा। उन्होंने कहा, "The argumentative Indian is being replaced by the offended Indian, the tolerant Indian by the intolerant mob, the reflective citizen by the hurt communal mobiliser, the courageous Indian by the cowardly thug who needs the state to protect it against every argument, the pious Indian by the ultimate blasphemer who thinks he needs to protect the gods rather than the gods being there to protect

him. Whether this is a tiny minority or represents the majority is beside the point. The point is that the assault on free expression is winning." यह कहा उन लोगों ने, जिनका दलगत राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। क्या इनकी आवाज नहीं सुनेंगे? गोपालकृष्ण गांधी— क्या उनकी आवाज नहीं सुनेंगे? उन्होंने कहा, Instead of empathy, instead of solace for the bereaved and instead of solidarity for those injured, they had nothing but insults to gather. And he talked of the gathering interrogation. यह एक इंकलाब है। रवि शंकर जी, यह manufactured dissent नहीं है, इंकलाब है। इसकी आँधी की ताकत आज आप नहीं पहचान पा रहे हैं। यह आपकी सत्ता की जड़ों को उखाड़ फेंकेगा, यह हमारा विश्वास है। मगर सत्ता से कब किसको जाना है, यह देश के लोग तय करेंगे, पर संविधान की जड़ें कमजोर मत करिए, संविधान की नींव को कमजोर मत करिए, नहीं तो आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। हमने बहुत बड़ा संविधान बनाया, पुख्ता संविधान बनाया। इसके मुताल्लिक मैं जोसेफ स्टोरी की बात कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि वे अमेरिका के बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हुए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में उनकी व्यापक चर्चा होती है। उन्होंने 2-3 बातें अपने संविधान के बारे में कहीं, पर जिसको क्वोट किया डा. सच्चिदानन्द सिन्हा ने। कांस्टिच्युएंट असेम्बली डिबेट्स में डा. सच्चिदानन्दी सिन्हा ने जोसेफ स्टोरी को क्वोट करके कहा।

DR. MAHENDRA PRASAD (Bihar): I am thankful to you for mentioning Shri Sachindanand Sinha.

SHRI ASHWANI KUMAR: Thank you, Sir. उन्होंने उनके शब्दों का इस्तेमाल करके हमारे संविधान के लिए यह कहा और उपसभापति जी, मैं यह आपकी नज़र करता हूँ। I offer this to you. He said about the Constitution. "The structure has been erected by architects of consummate skill and fidelity; its foundations are solid; its compartments are beautiful as well as useful; its arrangements are full of wisdom and order; and its defences are impregnable from without. It may nevertheless perish in an hour by the folly, or corruption, or negligence of its only keepers, THE PEOPLE." And we today here represent the people. "Republics are created by the virtue, public spirit and intelligence of the citizens." He was citing Plato and Socrates. "They fall when the wise are banished from the public councils because they dare to be honest, and the profligate are rewarded because they flatter the people in order to betray them."

"...They fall when wise are banished from public councils because they dare to be honest and the profligate are rewarded because they flatter the people in order to betray them." इससे बड़ी बात जो संविधान की चर्चाओं में की गई, मैं समझता हूँ कि नहीं की जा सकती थी। उन्होंने देशवासियों के सामने एक आईना खींच कर रखा कि जो इमारत आज हम तुमको विरासत में दे रहे हैं, उसको बनाकर रखना। 'हम लाए हैं तूफां से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के'। यह वह परिकल्पना थी, यह वह ख्याल था और यह ख्याल अगर हमें राजनैतिक तौर पर दूर ले जाता है, तो हमें ख्याल को नहीं छोड़ना है, हमें उस राजनीति को तजना है, जो हमें हमारी मूल भावनाओं से दूर रखती है।

[श्री अश्विनी कुमार]

4.00 P.M.

उपसभापति जी, मैं दो बातें और कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। मेरा यह मानना है कि डा. भीमराव अम्बेडकर ने एक और बात, जो सबसे बड़ी कही थी, वह यह थी कि जब संवैधानिक रास्ते सामने हों, तो असंवैधानिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह कहा था— "That resort to unconstitutional means is the grammar of anarchy." और इस स्पीच को grammar of anarchy स्पीच कहा गया था, जो नवंबर, 1949 को उन्होंने कांस्टीट्युएंट असेम्बली में दी थी। जब जंतर-मंतर पर पेड़ के नीचे संविधान बनाए जा रहे थे, उस वक्त हमने कहा था कि यह देश anarchy की ओर जा रहा है। आज दूसरी तरह की anarchy, रवि शंकर जी, आपके ज़ेरे-साय उभर रही है, जिसको मैं creeping encroachment on fundamental freedoms बोलता हूँ, both brazen and creeping. आप इस तरह की बातें करके देश में ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं कि किसी को अपना पक्ष रखने की हिम्मत न हो। सुधींद्र कुलकर्णी, आपकी विचारधारा से जुड़े हैं। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री रहे हैं, उनकी हाजिरी में मुंबई में उनका मुंह काला हो, यह शर्मनाक बात है। प्रधान मंत्री जी शर्म से डूबने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि हां, शर्म से डूबने की बात है, जो आपकी सरकार के ज़ेरे-साय पाकिस्तान के एक भूतपूर्व विदेश मंत्री की मौजूदगी में आपके एक नागरिक का मुंह काला हो। बहुत गलत बात है।

श्री रवि शंकर प्रसादः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कंडम किया है।

श्री अश्विनी कुमारः I am finishing. I am not yielding. I am finishing. इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह के प्रहार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देश के संविधान पर हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए आज यह सारा सदन वचनबद्ध तो है ही, मगर एक ऐसा रेजुलेशन आए, जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि जब किसी के मूल अधिकारों पर चोट लगती है तो उसे कचहरी का दरवाजा न खटखटाना पड़े। कितने लोग कचहरियों का दरवाजा खटखटा सकते हैं? कोई इन-बिल्ट मैकेनिज्म हो, ऐसा मैकेनिज्म हो, जो संविधान की परंपराओं को बरकरार रख सके। यह आज एक नई बात है और मैं यह सोच-समझ कर कह रहा हूँ।

सर, एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। यह जो एनजेएसी का फैसला है। समस्त सदन का एकमत था कि जजों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उसमें दुनिया में कहीं जज अपने आप की नियुक्ति नहीं करते। मैं पक्षधर हूँ। हम यह कानून लाए थे। आपने उसको आगे बढ़ाया, आपने उसको tweak किया, वीटो की पावर दी, वह जुदा बात है। उससे हमारा समर्थन नहीं है, मगर क्या करे? संविधान की परिभाषा कौन करता है? संविधान को आखिर में इंटरप्रेट कौन करता है? संविधान की रूह से ही सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। यह बात पक्की है और मैं उस बात को दोहराता हूँ कि संविधान के संशोधन का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों सदनों को है, और किसी को नहीं है। जब उस अधिकार का इस्तेमाल होता है और अगर हमें संवैधानिक बेलेन्स को बनाकर रखना है, तो हमारे राष्ट्र के जो दूसरे अंग हैं, उन्हें यह समझना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, वह जुडिशियल इंडिपेंडेंस तो है ही, वह तो हम मानते हैं, अगर हमने संवैधानिक बैलेंस को बनाकर रखना है, तो हमारे राष्ट्र के जो दूसरे अंग हैं, हमें उनको भी समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, वह ज्यूडीशियल इंडिपेंडेंस तो है ही, इसे तो हम मानते हैं, मगर संविधान में यह तो कहीं नहीं लिखा कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बेसिक

स्ट्रक्चर है। प्रक्रिया ही बदली गई थी, कुछ और तो नहीं बदला गया था।

महोदय, आज हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडर जी के बनाए हुए इस फौलादी संविधान के प्रति वचनबद्धता प्रकट करते हैं और उनकी याद में अपना शीश नमन करते हैं। प्रो. राम गोपाल जी ने भी यह बात रखी, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि हमको बेसिक स्ट्रक्चर की एक परम्परा नहीं, एक अंग नहीं, बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर के जो सारे अंग हैं, उनको बनाकर रखना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर का सबसे प्राचीनतम अंग है, Parliamentary democracy, political democracy, relevance of political parties, the concept of accountability of the Executive to Parliament. मैं यहां separation of powers की बात कर रहा हूं, उसके बाद एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। संविधान में जब हमने separation of powers के concept को introduce किया था ...**(समय की घंटी)**... उस समय अम्बेडकर साहेब ने अमरीकी संविधान का अध्ययन किया, Irish Free State के संविधान का अध्ययन किया, UK के संविधान का अध्ययन किया, फ्रांस की स्थिति का अध्ययन किया, लेकिन हमने जो separation of powers को introduce किया, उसका केवल एक ही मतलब था, diffusion of sovereign power. Diffusion of sovereign power का मतलब था कि स्टेट के किसी एक इंस्टीट्यूशन में सारी ताकत निहित न हो जाए, ताकि checks and balances रहें। अगर वे checks and balances संविधान के किसी एक इंस्टीट्यूशन के एक अंग की ओर lean करने लगेंगे, तो Constitutional balance निश्चित तौर पर बिखर जाएगा, हमको इसकी ओर ध्यान देना है। देश में क्या वातावरण था, उसका भी जजों पर असर रहता है। बहरहाल, जहां तक संविधान की परम्पराओं को बनाए रखने की बात है, उन पर सारा सदन एक है।

अपनी बात खत्म करते हुए, अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि लीडरशिप का रोल क्या है? संविधान को बनाकर रखने की बात, जो डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने हमसे कही, वह यह थी कि अंततः डेमोक्रेसी में जो लीडरशिप है, जिन पर देश को चलाने की जिम्मेदारी है, दिशाएं देने की जिम्मेदारी है, वह लीडरशिप के क़द पर निर्भर करती है।

निगह बुलंद, सुख़न, दिल नवाज़, जां पुरजोर ।
यही है रख्त-ए-सफ़र मीर कारवां के लिए ॥

निगह बुलन्द-यानी दूरंदेशी, सुख़न-यानी मीठापन, दिल नवाज़-यानी लोगों के दिलों को जीतने की ताक़त, जां पुरजोर-यानी dynamism, यही attributes of true leader हैं, लेकिन क्या आज है वह लीडरशिप? आज देश के लोग यह जानना चाहते हैं, मोदी साहेब, अगर आपने देश को सही मायनों में दिशा देनी है, तो संविधान की मर्यादाओं की क़द्र करके दीजिए। इतनी बात कह कर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

SHRI BHUPINDER SINGH (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you. First of all, मैं अपनी ओर से एवं हमारी मुख्य पार्टी की ओर से उस महान सपूत को, जो इस भारतवर्ष की भूमि में पैदा हुए, जिनको एक इतना अच्छा संविधान बनाने का दायित्व दिया गया, डा. भीमराव अम्बेडकर जी को उनकी 125वीं जन्म वर्ष पर, अपनी श्रद्धांजलि देता हूं।

डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से, इस महान पार्लियामेंट में आज अपनी बात रख रहा हूं। आज हमारे देशवासी हमसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं। जिस भारतवर्ष में आज हम रह रहे

[Shri Bhupinder Singh]

हैं, वह भारतवर्ष एक नौजवान देश है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा नौजवान देश भारत ही है, जो चाइना से भी बड़ा है। आज हमारे यहां 55% से भी ज्यादा नौजवान मौजूद हैं। वह हमसे कुछ उम्मीद करता है। लोग बाहर से, विदेशों से भारत में आते हैं। वे खोजते हैं कि भारत कहां है, लेकिन वह उनको नहीं मिलता है। वे गुजरात जाते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बंगाल जाते हैं, लेकिन उनको कहीं भी भारत नहीं दिखता है। उन्हें वहां एक-एक प्रांत दिखता है और एक-एक भाषा दिखती है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी को और इस सरकार को एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन सिलेबस में इस बात को एक ओथ टेकिंग के हिसाब से प्रत्येक छात्र को यह कहना पड़े जैसा मैं अपना परिचय यहां देता हूँ कि मुझे फख़्र है कि मैं भारत मां की गोद में पैदा हुआ, मैं भारत देश में पैदा हुआ, यह मेरा प्रथम परिचय है। मेरा द्वितीय परिचय यह है कि मैं उत्कल/ओडिशा में पैदा हुआ हूँ। मेरा तीसरा परिचय यह है कि मेरी जन्मभूमि कालाहांडी, भवानीपटना शहर है, जहां मैं पैदा हुआ हूँ। मेरा चौथा परिचय यह है कि मेरा नाम भूपिंदर सिंह है और मैं बीजेडी से यहां ओडिशा को रिप्रिजेंट करता हूँ। यह शिक्षा आज हमारे हिन्दुस्तान के हर बच्चे को दी जाये। आज हम इस देश में जो गलत देख रहे हैं, तो जिस धरती मां ने कभी भी विचार नहीं किया कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है या कौन किस मिट्टी का है, उस मिट्टी ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे संत महात्माओं ने और ऋषियों ने हमें जो विरासत दी, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई है, तो वह मानव है, सबसे बड़ा अगर कोई है, तो वह इंसान है और सबसे बड़ा कुछ है, तो वह इंसानियत है। अगर किसी ने दुनिया को इंसानियत की कुछ बातें बांटी, तो मुझे आज यहां कहने में फख़्र है कि वह मेरे देश ने, हमारे देश ने, मेरी धरती ने, मेरी मां भारती ने उसको दुनिया के सामने रखा। हमें महात्मा जैसे नेता मिले, जब दलितों को कोई पास आने नहीं देता था, तब यहां दलितों के लिए बात करने वाले अम्बेडकर जैसे नेता मिले और इस देश में हमें पंडित जवाहर लाल नेहरु जैसे प्रधान मंत्री मिले। जो विरासत हम लेकर आये

[**उपसभाध्यक्ष (श्री तिरुची शिवा)** *पीठासीन हुए*]

हैं, जो आज तक इस देश ने किया है, कम से कम उसको आज हम स्वीकार करें। आज यह वक्त आया है कि पार्टियों से ऊपर उठ कर हम इसके ऊपर चर्चा करें, विचार करें कि हमारे देश में क्या था, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, हमारे पास क्या था कि यहां एक बटन भी तैयार नहीं हो पाता था, यहां हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, हमारी शिक्षा कहां थी, हमारा समाज कहां था, हमारी आर्थिक व्यवस्था कहां थी, हमारे किसानों का क्या हाल था, हमारी खेती कहां थी और हमारे स्कूलों की क्या व्यवस्था थी? हमें जो पिछले 67-68 सालों में मिला है, कम से कम उसकी तो हम चर्चा जरूर करें। जिन महापुरुषों ने उसके लिए कुछ किया है, जिन्होंने अपना जीवन दान दिया है, उनके लिए तो कुछ दो बातें आज कहें।

सर, आप मुझे एक मिसाल बताइए। मैं यहां कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं एक सम्पूर्ण भारतीय हूँ और मैं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता हूँ। सबसे बढ़कर, अगर मेरा कोई रिलीजन है, तो वह मेरी मां भारतवर्ष है, सबसे बड़ा कोई मेरा रिलीजन है, तो वह संविधान है, वह किताब है, जो आप लोगों ने मुझे दी है। यह कांस्टीट्यूशन है। मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री जी भी इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं कि my religion is my Constitution

of India. लेकिन, दादरी में जो घटना हुई, उसको छोटे तरीके से न लिया जाए। हम right to property की बात करते हैं, हम personal liberty की बात करते हैं और right to life की बात करते हैं। उन्होंने क्या ऐसी गलती की थी? जहां पर बार-बार आज जब हम अपना commitment to India's Constitution as part of the 125th Birth Anniversary celebration of Dr. B.R. Ambedkar का रेफरेंस करके committed to constitution करते हैं, तो क्या आज हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम अपने आप के अन्दर झांक कर देखें कि इस संविधान को कितनी बार पिछले दिनों assault किया गया है, इस संविधान को हमने कैसे थप्पड़ मारा है, इसके साथ क्या व्यवहार किया है और जो शपथ लेकर हम आते हैं कि हम इस संविधान के जो नियम हैं, उनके तहत काम करेंगे, तो अगर कोई ऐसी बात या गलत काम करता है, तो क्या उसके लिए कोई भी सजा नहीं है? सर, यह संविधान एक पूरे पेड़ की तरह है। अगर एक पत्ता गिर जाता है, ट्रैफिक पर कहीं कोई इंसान गलती करता है दिल्ली में जाते हुए तो उसके ऊपर भी सजा है, उसके ऊपर भी फाइन पड़ता है। लेकिन जो यह पूरे दरख्त को, पूरे पेड़ को उजाड़ने की आज सोच रहा है, इस देश में उसके लिए कोई सजा नहीं है, उसके लिए कोई बात नहीं है। उसको हम इतने हलके से ले रहे हैं कि आज मैं नहीं कह रहा हूं, यह सवाल आज हमारे बच्चे घर में हमसे पूछते हैं। हमारे लोग जब यहां से निकलकर बाहर जाते हैं तो वे हमसे यह सवाल पूछते हैं। यहां पर हमको यह ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या कितना सोच विचार कर, the name of the territory of India, इसको इंडिया कहें कि भारत। Article - 1 - India, that is Bharat, shall be a Union of States. इसको क्यों हिन्दुस्तान नहीं कहा गया? इसको भारत क्यों कहा गया और वह कौन सा भारत है, जिस भारत का नाम, अगर कोई भी पार्टी हो, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, कहीं पर भी आने वाले दिन में इलेक्शन हुआ है, कोई भी पार्टी हो, मैंने देखा है, वे बड़े फख्र से कहते हैं कि भारत मां की जय हो। भारत मां की जय, हर जगह हम कहते रहते हैं। लेकिन यह "हिन्दुस्तान" शब्द लाने से हमको क्या मिलेगा। "हिन्दुस्तान" लाने में इस देश को क्या मिल सकता है और भारत मां की जय बोलने से क्या हमको क्या कमी हो सकती है, इसका जवाब मैं उम्मीद करुंगा कि कल प्रधान मंत्री जी इस गृह में जरूर रखेंगे। हम जैसे और इस देश के हमारे जैसे लोग उनसे यह जवाब जानना चाहते हैं। उसका जवाब हमें जरूर यहां से मिलेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात आपके सामने करना चाहता हूं कि जब तक हम लोग यूनिफार्म सिविल कोड, Common Civil Code की बात कर रहे हैं। मैं वहां नहीं जाना चाहता, क्या आज हमारे लिए यह एक चैलेंज नहीं है, क्या यह शर्म की बात नहीं है कि हम आज देश में 68 साल के बाद भी एक यूनिफार्म एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना सके। पूरे देश में हमारी शिक्षा की जो बुनियादी चीज है, जो शिक्षा आज अगर सब के सामने पहुंच जाए, जिसके लिए डा. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पं. नेहरू से लेकर जिन्होंने कोशिश की थी, आज अगर हमारी शिक्षा मजबूत हो जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे जो दादरी में घटना हुई, वैसी घटना आगे आने वाले दिनों में अपने आप कम हो जाएगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कभी-कभी बैठकर सोचता हूं, मेरे बुजुर्ग भी मुझे बतलाते हैं और कहते हैं कि साहब, आप तो मंत्री भी बन गए, आप नेता भी बन गए, आप आज सांसद भी बन गए, हमें एक जवाब दीजिए कि हम सर्व धर्म को मानने वाले हैं और सर्व धर्म को हम नमस्कार करते हैं। मैं तुरन्त उनका जवाब नहीं दे पाया, मुझे समय लगा जवाब देने में। उन्होंने जब कहा कि बोलो बेटे, सारे भारत की धरती में पश्चिम से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर, कन्याकुमारी से लेकर, गोहाटी से लेकर असम तक सब तरफ के लोग किस के गुलाम हैं, किस आवाज ने सबको एक करके सामने खड़ा किया सेल्यूट देने के लिए, तो

[Shri Bhupinder Singh]

एक ही मेरा तिरंगा है, वही मेरा तिरंगा है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को उड़ता है तो ऐसे उस रोज कोई नहीं कहता कि कौन हिन्दू, कौन मुसलमान, कौन बुद्ध, कौन जैन, कौन सिख, और कौन इसाई है यह सब भूलकर अगर किसी के सामने सारा देश नतमस्तक होता है तो वह शक्ति तिरंगे की है। और वही शक्ति जिन्होंने तिरंगा बनाया, उन्होंने यह संविधान हमें दिया। यह व्यवस्था आज हमको दी है। आज उनके बारे में कोई अच्छी बात भी नहीं कह पा रहे हैं। सर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जितने भी रिलीजन के बड़े-बड़े देव गुरुओं ने जितनी कोशिश की सब भारत मां के सपूत को एक जगह पर लाकर एकमत नहीं कर पाए, एक जगह पर लाकर बिठा नहीं पाए। इसलिए हमें समझना चाहिए। आज हमें इस चीज के लिए सोचना चाहिए कि आज वह शिक्षा का हम कैसे सभी गरीबों के बच्चों को, आज जो दलितों के साथ untouchability की बात कर रहे हैं, आज वह untouchability सम्पूर्ण भाव से मैं स्वीकार कर रहा हूं कि दूर नहीं हो पाई है। उस रोज जो डा. अम्बेडकर ने झेला था, उनके साथ जो उस समय पैदा हुए थे, उन लोगों ने झेला था, उससे आज परिस्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। लेकिन एक-एक जगह में ऐसी-ऐसी बातें आती हैं कि वहां अगर पानी भी कोई पिये तो कहा जाएगा। सर, मैं जब छोटा सा बच्चा था, जब मैं गुरुद्वारे में गया, मैंने देखा कि वहां मेरे इलाके के जो स्वीपर कम्युनिटी के फिजिकली हेंडीकेप्ड जो चल नहीं पाते, उनको लाकर गुरुद्वारे में सब के सामने एक आसन पर बिठाया गया, क्योंकि वहां सिखों में कोई तबला बजाने वाला नहीं था। वहां पर ऐसे ही कम्युनिटी के एक और हारमोनियम बजाने वाले को कीर्तन के लिए बुलाया गया, मैं जब चौथी क्लास में पढ़ता था, तब मैंने वह चीज देखी। मैंने देखा कि नानक के पास कौन-सी ऐसी शक्ति थी कि जब उनका शरीर चला तो लोगों ने कहा कि ये हमारे गुरू हैं, दूसरे धर्म वाले ने कहा कि नहीं, ये हमारे गुरू हैं, हिन्दुओं ने कहा कि हमारे गुरू हैं, मुसलमानों ने कहा कि हमारे गुरू हैं। ये सब बातें हमें भूलनी नहीं चाहिए। इन्हीं सब बातों के ऊपर हमारे देश की नींव खड़ी है। हमारे जितने भी संत, महात्मा हैं, जितने भी धर्म के प्रचारक हैं, चाहे वह कोई भी धर्म हो, उन सबने अगर सबसे ज्यादा किसी बात पर बल दिया है, तो वह man, mankind और humanity पर दिया है।

सर, अगर इस देश में 14 अप्रैल को अच्छे तरीके से मनाया जाए, 15 अगस्त के दिन को एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाए, 14 नवंबर, जो जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिन है, इसको 'चिल्ड्रन्स डे' के हिसाब से मनाया जाए, 19 नवंबर, जो इंदिरा गांधी का जन्म दिन है, इसको ठीक से मनाया जाए, 02 अक्टूबर, जो कि महात्मा गांधी का जन्म दिन है और उसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिन है, जिसने 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया, उसको ठीक से मनाया जाए, 26 जनवरी को देश के सबसे बड़े फेस्टिवल के रूप में मनाया जाए, तो मुझे विश्वास है कि ऐसी घटना हमारे देश को आने वाले दिनों में देखनी नहीं पड़ेगी। **...(समय की घंटी)...**। यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ।

If the politics of the day decides not a single community will be touched, not a single man will be harmed. But, the politics of the day has to take steps. पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, लॉ एण्ड ऑर्डर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर हमें हमारी बात यानी कथनी और करनी में विश्वास है, हम true sense में मानते हैं कि यह संविधान हमारा धर्म है, यही हमारा religion है, तो इसमें कोई रुकावट आ नहीं सकती।

सर, जब 26 नवंबर, 1949 में यह संविधान बना, उस समय 16 articles... यहां पर किसी ने एक article कहा, किसी ने 15 articles कहा, ऐसे 16 articles हैं, अगर आप समय देंगे, तो मैं उन 16 articles के बारे में बता सकता हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, these sixteen Articles cried for immediate commencement on 26th November, 1949. सर, अब बात यह उठ रही है कि 26 जनवरी, 'रिपब्लिक डे' को 'इंडिपेंडेन्स डे' क्यों नहीं बनाया गया? There are historical reasons. Sir, in the Lahore Session of December, 1929, Mahatama Gandhi took a stand that on 26th of January, 1930, हर साल 26 जनवरी, 1930 से लेकर संपूर्ण स्वराज के लिए सारे भारतवर्ष में, सारे देश में प्रत्येक पंचायत एवं गांव में इस अंग्रेज शासन के विरुद्ध हम लोग revolt करेंगे, लेकिन हमारा जो विरोध होगा, वह रक्तपात का नहीं होगा, वह non-violence का होगा, वही non-violence, peace और truth अगर किसी ने दुनिया को दिया, तो वह मेरी धरती ने दिया। इसीलिए हमें गर्व करना चाहिए कि हम एक ऐसी धरती से आए हैं। सर, यह बात सही है कि मैं as a sportsperson, as an athlete, I see the entire politics also as a playground. अगर टीम का हर प्लेयर अच्छा खेलता है... चाहे कोई पार्टी हो, सरकार हो या अपोजिशन हो, कोई छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए।

सर, आप जिस राज्य यानि तमिलनाडु से आए हैं, आपको पता होगा कि जब अन्ना दुरई जी यहां राज्य सभा में आए थे, तब उन्होंने भी कुछ बात कही थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय की situation को देखते हुए... अंग्रेजी को लेकर आपके यहां आंदोलन हुआ, मैं पार्टी का नाम नहीं लेता, Madhya Pradesh undivided... जहां अंग्रेजी के बोर्ड लगे थे, उनको जलाया गया और वहां मांग हुई कि हम अंग्रेज़ी accept नहीं करेंगे। उस वक्त की मांग को पूरा करने के लिए उस वक्त के नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने South के लोगों की मांग के कारण अंग्रेजी को लाया। यहां पर उन्होंने कहा था कि हमारी भाषा, हमारी बोली अलग है, हम भारत से अलग होना चाहते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, thank you.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, the 16th amendment of the Constitution, as you know, made in 1963, was a historical decision, that nobody could think about secession from India. भारत की टेरेटरी से, भारत देश से कोई अलग होने की बात नहीं सोच सके, उसके लिए 16th amendment of the Constitution लाया गया। सर, 42वें अमेंडमेंट की बात हो चुकी है। जिन्होंने 73वां और 74वां अमेंडमेंट लाया, क्या आज यह गृह जब संविधान के बारे में चर्चा कर रहा है, जब यह अम्बेडकर के बारे में चर्चा कर रहा है, ...(*Time-bell rings*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, thank you.

SHRI BHUPINDER SINGH: ...we will fail in our duty. ...(*Interruptions*)... We will fail in our duty if we do not discuss about the 73rd and the 74th Amendments. सर, आपको याद होगा कि 15-15 साल तक कई ऐसी सरकारों ने पंचायत के निर्वाचन नहीं होने दिए, चेयरमैन और ब्लॉक चेयरमैन के इलेक्शंस नहीं कराने दिए। इसी कारण जिन्होंने Constitution के माध्यम से व्यवस्था की, आज इस गृह में उनको याद करना जरूरी है। हमें ये बातें नहीं भूलनी चाहिए। सर, आज मैं उम्मीद करूँगा और यहां पर एक बात कही गई थी। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): We can discuss it some other time. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, one minute please.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Bhupinderji. You have taken five minutes more. We can discuss it some other time.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, please. I will conclude in two minutes. सर, आपको मालूम होगा कि आज जिस वूमेन रिज़र्वेशन की बात हो रही है। My Party, Biju Janata Dal, and my Leader, the tallest Leader of this country, हमारे स्वतंत्रता सेनानी बीजू पटनायक जी ने 33 परसेंट और हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी ने ओडिशा में वुमेन को at all levels, at the level of panchayat samiti and at the level of urban bodies, 50 परसेंट रिज़र्वेशन दिया है। अगर इसके बारे में सबसे पहले निर्णय किसी ने लिया, तो वह हमने लिया। सर, हम इस चीज़ को कहना चाहते हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर को आप सुन रहे थे। उन्होंने कई बातें यहां कही हैं। आज fourteenth Finance Commission ने यह व्यवस्था बन्द कर दी और अब स्पेशल कैटगरी स्टेट्स की बात नहीं होगी। सर, आज किसान कितना पीड़ित है! आज ओडिशा को बैकवर्ड और बीआरजीएफ का फंड बन्द कर दिया गया और जो devaluation की बात कही जा रही है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Bhupinderji.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, through you, I request the Prime Minister, I appeal to the Government that let there be a debate on 32 per cent to 42 per cent devaluation. सर, आपने हमारी जेब से 15 पैसे लिए और आप हमें 10 पैसे और 12 पैसे दे रहे हैं। हमारी जेब से लेकर आप हमें समझा रहे हैं। जितने flagship programme थे, बंद कर दिए गए। आज अगर हमें अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देनी है, तो उसकी जो भी व्यवस्था की गई थी, उसको आज जिस तरह से उजाड़ा गया है, उसको उजाड़ा न जाए, उसकी सुरक्षा की जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Okay. Thank you.

श्री भूपिंदर सिंह : मैं आपके माध्यम से सरकार से यह उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर एक डिबेट हो, इसके ऊपर एक चर्चा हो।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): We shall have a discussion on this. Please conclude.

SHRI BHUPINDER SINGH: I am just concluding, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You have taken seven minutes more.

SHRI BHUPINDER SINGH: I have no intention to say this. Let it not be on record also. * There are speakers who have taken more time than what was

---

* Not recorded.

allocated to them. One speaker was allotted 27 minutes; he spoke for more than one hour. Sharad Yadavji has said that Dalits members जो बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Bhupinderji, please conclude.

SHRI BHUPINDER SINGH: What about Dalits? ...(*Interruptions*)... I speak; other Members do not have the guts to say. We are all equal first. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): That is why you were given 12 minutes and you have spoken for 20 minutes. ...(*Interruptions*)... Kindly don't compare. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUPINDER SINGH: If I don't mention this, that means, ...(*Interruptions*)... I have also no guts to say that what equality means. We should understand the equality. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You have also consumed more time. Kindly conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, whatever I have spoken, you go through the record. I have not repeated even a single word. I have not repeated a single word mentioned by all previous speakers till day before yesterday. I have not talked on political lines.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Instead of this, you can conclude with your words. Speak what you want to say.

SHRI BHUPINDER SINGH: I have only tried to remind that there is nothing important than man and there is nothing important than India. India is our dharma. That is more important.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Wonderful. That is it. Very good.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, I have no other way but to say because Sharadji has told कि यहां कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं। बोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती है। Sir, we are here ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Bhupinderji, you have been arguing. ...(*Interruptions*)... Please. You have taken nine minutes more than the time allotted to you. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, I have not taken more than double the time allotted to me. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): So, don't compare with this speaker or that speaker. ...(*Interruptions*)... You have also been given more time. ...(*Interruptions*)... Kindly conclude. ...(*Interruptions*)... Don't waste your time by way of speaking like this. ...(*Interruptions*)... Kindly conclude with what you want to say and stop. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUPINDER SINGH: I will cooperate. I am going to sit.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please conclude.

SHRI BHUPINDER SINGH: I am reminding the House that I have not taken more than double the time that is allotted to my party, Biju Janda Dal. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Very good. Thank you very much. Mr. Majeed Memon.

श्री माजीद मेमन (महाराष्ट्र): आदरणीय डिप्टी चेयरमैन जी, सबसे पहले मैं अपने नेता, आदरणीय शरद पवार जी, हमारी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे जितने संसद सदस्य हैं, उन सबकी तरफ से collectively भारत के महान् सपूत बाबा साहेब अम्बेडकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। I salute him for his stature, for his services in not only formation of the Constitution but also taking up a very challenging assignment of coming to the rescue of backward and Scheduled Caste people.

Sir, the discussion is on the Constitution and I have heard since Friday, from both sides, long speeches talking about the history of formation of Constitution. Sufficient time was given by this hon. House and the hon. Chairman in hearing of the formation of Constitution which is an old story now, 65-70 years ago. I think, the little time that I have, I would rather not go to the past and would speak about the Constitution as it is seen and felt today, and the Constitution which inspires us and guides us in the light of future of India.

The Constitution of India is a sacred document, longest written one, in the world of which every Indian citizen is proud. The Constitution is the apex law that regulates the conduct of individuals, institutions and the three vital organs of the State, namely, the Legislature, the Executive and the Judiciary. Since the Constitution is the law of the highest order, any other law, rule, regulation or notification issued by any authority within India, including the State Government and the Centre which is in conflict with the constitutional provisions, is struck down always.

The Constitution that came into operation on 26th of January, 1950, which is marked as Republic day every year, was given to us by ourselves and the framers of the Constitution cherished the dream of all the Governments in India were to be of the people, for the people and by the people. In the course of past over 65 years,

the Constitution had to be amended over a hundred times and this was due to the practical experimentation of its provisions and the changing needs of the growing Indian society. The Constitution has all along been under severe interpretation of the apex court and at no point of time its subversion in any form or shape by any Authority has been sustained.

The Leader of the House in his opening discussion to this debate referred to Article 21 of the Constitution and lamented its suspension during brief emergency period. It is true that between 1975 and 1977 various provisions of the Constitution of India were suspended due to proclamation of emergency by the then Prime Minister. The Leader of the House was expressing that how it was done and what happened. That period in the constitutional history of India is marked as "black days". The political decision to proclaim Emergency, for whatever reasons, then was a monumental blunder for which the then otherwise extremely popular Prime Minister had to face the wrath of the people. A massive negative mandate was handed down to her in 1977, and she was thrown out of power, the lesson being that the posterity would never ever think of proclaiming Emergency for internal reasons. We are glad that the hon. Prime Minister, in his speech on Friday, did specifically mention that amending or tampering with the core values of the Constitution for any Government would be suicidal. I fully support this statement.

Article 21 is the soul of all Fundamental Rights guaranteed under Part-III of the Constitution. I would draw the attention of people in authority today that right to life does not mean mere existence. Over the years, the Apex Court has dealt with this right in a series of decisions from the A.K. Gopalan's case to the judgement in the Unni Krishnan's case. The courts have expanded this right to include within it the right to live with dignity, the right to live fearlessly and the right to enjoy life with a sense of security. If we ask ourselves a question as to whether today a large section of Indian citizens comprising of Dalits and Muslims in particular and backward tribals, etc. enjoy this Right to Life, the answer by our conscience would be a big 'no'.

The Preamble of the Constitution assures justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship and equality of status and opportunity to all the citizens of India and to promote among them fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. During the present rule of the last one-and-a-half years, social and economic justice is visibly not being made available to the people and liberty of thought, expression, belief, faith and worship has been severely and constantly under attack, not to talk of phrases like *Love Jihad* and *Ghar-Wapsi*. The brutal killing of Govind Pansare and M.M. Kalburgi, the inhuman assassination of Akhlaq in Dadri and the burning of Dalits

[श्री माजीद मेमन]

in Haryana are some glaring instances of absence of liberty of thought, expression, faith, belief and worship as assured by the Constitution. This is a tragic violation.

The Dalits and the minorities have been a soft target for onslaught by a powerful section of the society with implied sanction of those in authority. Highly objectionable statements made by the Union Ministers and MPs from the Ruling Party, which tend to adversely affect the unity and integrity of the nation and create an atmosphere of hatred, fear and suspicion as also a sense of insecurity among a large number of Dalits, Muslims and other backward sections, have gone unchecked.

Our leader, hon. Shri Sharad Pawar, and our Party, the Nationalist Congress Party, has always stood firmly, whenever the occasion arose, on the side of the Dalits, minorities and socially backward people to fight for their rights and ensure them justice and liberty guaranteed under the Constitution.

Several eminent people, who have excelled in various fields, have chosen to return their well-deserved awards in anguish and disgust when they found that deprivation of liberty and justice and consequent unrest in the Indian society is visibly growing. It is unfortunate that we attributed motives to their action and failed to receive and register their views and take corrective steps to convince them. They were faulted and called anti-national, traitors and even terrorists by some in power. Mind you, they have not criticized India, their motherland. They have drawn our attention to the present atmosphere of fear, hatred and suspicion between two major communities in the Indian society, which needed to be attended to and cured.

While in the Constitution we talk of equality, social and economic justice and fraternity, we are anguished to find the widening gap between the rich and the poor. A report suggests that one hundred Indian families own 25 per cent of the Indian wealth. This concentration and mal-distribution of wealth needs to be cured through aggressive fiscal policies. A huge number of youths are unemployed, common people are reeling under price rise, a large number of farmers commit suicide not just due to betrayal of nature but due to abject poverty. On the ground, thus, where is liberty, equality and fraternity? Learned Hand once said about liberty and I quote, "Liberty lies in the hearts of men and women; when it dies there, no constitution, no law, no court can save it; no constitution, no law, no court can even do much to help it." While both liberty and equality have more to do with legal rights, fraternity belongs to the sphere of moral obligations rather than rights, links rather than statutes, harmony rather than contract, community rather than individuality, and it is in this area that we have lagged behind most. Legislation can provide the rights to ensure

liberty and equality but fraternity is a feeling of brotherhood. It has to be felt; it cannot be imposed. It is a bonding. We have to create a society where everyone, its weakest members -- the dalits, the minorities -- feel secure and confident and for this the Government may need to take positive steps, affirmative action and doing that is not appeasement. It is rather reaching out which is required and this is what is wanting. Instead of reaching out to these weaker sections, we find those in office and positions of power making statements to spread hatred, fear and violence. This must stop if we talk of good governance. Our tall claims to possess and follow an outstanding document called "Constitution of India" would seem hollow and an instance of self-deceit. With my own Urdu couplets, I would end my speech:

"हक है चाहे जहा वतन में रहें,
यह अलग बात है फुटपाथ हो घर,
हक बराबर है सबको जीने का,
खून देकर जिएं या खून पीकर,
हक है चाहे सो कारोबार करें,
पैसा हक का हो या चोरी का,
घर में मजदूर के न हो रोटी,
पेट भरता रहे तिजोरी का,
हक यह है, हक वह है, सभी हक है,
हक तो यह है कि हम असीर हैं आज
कल के हाकिम हमारे कुछ अग़यार,
चंद अपनों में ही अमीर हैं आज,
खोखले इन हुकूक़ को लेकर,
जश्न जम्हूरिया मनाते रहें,
भूख से तिलमिलाए तिफ़लो ज़ईफ,
हम तरक्की के गीत गाते रहें।"

SHRI K. PARASARAN (Nominated): Respected Vice-Chairman, Sir, I thank you for your kind indulgence. With your kind leave, I will share few minutes with hon. Members of this hon. House. Sir, a few minutes back I observed that Mr. Deputy Chairman observed that the speaker is one who finish in five minutes. I will see if I pass the test or fail. There has been a lot of controversy going on. Here I want to quote the words of Dr. Ambedkar because it is about how we have to function and how we have to walk the path which he showed. He said, "So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. Our difficulty is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march on the way which leads us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate, our difficulty is with regard to the beginning.

[Shri K. Parasaran]

Therefore, I should have thought that in order to make us willing friends, in order to induce every party -- I don't mean any political party here -- every section in this country to take on to the road it would be an act of greatest statesmanship for the majority party even to make a concession to the prejudices of people who are not prepared to march together and it is for that, that I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans, let us leave aside words which frighten people. Let us even make a concession to the prejudices of our opponents, bring them in, so that they may willingly join with us on marching upon that road." I don't want to read further. He wants all of us to march on a road with, as far as possible, consensus. I was noting all the decisions of the Supreme Court where the speeches of Dr. Ambedkar made in the Constituent Assembly have been referred to. There are 67 such decisions. In some of these decisions, the lawyer's argument is based upon it, but in many of them, the Supreme Court relies on the speech of Dr. Ambedkar as guidance for their interpretation of the Constitution. The only exception in the recent times is the judgment in the NJAC case where the Supreme Court read the speech of Dr. Ambedkar but gave it the exact opposite meaning of what Dr. Ambedkar conveyed. In fact, it was, except for one dissent, a unanimous decision by the Lok Sabha and by the Rajya Sabha. It is unfortunate that the Supreme Court should have struck it down. This is based on a doctrine which is very difficult to reconcile. I can give only one instance. A Commission was appointed to review the working of the Constitution when Mr. Vajpayee was Prime Minister. A retired Chief Justice, Mr. Venkatachalaiah, one of the outstanding Chief Justices of the Supreme Court, was its Chairman. Two other Members of that Commission were Justice Sarkaria, a retired Judge, who gave a wonderful report on Centre and State relations, and Justice B.P. Jeevan Reddy, a well-known intellectual. Supposing these three Judges had been in the Bench of five Judges; what would have been the majority judgment? It is an accident that it is 4:1. The minority view could have been the majority view then. But the Judges felt that this is not a fit case for reference to a larger Bench. That, again, is not appropriate. The question arose in the earlier decision in Kesavananda Bharati case. In Golaknath case, the judgment was given by 11 Judges. The reference in Golaknath case was made for two reasons. The first reason expressed was that the court would make a reference not merely because Golaknath judgment was given by 11 Judges but because of the importance of the question - the separation of powers and the powers of the Parliament when making an amendment and that of the Judiciary. The Supreme Court, in Kesavananda Bharti case, which laid down the basic structure doctrine, overruled the Golaknath judgment and upheld the validity of a Constitutional Amendment which, in turn, reversed Golaknath. This is only in a recent instance where I find Dr. Ambedkar's expression has been given an interpretation which is exact opposite of it. This is the first one.

Secondly, I was carefully listening to the speech of every hon. Member of this hon. House. I went on noting it. There were some of the points which I had noted in my mind. Now, I think almost nothing is left. They have very exhaustively dealt with the values which we derive from the life of Dr. Ambedkar. So, I thought what is the value that we have derived. As far as Dr. Ambedkar is concerned, he used to join palms to quench his thirst from the water which flew from the tumbler after a peon of the school where he studied poured it because he had no right to touch that tumbler. And, it is an irony of destiny that Dr. Ambedkar became the Minister of Water Resources in the Provincial Government formed after the Constituent Assembly settled the Constitution and before the elections were held in 1952. Dr. Ambedkar also received the help from a Princely State, the Gaekwad of Baroda, for going abroad for education on a charity of 12 sterling pounds per month. It is very interesting to note that he was evaluated in the matriculation examination in India and given 37.5 per cent marks. In those days, the passing marks were 35 per cent. Even in the days when I wrote the examination, the passing marks for SSC and matriculation were only 35 per cent. This was how he was evaluated, but he went abroad. When he returned, he came with two doctorates. Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathom'd caves of ocean bear: Full many a flower is born to blush unseen, and waste its sweetness on the desert air. Fortunately, for this country, his sweetness was not wasted in the desert air because of efforts of Dr. Ambedkar -- of course, others were also there -- as the Chairperson of the Drafting Committee of the Constitution has emerged, a wonderful document, which is one of the best Constitutions in the world. He was so wise that there is a provision in the Constitution which oust the jurisdiction of the Supreme Court and all the courts in the country, and, that is, Article 262 (2) of the Constitution. The Constitution does not oust but it empowers the Parliament to pass a legislation by which it can oust the jurisdiction of even the Supreme Court. The Parliament, in its wisdom, in 1956, ousted the jurisdiction of the Supreme Court and High Courts and constituted Tribunals for adjudication of those disputes. Unfortunately, States have not been able to settle the disputes by consensus, as Dr. Ambedkar advised, and work on the path of negotiations. The statute provided by section 3, the two States will negotiate between them and arrive at a settlement and one year period is provided, and, if one year, they fail in their negotiations, then, on the differences, they go to the Tribunal. But today the predicament is that the same political Party in one State talks in one voice but the same political Party in the other State talks in the opposite voice; it is like what Dr. Ambedkar said and what the Supreme Court in the NJAC case interpreted as to what Dr. Ambedkar intended by what he said. This is the tragedy. The Cauvery Disputes Tribunal was constituted on 2.6.1990. We are celebrating silver jubilee. The efforts of many have gone into it though some people alone may take the credit for the award. Now, they

[Shri K. Parasaran]

have Krishna Water Disputes Tribunal - 2. Already, a Tribunal for this dispute was set up in 1969, which took six or seven years. Now, the second tribunal has been set up in 2004. Eleven years have passed and it is pending in the Supreme Court. I do not want to refer to Ravi and Beas Tribunal. There, the Act provides sitting judges of the Supreme Court or the High Court to be appointed as the members of the Tribunal. But it has become almost a practice that judges are appointed on the eve of their retirement. When they function as Tribunal members, they are retired judges and they do not command such power and authority as sitting judges. This has been the tragedy of water disputes. I referred to these because one of the points made in this House was relating to 'cooperative federalism'. ...(*Interruptions*)... Yes, I think, the Leader of the House said it. Rightly, he said it. ...(*Interruptions*)... I am complimenting you; please don't worry.

SHRI D. RAJA: Sir, the hon. Member is talking about water disputes and the Supreme Court judgements. The Water Resources Minister is sitting here.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: We have all very highest regards for Parasaran ji, an eminent jurist of India. Whatever he says are the pearls of wisdom.

SHRI K. PARASARAN: I am a three years old child in this House but I have been telling others outside that you may talk so lightly about them but I found that everybody is so well informed that if something happens in Kashmir or Kanyakumari, within half-an-hour, the member in the House comes to know about it and raises a question; he takes the leave of the House and raises a question, and, we are all underestimating them. They have got more information and more knowledge, and, I learnt it after I came here. Sir, politicians have become the objects of ridicule today. In every walk of life, there are good and bad things. I don't know how it is. The Supreme Court held the Law Minister as unacceptable in the appointment of judges. The Article says that the appointment of judges is by the President, which means, on the aid and advice of the Council of Ministers in the Constitutional sense. Now, we will see the judgement what it reads. Ambedkar expressly said, consultation does not mean concurrence. He rejected the suggestion made by Mr. B. Pocker Saheb that consultation should be substituted by concurrence. Now, the judgement is that Judges will exclusively appoint judges.

Leaving aside this controversial question, let me deal with the topic of quasi-federalism. Federalism not only means the Centre-State relations but also mutual courtesy and respect by one State for another. No doubt, each State will have to compete with another State for getting the first rank; be it about education, eradication of poverty, employment or social upliftment. They have to compete with each other. But, when it is a question of mutual adjustment of rights, there has to be give

and take, as very rightly advised by Dr. Ambedkar. I rose to speak because I am also a lawyer and he was one of the greatest of lawyers. From him, what did I learn? I had occasion to read all his speeches in the Constituent Assembly because without knowing that, I could not have argued Constitutional cases for 35 years in the Supreme Court. I had occasion to read every one of them. In the matter of articulation, his speeches in the House were remarkable. The Supreme Court just not refer to the speeches of the Ministers and speeches of the Members while interpreting a plenary legislation, except the speech of the mover of the Bill the exception is, when they interpret the Constitution, they refer to the speeches of the Members in the Constituent Assembly. Therefore, I had to necessarily read those speeches. I had intensively read Dr. Ambedkar. From him, one has to learn how to articulate, to carry people with you. His speech, his reasons prevail not by reason of his power but by power of his reason. That is the one thing which we lawyers have to learn. The second thing I found is, it was persuasive and not aggresive. Of course, I have not got the permission to speak in Tamil. I give the translation :

> "An arrow can penetrate an elephant and kill an elephant. The same arrow cannot penetrate an elephant stuffed with cotton. An iron bar cannot enter between two rocks, but the tender root of a plant can enter between two rocks."

This is what I have learnt from the speeches of Dr. Ambedkar. What today is required is not arrogance, as he says, not slogans, as he says, but persuasion, mutual cooperation and response to the other's feelings. If we do so, these inter-State disputes can be resolved within one year. We need not be hanging in the corridors of the Supreme Court for years. I understand Ravi-Beas had cost the exchequer nine crores. Only we will be taken aghast when we see the amount spent in the litigations which we have got in other water disputes. Today the litigation is so costly, and the Chief Justice Venkatachaliah once sitting in the court said, the fees of lawyers today has become a king's ransom. This is the cost of litigation today. And still States have not realized that our federalism is a cooperative federalism, that is, it is a union of the States. Therefore, the Supreme Court has rightly said that it is not federalism in the strict sense; it is quasi-federal so that we maintain our rights. We compete with other's rights to get the first mark in the way we function, but we also mutually adjust our rights not to prejudice rights of others. It is the relationship of harmony between the Centre and the States and the States *inter se* among themselves. This is the cooperative federalism which I am able to perceive, which has been referred to by the Leader of the House.

I thank you Mr. Vice-Chairman for the time you have afforded me. I know that the time of this House is very precious and more learned people are there to address. I thank you for the time given to me.

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mr. Parasaran, for the valuable deliberation. Now, Dr. Keshava Rao.

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. I find myself in the same dilemma which my senior colleague, Mr. Parasaran, finds himself in. Having heard all people and going through what has been said, I think, there is nothing left for me to add. But nonetheless there is a prioritization that we people are doing here. That needs to be really focussed on. It is not mere airsplitting technicalities of law that we are getting into. Although I thought I would speak on them, now I would like to leave it away. Sir, before I do that, at the very outset, let me salute those 298 Constitution makers who were in the Constituent Assembly because we are celebrating this. Particularly my thoughts go to Mr. B.N. Rau, who was appointed as consultant and advisor for Constitution making. His death anniversary falls today. So, all of us must think of him. He is the person who really worked hard and gave every sort of information from all over world because earlier he gave the Constitution to Burma.

Now, whatever it is, Sir, there are two or three serious things that I would like to talk about because the way, even the Treasury Benches, i.e., the Ministers and also we parliamentarians, took it so easy. I never thought that the Members here would take the debate so casual. First, somebody challenged why there should be a Constitution Day at all. Sir, 26th November, 1949 is a day by itself. Let me correct it, I was just now talking to Mr. Ravi Shankar Prasad that it was on this day the Constitution was enacted. Please let me make it clear. Look into your Constitution books, you will find out. It came into force on 26th January, 1950. It spanned more than a hundred years – Congress people must be happy but none of them got up to say that – much before you could think of the Constitutional rights or equalities, in 1895, Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak gave Constitution of India in unofficial effort. They held a conference. In 1918, they held a conference that is even before the India Act, which came in 1935. Earlier, we had a Round Table conference. So, all that we are discussing is a role of the Congress Party. Congress ensured all people were there, even Shyama Prasad Mukherjee from Hindu thought because they wanted to include all people. All shades of opinion had to be factored in when we are thinking of a Magna Carta for the nation. That is why they went to Shyama Prasad Mukherjee and asked him to serve on the Constituent Assembly. We had Sarvapalli Radhakrishnan, Alladi Krishnaswamy and even Dr. Ambedkar. They were non-Congressmen. They thought these people had to have their say in the deliberations of the Constituent Assembly so that we give unto ourselves a good Constitution,

some kind of a mandate. Sir, having said that, let this debate not become a ritual. I agree with Mr. Yechury that we should have had thought of this not as a ritual but some kind of a serious debate of two or three days followed up by some kind of a legislative mechanism that will fill the wantings in the Constitution presently so that whatever objections or various suggestions are made, they could be backed up by some kind of new legislative measures or whatever statutory measures they are. This is what exactly should have been the debate today. But, nonetheless, it is nice that the Government of the day thought it fit that they will have this Constitution Day. I congratulate them because 26th November is by itself a very important and prominent day as big as anything like 26th January, if you have looked into the epochal debates of the Constituent Assembly. That exactly should be the importance. Then, Sir, now everybody is talking about what we should do. This period of sixty-five years has sustained us, it stood by us and seems good. But I don't agree because I belong to an entirely different school of thought. I am sorry if I am not agreeable to most of you. What exactly does the Constitution mean? I am only referring to the Dr. Ambedkar's speeches. Constitution is all about bringing out a new society, a new social order. What social order is needed? We are talking of intolerance. You are all tolerant but there was joys when we were being shooed. When I was not allowed to touch a book, I was thrown out of the house. I am talking to you out of personal experience. Mr. Raja will tell you his personal experience or Mr. Punia will tell you his personal experience or somebody from Maharashtra will tell you. That was the society we inherited. That was the kind of stratified society we inherited. I am not talking of the diversified society which you all talk because that sounds very nice to you people but I am talking of stratified society where a man is not able to touch the other man. This parallel is not found anywhere in the world. The world's worst kind of social stigmas that we have suffered cannot be imagined and you are living up to that when you are talking Constitution, during the first deliberations of Constitution there were concerns in the Congress Party and Swaraj Party. This was the situation at that time and we had to fight that. That was the first thing. That is why what I always thought was that Constitution is all about building a new society. Dr. Ambedkar said we don't have a nation; we were a nation in the making. That should be the beginning of it. While all the quotations that you have made are on the same page, and I agree with everything; a few of them are missing because the new social order we have promised, we have pledged to build is not yet achieved and not yet attained. That is what we must do today if we are to sit today and talk about the Constitution. I am not talking about the Constitution to have a six-year term or a five-year term, for us, but fundamentals.

[Dr. K. Keshava Rao]

The second point he focussed was about affirmative action - reservation. And all I want to say about it is this. He said that till yesterday the entire administration was dominated by high priests. What is this equality? It is the formal equality versus the factual inequality. The society that we inherited was one which promised formal equality. But against what? Factual inequality. That need to be broken. You call him a great man. It is about karma sidhanta. Yes, its links had to be broken. They had to be. I am again reminding you what he said. Ambedkarji did say that, "Today, the entire administration is dominated by the high caste people. Tomorrow, after the adoption of the Constitution, you will have them in the Parliament also." But the discussion today is exactly on how we can change their mindset. All of us sitting in this House, who have pledged and dedicated ourselves to the Constitution, should have thought as to what exactly has been going wrong and what we should do to correct it. We have the so-called Sarda Act. We think that the dowry system has gone. But has it really gone? Legislation will at best give us legitimacy. It will not show us the reality. What we need is a movement. This is what exactly he said. He said, "I am unfit to be in the Constituent Assembly if the Directive Principles don't become a directive. It is the Directive Principles which give us the equality, all the fundamental rights and a new social order. If they don't become a directive and just remain on the pages because they are non-justiciable, then there is no need for the Constitution at all. There is no need for freedom or independence at all." This is exactly the kind of independence and republicanism that we want. My right to vote along with other people might give me some right but does not give me the value I asked.

Mr. M.J. Akbar is not here. All that Mr. M.J. Akbar said, he should have said that to Mr. Modiji. That would have been the best part of his speech. He said that it would bring us together. No. We are romanticising poverty. If I ride my bicycle and park it at a wrong place, what kind of treatment I would get from the police and their lathi you all know. He would first kick the bicycle, then he would kick me, and then he would talk to me. If I come by a Mercedes car and park it at a wrong place, not only at a wrong place but before the policemen, what would they do? They would come up to me and ask me, "Sir, will you park your car somewhere else?" Sir, this is the kind of society we have inherited and we are still continuing with it. Come to my place. Come to Mahbubnagar. They still keep two glasses for different castes. After 65 years of independence and after 65 years of giving the Constitution to ourselves, we have this in Mahbubnagar and in many places. And we are today trying to talk about, with all due respect to them, what has happened in Kesavananda Bharati case. That is there, for the nation to function. But at the

same time, this is what we exactly should be looking into. When we think of having a new social order, that new social order had to be thought of breaking the old chains. We wanted to back it through a legislation.

Sir, some 4,000 or 5,000 years ago. Some vedic pundit must tell us about the period. Rig Veda says, "O God, give us strength to ward off evil." That means there was evil at that time. Even today, we get up early in the morning and pray to God to give us strength so that we can ward off the evil. What happened? In the past 4,000 years, nothing has happened. God perhaps is sleeping somewhere. I don't know about it but He has not come to save me. But the Constitution is not like that. Parasaranji would bear me out. Whether we like it or not, if we do something wrong, we would be kicked out and you will be inside. Yesterday, it really made me feel happy when Mr. Modi said that one must know that we can have harmony in the society through law only. And that law has come through the Constitution. The law that we make under the Constitution becomes important immediately.

Sir, the values of society that we are talking about are entirely different from that of West. Both are entirely different. In the eighteenth century, all kinds of atrocities had claimed divine sanction in our society. In nineteenth century, the Bhakti movement wanted to break it, but still it continued. In twentieth century, as I said, things are changing. But, they need to change more if we are aiming at some kind of a new social order. We are looking forward to that kind of a social order. On this day, we are trying to dedicate ourselves and pay homage to the great man. For me, as far as Ambedkar is concerned, he is the voice of the voiceless, the light in the darkness, hope for hopeless, etc. I can go on adding more words. It means to us. But, the Constitution or the law or the administration continues to be the same; if not the same, at least, it continues to fail us. That is why Ambedkar said, "It is not the Constitution that fails. The people who handle it might fail you."

Now, I refer to the Leader of the House, who told us about the difficulties. Mr. Venkaiah Naidu told us about a few more difficulties. He told us about regional disparities. He told us about the water grids. He told us about the AP Reorganisation Bill. How or why are they failing? The Government comes into the picture as far as the Constitution is concerned. The moment you are put in, please respect that. The people have voted for you. You got the mandate. We respect that mandate. We respect the people's voice. That is why you are there. But, you are forgetting why you are there. Why am I expecting things from you? Mr. Ravi Shankar Prasad is a Minister. He can do whatever he wants. I am expecting that because he has got the mandate. There is no going back on that. But, please also understand why he is there and why he has been called to be there. All the regional disparities and other things which you are talking about today and other administrative malpractices should be handled and corrected by you. I am not saying it but law says.

[Dr. K. Keshava Rao]

Sir, I come to the last point because the time is up. They are talking of intolerance. Intolerance to intolerance per se is intolerance. If you think I am intolerant, how could you become intolerant to my intolerance? I have not so far understood that. For a person like me coming from your own party, the Congress, when I opposed Emergency and suffered, none of you had any tear to shed. In Emergency, all of us were put into jails. Afterwards, we all were freed. I am also a national award winner as far as film production is concerned. I have many methods to protest, but, anyhow, I would not like to comment on those who have returned Awards, because they have a right. They have a right to do that. Let them do it. But, let them not become martyrs or heroes by belittling us, only because they have done that. They have a right to do what they think. That could be their protest.

Lastly, I come to NJAC. We had one of the best presentation made in the House from the then Law Minister. Everybody agreed. Few objections or clarifications were there. Though they were not really sorted out, but he replied and clarified in a manner that all of us were satisfied. Although I told him that this might not stand because, the people, who were looking at it may not like that. But, reason, rationality and even sanity would tell us that they should have held it up. Today, I am very happy that even a man like Mr. Parasaran says that what has been done by them is wrong. I will not go deep into that. Many people have asked why it has gone wrong. But, Mr. Parasaran gave an answer to it. Sir, I want the Government to look into the measures as to how we can undo the atrocious thing that has been played on this House. Something has to be thought of for this kind of a thing. Otherwise, this Parliament cannot run. I am only quoting that for the first time, when the non-official Constitution effort of Annie Besant was therein 1895, she said that the Parliament should be supreme, overriding every aspect of judiciary and executive. It is article 5 of the Non-Official Constitution she recommended.

So, there are many issues with us. There is the issue of social justice. There are issues of NJAC where people are trying to override. There is an issue of administration. Thank you very much, Sir.

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश) : मान्यवर, हम एक अजीम शख्सियत, एक महान विधिवेत्ता, भारत के संविधान के रचयिता, बोधिसत्व, "भारत रत्न", दलितों, वंचितों और उपेक्षित लोगों के नायक, उनके उद्धारकर्ता बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर के 125वीं जयंती पर्व पर और उनके द्वारा भारत के संविधान की रचना में किए गए विशिष्ट योगदान का स्मरण कर रहे हैं। सदन में हमारे सदन के नेता ने बहुत ही तजबीज़ के साथ, बहुत बेहतरीन तरीके से और बाकी के लोगों ने भी संविधान की विशेषताओं के बारे में कहा और निश्चित रूप से कृतज्ञ राष्ट्र का भारत के संविधान के निर्माता के प्रति अपनी आदरांजलि व्यक्त करने का यह सुअवसर

125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हो गया। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, एन.डी.ए. की सरकार को और सदन के सभी माननीय सदस्यों को अभिनन्दन और बधाई देता हूं कि आज हम इस चर्चा को कर रहे हैं। डा. भीमराव अम्बेडकर के बारे में ऐसे प्रायः सब लोग जानते ही हैं, लेकिन जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी विशेषताओं के बारे में, जिन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ और जिन परिस्थितियों में उनका शिक्षण हुआ, वे पले-बढ़े, असहायता की स्थिति में किस प्रकार से उन्होंने कष्टों को सहा, उपेक्षाओं को सहा। जब उनको बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से थोड़ी सी सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्राप्त हुई तो वे विदेश में शिक्षण के लिए गए। उनका शिक्षण किस मुश्किल से हुआ है, उसका स्मरण करते हुए हमारे मन में तीव्र वेदना होती है। केवल छात्रवृत्ति ही उनको प्राप्त थी और कोई सहायता नहीं थी और जब कोई अन्य सहायता नहीं थी तो ऐसी स्थिति में गुजारा कैसे हो, अध्ययन कैसे हो? तो वे दिन भर बैठ कर बिना खाए हुए और शायद एक कप काफी या एक-दो ब्रेड के स्लाइस के आधार पर अपना गुजारा करते थे। यह बात अलग है कि उनके प्रति सहानुभूति रखने के लिए वहां के लाइब्रेरियन और अन्य लोगों की मित्रता के कारण उनको थोड़ी सुविधा हुई। क्या छात्रवृत्ति के नाम पर कुछ रुपए देकर हम मज़ाक नहीं करते? यह पहले भी मज़ाक था और आज भी मज़ाक है। छात्रवृत्ति दी जाती है उन लोगों को जिनको कि जरूरत होती है, जो असहाय होते हैं, जो गरीब होते हैं और जब छात्रवृत्ति देते हैं तो उनके जीवन के गुजारे लायक कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था तो जरूर होनी चाहिए जिससे वह सामान्य तरीके से अपना जीवनयापन कर सके। मैंने भी पढ़ा है और जब मैं पढ़ता था तो छात्रवृत्ति कुछ होती नहीं थी, ज्यादा नहीं थी। मकान के किराये से लेकर, अपना खाना बनाकर, स्कूल के लिए तीन किलोमीटर पैदल जाकर, कॉलेज में जाकर पढ़ने का काम करते थे। उन परिस्थितियों में उन्होंने भी पढ़ा और हमने भी पढ़ा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को भी और सदन को भी कहना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति देने का जो काम है, वह भिक्षा की तरह नहीं देना चाहिए। छात्रवृत्ति देने के लिए उस वक्त की जो जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए उसका पूरा उपाय करना चाहिए। इसलिए जो प्रतिभावान छात्र हैं, उनके बारे में चिंता करते हुए और प्रतिभावान का मतलब यह नहीं हुआ कि दस-बीस-पचास-सौ-एक हजार हों। प्रतिभावान तो जब लाखों लोग निकलते हैं तो उसमें से फिर चमकने जैसे जो लोग निकलते हैं, अम्बेडकर जैसे लोग, वह अम्बेडकर जैसे लोग अब क्यों नहीं हो रहे हैं? अब अम्बेडकर जैसे लोग क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका कारण ही यही है कि कुछ समय में उनकी बाध्यता होने के कारण से वे पढ़ नहीं पाते हैं और इस प्रकार से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। मैं इस विषय को यहां सीमित करते हुए उनके योगदान के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने जितना शिक्षण किया है, वह हमारे लिए गौरव की बात है। वह हमारे लिए आदर्श की बात है, अनुसरण की बात है। उन्होंने MA., Ph.D., M.Sc., D.Sc., Barrister-at-Law, L.L.D., और D.Litt किया। इतनी उपाधियों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अध्ययन में अपना कितना समय लगाया होगा, इसका अंदाजा हम कर सकते हैं। कहा गया है कि वह प्रायः अपने शिक्षण को करने के लिए 18 से 21 घंटे तक पढ़ते थे, तब जाकर ये सारी परिस्थितियां बनी हैं। भारत के संविधान का निर्माण करने का जो काम था, वह कोई आसान काम तो नहीं था। जब संविधान के निर्माण के लिए उनके चयन करने की बात आई, तो निश्चित रूप से हमारी यह कल्पना बहुत पुरानी थी और उसके लिए बड़े विस्तार के साथ सोचा गया। महात्मा गांधी जी ने उस वक्त विचार करते हुए कहा था, "मैं एक ऐसे संविधान के लिए प्रयास करूंगा, जो भारत को दासता और अधीनता की स्थिति से मुक्त कराएगा।" कोई

[डा. सत्यनारायण जटिया]

किसी के मातहत रह कर कष्ट उठाए, यह दासता है और अधीनता का अर्थ है कि कोई स्वयं अपनी मरजी से कुछ काम न कर पाए, अपनी तरह से अपनी जिंदगी का गुजारा न कर सके। उनका कहना था, "मैं एक ऐसे भारत की स्थापना के लिए प्रयास करूंगा, जिसमें निर्धनतम वर्ग को ऐसा लगे कि यह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी प्रभावी भूमिका रही है, एक ऐसा भारत जिसमें उच्च वर्ग अथवा निम्न वर्ग के लोग न हों।" उनका ऐसा भी कहना था, "ऐसे भारत में छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं होगा। यह मेरे सपनों का भारत है, जिसके लिए मैं संघर्ष करूंगा।" उनका यह कहना और आज जो परिवेश है, वह हमें क्या बताता है? ऐसा लगता है :

"जैसे बंदी जीवन के बंधन बदलते,
कारागार वही है।
बदल गया कुछ लोगों का जीवन,
आंसू पीने वालों का परिवार वही है।"

इन सारी परिस्थितियों को एक बार में परिवर्तित करने में कितना समय लगेगा? यह देश को सोचना है। यह सदन को सोचना है। हम धीरे-धीरे कुछ करते जाते हैं और ऐसा करते जाते हैं, जैसे कोई बीमार आदमी है और हम उसका उपचार इस प्रकार कर रहे हैं कि जैसे वह जिन्दा भर रह सके, सांस ले सके, कोमा में रह सके। वह पूर्ण तरह से स्वस्थ हो सके, उसका उपाय हमें एक बार में करना होगा और हिन्दुस्तान की आबादी में ऐसे लोगों के बारे में चिंता करने के उपाय करने के लिए सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसी बातों को करने के लिए पहले भी हम सुनते रहे और सुन रहे हैं। नारा दिया गया था कि हम गरीबी को हटाएंगे। पर, वह आज तक विद्यमान है। यह कब हटेगी? यह उस सरकार की या इस सरकार की बात नहीं है। यह बात लोगों की जहन में है कि हम उन लोगों को, जो मुश्किल में हैं, जिनको अपनी जिंदगी का गुजर-बसर करने में कठिनाई आ रही है... मैं यह मानता हूँ कि भगवान ने इंसान को इसलिए पैदा नहीं किया कि वह इंसान की तरह पैदा हो और वह कष्टों को सहे तथा अपने परिश्रम के फल के कारण से उसकी मृत्यु हो जाए। God didn't create man to be miserable, to hunger and die in the midst of that plenty which is the result of his own labour. इंसान का जन्म होता है स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए, इसलिए भारत के संविधान में व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है।

मैं भारत के संविधान की चर्चा करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जब हमने राज्य सभा की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया था, तब सबने भारत के संविधान के प्रति शपथ ली थी और मैंने तो संस्कृत में शपथ ली थी। मैंने शपथ लेते हुए कहा था :

"अहं डॉ. सत्यनारायण जटिया यः राज्यसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये, तथा भारतस्य प्रभुतां अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि; तथा यत् पदं ग्रहीतुं अहं उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि।"

(उपसभापति महोदय *पीठासीन हुए)*

हमने भारत के संविधान के प्रति यह शपथ ली थी। हमने सत्यता से, श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक इसके पालन करने की शपथ ली थी। हम यह शपथ एक बार नहीं, बल्कि अनेक बार लेते हैं। चुनाव

लड़ते हैं, तब भी शपथ लेते हैं और चुने जाने के बाद भी शपथ लेते हैं। इन सारी परिस्थितियों में हम इन सारी बातों को करते हैं और हमारी तो यह परंपरा है, यह परंपरा वर्षों से हमारे यहां स्थापित है। हमारे यहां कहा गया हैः

"संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनासि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे सं जानाना उपासते।।
समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम्।
समानं मंत्रमभिमंत्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।।
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।।"

इसलिए यह कहा गया है कि हम कदम से कदम मिलाकर चलें, आगे बढ़ें और समय के साथ चलें। ...**(समय की घंटी)**... हम आपकी समय की चेतावनी को समझ रहे हैं, किन्तु मुश्किल यह है कि मैं इसी तजस्सुस में हूँ कि मैं यदि हूँ तो क्यों हूँ? यह एक प्रश्न है जिसका हल मुझे ढूँढ़ना है। इसीलिए मैं सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि यह शानदार बहस शुरू होने का काम हो गया। हमारे यहां तो यह परम्परा है कि इन सारे कामों को करने के लिए जिस तरह से भारत के संविधान में हमने कहा है, उसको मैं ...**(व्यवधान)**... माननीय उपसभापति महोदय, मुझे आप दो मिनट का समय जरूर दीजिए। हमने कहा है कि हम, भारत के लोग, we the people of India, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, फिर बीच में हमने जोड़ा—समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, मैं यहां पर अपने आपको सीमित करते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि हमने सामाजिक न्याय देने की बात कही है। सामाजिक न्याय का अर्थ है, गैर-बराबरी को समाप्त करना। गैर-बराबरी को समाप्त किए बिना, सामाजिक स्टेटस को प्राप्त किए बिना व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा नहीं रह सकती और इसलिए सामाजिक न्याय की स्थापना करने का जो महत्वपूर्ण काम है, वह हुए बिना आर्थिक बराबरी और आर्थिक न्याय संभव नहीं हो सकता है। आर्थिक न्याय के लिए यह जरूरी है कि उसको सामाजिक न्याय मिले और सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलने के बाद ही वह राजनैतिक न्याय प्राप्त कर सकता है। आज हिन्दुस्तान में करोड़ों लोगों को सामाजिक न्याय की प्रतीक्षा है और उसको पूरा करने के लिए हम सब को ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे उसको शिक्षा के अंदर अवसर मिले। शिक्षा की समानता के लिए उसे अवसर मिले। हमारी शिक्षा भी असमान है। गरीब की शिक्षा भिक्षा जैसी है और संपन्न की समृद्ध है, तो ऐसी शिक्षा में जो अंतर आ गया है, उसमें गरीब का बेटा, सामाजिक न्याय से वंचित जो व्यक्ति है, उसका परिवार किस प्रकार से अपना गरिमापूर्ण जीवन-यापन करने का काम कर सकेगा? ऐसी परिस्थितियों में हम यह जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से इन सारे कार्यों को करने के लिए आप सब का धन्यवाद करते हैं और जिस तरह से हम कर रहे हैं ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, okay. All right.

डा. सत्यनारायण जटिया : आखिर में, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें इतना बड़ा योगदान दिया है, उनके प्रति कहना चाहूँगा कि "जिसने महसूस किया हो, तुझे खुशबू की तरह, वो मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाए तो बनाए कैसे?" हमने जिस महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की है, उनकी जिस प्रकार की गरिमा है, उस गरिमा को हमने भारत के संविधान में देखा है। अब हम उसको किस प्रकार से व्यक्त कर सकें, इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, all right.

डा. सत्यनारायण जटिया : मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, now Kumari Selja.

KUMARI SELJA (Haryana): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this momentous occasion. Sir, I wish to first place on record my sincere appreciation and gratitude to all those men and women who are part of the Constituent Assembly and to those who want but yet played a vital role in creating one of the finest documents in human history.

Sir, we are celebrating 125th Birth Anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar. Dr. Babasaheb Ambedkar was, undoubtedly, the greatest champion of this entire exercise and, Sir, it was a great sense of honour for the Congress Party when he placed on record the role of the Congress Party on this historic occasion. Sir, some mentions have been made about Babasaheb's election from Pune. Sir, here I would like to place on record that it was Mahatma Gandhi who suggested that Babasaheb should be elected from Pune. That was the reason the Congress Party decided that Babasaheb should come to the Assembly from Pune. It was Gandhiji and none other who decided on this. It was Gandhiji, Nehruji and our other senior leaders who decided that because of his abilities Babasaheb Ambedkar should be made the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly. No doubt, he was best suited for this work, for this job because in his own right, he was a legal expert, he was an economist, he was the one who was found, at that point of history of our nation, who would be able to deliver justice to the millions in this country who were craving for freedom not only from the British rule, but also from the shackles of the past of the society. We need to cherish and take pride not just on one day, but every day in the unique and fine Constitution that we have bestowed ourselves with. If you look at history, constitutions were meant to be the supreme legal document and hence the thinking was that such a document was to be rigid and firm. But our founding fathers took the courage to think otherwise. Please allow me to quote Panditji who had commented, "If you make anything rigid and permanent, you stop a nation's growth, the growth of living vital organic people." They ensured that our Constitution achieves the fine balance between rigidity and flexibility. Similarly, though we were an ancient civilization, our founding fathers did not hesitate to learn from the best practices of other nations. With all humility, they studied and identified from several Constitutions across the world, and what they did is what we have witnessed throughout our history, that is, India's openness to welcome and shelter different cultures and practices. It is this immense diversity and plurality

which ensures that moderation wins over extremism. I have no hesitation in saying that today more than ever, there is a pressing need to learn from the openness and tolerance which was displayed by our founding fathers. It is true that the drafting of the Indian Constitution took place under extremely challenging circumstances. Yet, we were able to produce a remarkable Constitution based on the idea of equality and equity. These days some on that side of the House even question the legitimacy of Rajya Sabha. Since they wish to discuss the Constitution, let me remind them that the people who drafted the Constitution were people who were elected by the State Legislatures, and yet even in those days some questioned the legitimacy of the Constituent Assembly. If there was one party which had unwavering faith and commitment in that august House, it was the Congress Party. Eight-two per cent of the Members of the Assembly were Congress men and Congress women.

सर, आज एक होड़ सी लग गई है कि बाबा साहेब का नाम कितनी बार लिया जाए। इन दो-तीन दिनों में जितनी बार बाबा साहेब का नाम हमने सुना, उतनी बार शायद पहले कभी भी नहीं लिया गया होगा। अच्छा होगा कि जब भी और जो भी वक्ता बोलें, हमें और ज्यादा सुनने को मिले। Treasury Benches से मंत्री बोलें या दूसरे वक्ता बोलें और बाबा साहेब डा. अम्बेडकर का नाम अपनी स्पीच में लें या उनके शब्दों को क्वोट करें तो ज्यादा अच्छा हो, न कि केवल इन दो दिनों में उनका नाम लिया जाए।

Sir, another very interesting feature in the entire process of framing of our Constitution was the Objective Resolution moved by Panditji on December 13, 1946. I would like to remind our hon. Members that this Resolution was moved much before the partition of India, but if you read lines 5 and 6, and here, I crave the indulgence of this House to allow me to quote these lines. In line 5, it is stated, "Wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice - social, economic and political, equality of status of opportunity and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action, subject to law and public morality and sex". In line 6, it is stated, "Wherein adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas and depressed and Other Backward Classes.". What this shows is that Congress Party's commitment to secularism and inclusive growth predates the partition. Today, some think that these are bad words. We are mocked at for being called secular, but let there be no doubt that today, India is a strong and stable democracy simply because of our Constitution's unshakable faith in pluralism and no attempt must ever be made to dilute this.

Today, as a representative of the Dalit community, I would like to remind the hon. Members the importance of the Constitution for a section of society, who have been oppressed for ages. For them, Dr. Ambedkar and the Constitution came as a

[Kumari Selja]

harbinger of hope. The Indian State, for the first time, departed from the norms and traditions of caste system in favour of justice, equality, liberty and fraternity, and this was largely due to the untiring efforts of Baba Saheb. This is unfortunate that these principles are yet to be implemented in totality.

सर, आज आज़ादी के बाद 68 साल हो गए हैं। हम बात करते हैं - equality की। आज एक और मुद्दा आ गया है - आरक्षण का। क्या कारण है कि आज आरक्षण का मुद्दा आया है? क्या इस पार्लियामेंट ने, क्या इस देश ने कांस्टीट्यूशन में आरक्षण को नहीं माना? रूलिंग पार्टी की कुछ organizations हैं, उनके हेड हैं, उनके नेता हैं, लीडर हैं जो आज आरक्षण के ऊपर सवालिया निशान लगाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें जवाब मिल गया है। इन्हें जवाब मिल गया— बिहार में, आगे भी मिलता जाएगा, जहां-जहां ये बात करेंगे। इन्हें एक बार नहीं, बार-बार जवाब मिला— मध्य प्रदेश में मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात में भी मिलेगा। गुजरात में भी इन्हें जवाब मिल जाएगा। सर, क्या आरक्षण आज के दिन एक बुरा शब्द बन गया है? क्या कारण है? हम जब यहां पर बात करते हैं या दूसरे फोरम में बात करते हैं, हम दिखाते हैं, सब लोग दिखाते हैं, हर वर्ग के लोग दिखाते हैं कि वे कितने पक्षधर हैं, गरीब लोगों के, दलित वर्ग के। अगर इतने पक्षधर होते तो क्या कारण था कि आज के दिन भी हम इन बातों पर चर्चा करते हैं? कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से सबको अपने दिल पर हाथ रखकर कहना होगा, अपने आपसे पूछना होगा कि जिस spirit से हमारा यह कांस्टीट्यूशन, हमारा यह संविधान हमने अपने आपको दिया, जिस spirit से यह लिखा गया, क्या हमने उसे लागू किया? क्या हमने उसे in letter and spirit लागू किया है? Letter में किया होगा, क्या spirit में लागू किया है? अगर वह किया होता तो जो आज रूलिंग पार्टी है, इनके लोगों को यह सवालिया निशान उठाने की जरूरत न होती। इन्होंने भी इस बात को माना होता, समझा होता, क्या यह केवल लिप सर्विस है? जब हम डिप्रेस्ड लोगों की, दलित लोगों की बात करते हैं, तो केवल लिप सर्विस करते हैं, सही मायने में नहीं करते हैं, दिल से नहीं करते हैं।

सर, हमारे बुजर्गों के वक्त में, बाबा साहेब अम्बेडकर के वक्त में और आज के वक्त में फर्क पड़ा है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ा है। जमीन पर कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन क्या दिलों में फर्क पड़ा है? जो पांच हजार साल की व्यवस्था थी, क्या वह आज बदल गई है? मुझे नहीं लगता है कि वह बदल गई है और मुझे यह भी नहीं लगता कि वह अगले पांच हजार साल में बदलेगी। जब हम एक-दूसरे से बात करते हैं, क्या हम इज्जत से बात करते हैं? यह "तू" और "आप" शब्द किसलिए होता है? पहले आंका जाता है कि ये कपड़े कैसे पहनता है, इसका बैकग्राउंड क्या है? हम उसको "तू" कहकर बोलेंगे, "आप" कहकर बोलेंगे। आज हमारे जैसे कुछ लोग बाबा साहेब के कारण, हमारे संविधान के कारण यहां तक पहुंचे हैं। हम ऐसे टसर के कपड़े पहनने लगे हैं। हमारे बच्चे आगे बढ़े हैं, आईएएस बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं, लेकिन कुछ लोगों को क्या इससे ईर्ष्या नहीं होती है? आज आरक्षण के नाम पर न जाने किस तरह से अपनी भावनाओं को लोग बाहर निकालते हैं कि इन्हें तो सब कुछ मिल गया। क्या पांच हजार साल तक जो हमारे साथ ज्यादती हुई, जो छुआछूत हुई, क्या वह सच्चे मायने में मिट चुकी है? जो हमारे फाउंडर फादर्स ने सोचा था, क्या वह सच्चे मायने में लागू हो चुका है? सर, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। इस कांस्टीट्युशन के कारण, हमारे फाउंडर फादर्स के कारण हम यहां पहुंचे हैं,

यह मैंने कहा और मैं यहां तक पहुंची हूं। कुछ समय पहले जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसमें मैं मंत्री थी, मैं गुजरात गई। मैं दलित हूं पर हिन्दू हूं। हमारा भी मन मंदिर जाने के लिए करता है। मैं द्वारका गई, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं द्वारका मंदिर जाऊं। सबको पता था कि मैं मंत्री हूं, लेकिन मैं देश भर में बहुत मंदिरों में गई हूं, साउथ में भी गई हूं और नार्थ में भी गई हूं। आप* का एक यह भी हिस्सा देखिए। एक यह भी उसका दृश्य देखिए कि द्वारका मंदिर में– पूरे देश में एक नहीं, सैकड़ों मंदिरों में मैं गई हूं, मैं यह नहीं कहती कि सारे मंदिर बराबर हैं या हर जगह मेरे भाई या बहनों को वहां पर इज्जत मिलती है, सब जगह पर इज्जत नहीं मिलती है। मुझे बतौर मंत्री, बतौर केबिनेट मंत्री इस देश का– द्वारका के मंदिर में मुझसे पूछा गया कि आपकी जाति क्या है? **...(व्यवधान)...** मुझसे पूछा गया। **...(व्यवधान)...** आप बैठिए। **...(व्यवधान)...** आप बैठिए। **...(व्यवधान)...**

श्री मनसुख एल. मांडविया (गुजरात)ः यह गलत है। **...(व्यवधान)...** आप ऐसा मत बोलिए। **...(व्यवधान)...**

कुमारी शैलजाः मैं जो कह रही हूं वह सच है। **...(व्यवधान)...**

श्री नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान)ः सर, सदन के सामने गलत तथ्य रखे जा रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

डा. विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश)ः आपको क्या तकलीफ हो रही है? **...(व्यवधान)...** सर, यही intolerance है। **...(व्यवधान)...**

श्री मनसुख एल. मांडवियाः सर, मैं पूछना चाहता हूं कि उनसे किसने पूछा है? **...(व्यवधान)...**

श्री नारायण लाल पंचारियाः सर, इन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। **...(व्यवधान)...**

डा. विजयलक्ष्मी साधौः सर, दलित महिला को यहां भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री मनसुख एल. मांडवियाः सर, मेरा कहना है **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down. Your Minister is here. ...(*Interruptions*)...

श्री रवि शंकर प्रसाद ः सर, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं। मैं भी द्वारका गया हूं, लेकिन मुझसे कभी मेरी जाति नहीं पूछी गयी। **...(व्यवधान)...** द्वारका टैम्पल का अलग मैनेजमेंट है। **...(व्यवधान)...** द्वारका को blame करना ठीक नहीं है। मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं। **...(व्यवधान)...** मैं फैक्ट कहता हूं। मैं द्वारका मंदिर में कई बार गया हूं, लेकिन मुझसे कभी जाति नहीं पूछी गयी। **...(व्यवधान)...**

KUMARI SELJA: Sir, I have not yielded. ...(*Interruptions*)... Sir, I have not yielded. ...(*Interruptions*)...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please allow her to speak. ...(*Interruptions*)... Please allow her to continue. ...(*Interruptions*)... Please allow her to continue. ...(*Interruptions*)... Please sit down. What are you going to say? ...(*Interruptions*)... What are you doing? Please sit down.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, does she not have a right to speak? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is for me to decide. Please sit down. What do you want? It is for me to decide. ...(*Interruptions*)... Shri Seelam, please sit down. Allow her to continue. ...(*Interruptions*)... Sister, you please sit down. Allow her to continue. ...(*Interruptions*)....

SHRI PRAMOD TIWARI (Uttar Pradesh): Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not agreeing to any point of order. What do you want to say in a point of order?

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, let me speak. सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। सर, यह सामान्य परम्परा है कि जब कोई सदस्य सदन में कोई बात कहता है तो उसकी बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। वह सदस्य सदन में अपने personal experience को बयान करता है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Both sides are shouting. You people are also shouting.

SHRI PRAMOD TIWARI: How can they refuse it?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tiwari, please sit down. ...(*Interruptions*)... I find that on both the sides the Members are shouting. So you keep quiet. Let her continue her speech. ...(*Interruptions*)....

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, I want to have your ruling on this. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What ruling?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : सर, अभी हमारे मंत्री दोस्त प्रसाद जी ने कहा कि मैं जब वहां जाता हूं तो मुझे कभी रोका नहीं गया और दूसरी तरफ से हमारी महिला सदस्य को, जो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में वहां गयीं, तो उनकी जाति पूछी गयी। अगर उनकी जाति पूछी गयी तो यह और भी आपत्तिजनक है कि इनकी जाति क्यों पूछी और उनकी क्यों नहीं पूछी?

†**جناب غلام نبی آزاد** (قائد حزب اختلاف)سر، ابھی ہمارے منتری دوست پرساد جی نے کہا کہ میں جب وہاں جاتا ہوں تو مجھے کوئی روکا نہیں گیا اور دوسری طرف سے ہماری مہیلا سدسئے کو، جو کیبنیٹ منسٹر کے روپ میں وہاں گئیں، تو ان کی 'جاتی' پوچھی گئی۔ اگر ان کی 'جاتی' پوچھی گئی تو یہ اور بھی آپتی جنک ہے کہ ان کی'جاتی'کیوں پوچھی اور ان کی کیوں نہیں پوچھی؟

† Transliteration in Urdu script.

SHRI D. RAJA: Sir, it is a serious thing. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*)... This is unnecessary controversy. She narrated what she wanted to say, according to her experience. I am not to decide this way or that way. And hon. Minister has narrated his experience. Both are on record. That is enough. You please proceed, Kumari Selja. ...(*Interruptions*)... What do you want? Your Minister spoke.

श्री मनसुख एल. मांडविया : सर, पार्लियामेंट से कई मेम्बर अपनी कमेटी के साथ द्वारका गए होंगे। **...(व्यवधान)...**

कुमारी शैलजा : सर, यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या? **...(व्यवधान)...**

SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA: Sir, I have a point of order. सर, मेरा एक क्वैश्चन है कि पार्लियामेंट के सभी मेम्बर्स द्वारका दर्शन के लिए गए होंगे, यदि किसी से कभी जाति पूछी गयी है, तो उसका उत्तर "नहीं" है। तो शैलजा जी से यह कैसे पूछा जाएगा? **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, let me listen to the point of order. ...(*Interruptions*)... Listen, please. The convention of this House is that if any hon. Member makes a statement, especially, personal, that will be taken at the face value. But, however, no Member is expected to mislead the House. If you think that a Member has misled the House, there are provisions under the rules. You can invoke them ...(*Interruptions*)... Now, you can proceed. ...(*Interruptions*)... You continue. ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Sir, I crave your indulgence. Sir, they have raised a question mark on my integrity...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. I have already given my ruling. ...(*Interruptions*)... I have already given the ruling. ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Sir, there are two things.

AN. HON. MEMBER: Sir, they have questioned her integrity. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I gave the ruling. It is to be taken at the face value...(*Interruptions*)... It is closed.

KUMARI SELJA: No, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already said. But, at the same time, if any Member disproves it, there are provisions under the rules. You can do that.

KUMARI SELJA: Sir, he cannot question me like this. He cannot question me like this ...(*Interruptions*)... I am accused of. ...(*Interruptions*)...

DR. VIJAYLAXMI SADHO: Yes, Sir. How can he say like that? ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: He cannot question me like this ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. That is his view...(*Interruptions*)... That is his view. ...(*Interruptions*)...He disagrees with you, he said. That is all...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : शैलजा जी, आपकी integrity पर सवाल नहीं है। **...(व्यवधान)...** आपसे एक प्रश्न है. **...(व्यवधान)...** आपने जिस खुलासे को किया है **...(व्यवधान)...** उस खुलासे को आपने मंत्री रहते हुए तो कभी नहीं किया। **...(व्यवधान)...** अभी आपको इतने वर्षों के बाद यह खुलासा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? **...(व्यवधान)...** इसमें आपकी integrity पर सवाल नहीं किया है।

KUMARI SELJA: Sir, this is totally wrong ...(*Interruptions*)... Sir, this is defamation in the House ...(*Interruptions*)... Sir, this is defamation on the Floor of the House ...(*Interruptions*)... He is questioning my honour. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will tell you. See, you made a statement. If any Member feels that it is wrong, he can say that. That does not mean that what you said is wrong. That is only his view. That is all.

KUMARI SELJA: Sir, I am on a different point. I am on a different point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are rules and provisions for that.

KUMARI SELJA: Sir, I am on a different point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, what can I do? If somebody thinks that what you said is wrong, what can I do? I cannot do anything. ...(*Interruptions*)... Nothing I can do ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Sir, I need your protection ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It always happens ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Sir, my integrity and honour...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They are not questioned. He only said that he did not have that experience.

KUMARI SELJA: That has been questioned.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Don't read too much into it. Seljaji, don't read too much. The Minister only said that he did not have that experience. That is what he said. Nobody said that you are telling a lie. Did anybody say?

KUMARI SELJA: That is what they have said.

DR. VIJAYLAXMI SADHO: Yes ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Who said?

KUMARI SELJA: They are questioning me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no ...(*Interruptions*)...You sit down ...(*Interruptions*)... What are you doing? ...(*Interruptions*)... What do you want? ...(*Interruptions*)... Let me talk to her. Let me understand. ...(*Interruptions*)... At least, allow me to understand. ...(*Interruptions*)... I am asking you: Did anybody say that you are telling a lie? In that case, I am ready to expunge it ...(*Interruptions*)... Did anybody say? ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Yes, Sir ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You, sit down ...(*Interruptions*)... I am talking to her ...(*Interruptions*)... I will check the record. ...(*Interruptions*)... See, if anybody said that you are telling a lie, it will be expunged ...(*Interruptions*)... I have no problem in that. But, otherwise, any Member has a right to disagree with you. If you said your experience, the other Member also has a right to express his opinion. That is all. Mr. Prasad, do you want to say anything?

KUMARI SELJA: Sir, he cannot express his experience; I have said it in a different context.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I said that I will go through the record.

KUMARI SELJA: Sir, excuse me. With all humility and respect to you, I have said something in a particular context expressing my experience. They stand up. They refute what I said as if what I am telling was an untruth. ...(*Interruptions*)... That is why they are saying this. They are not making any speech. Had they been making speech, one can think of. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I said...

KUMARI SELJA: No, Sir. You can allow them if they were saying that thing during their speech. But, it is not. They silenced me. I am subjected to this humiliation on the Floor of this House!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. Did he say that what you are saying is a lie? If that is so, only then it is tantamount to humiliation. I will go through the record. If any Member says that you are telling a lie, then there is humiliation. I will go through the record. If that is not said, there is nothing.

KUMARI SELJA: Sir, this is cleverness. This is cleverness. I, at the risk of repeating, with all humility, say that I am expressing something that I have gone through. As if that humiliation was not enough, I am being subjected to humiliation on the Floor of the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no ...(*Interruptions*)... See ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Sorry, Sir ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is wrong. I don't agree with that. See, it is the duty of the Chair ...(*Interruptions*)... No, no, listen ...(*Interruptions*)... It is the duty of the Chair ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: No, Sir ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me complete ...(*Interruptions*)... Let me complete. I will allow you. See, it is the duty of the Chair to protect every individual, every Member of this House. If any Member has questioned the integrity of hon. Seljaji ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Sir, it has been ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA (Rajasthan): She is giving her experience.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Or if any Member has said that she is telling a lie, then, of course, ...(*Interruptions*)... Let me complete. ...(*Interruptions*)... Let me complete. ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: No, Sir ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Otherwise, disagreeing with her is not a problem. ...(*Interruptions*)... That is not humility. ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: I will not allow it to end like this.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Humiliated. What is wrong if they can say sorry for that? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, that is different. ...(*Interruptions*)... That is ...(*Interruptions*)... See, the point is ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : उन्होंने यह कहा कि इन्होंने हाउस को मिसलीड किया है। इतनी बात है। **...(व्यवधान)...** "झूठ बोलना" और "मिसलीड करना", इसमें फर्क है। गुजरात के ऑनरेबल मेम्बर ने कहा **...(व्यवधान)...** इन्होंने हाउस को मिसलीड किया है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ghulam Nabiji ...(*Interruptions*)... Ghulam Nabiji ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: This, Sir, I will not end like this...(*Interruptions*)...

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वीः गुजरात के ऑनरेबल मेम्बर ने कहा **...(व्यवधान)...** इन्होंने हाउस को मिसलीड किया है। **...(व्यवधान)...**

KUMARI SELJA: I will not accept this ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, don't stretch this much. ...(*Interruptions*)... I am saying, आप सुनिए। Let me understand. The point is very simple, if any Member has questioned your integrity or if any Member ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Sir, there is no 'if'. ...(*Interruptions*)... Sir, there is no 'if'. Sir, this is no 'if'. ...(*Interruptions*)... Is this how they pay the tribute to Dr. Babasaheb? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is this? ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Is this what they do?...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, Seljaji...(*Interruptions*)... You listen to me. ...(*Interruptions*)... Will you sit down for one minute? Now listen. I want to make it very clear. See, don't stretch these things. But, however, I am saying, if any Member has questioned her integrity, if any Member has said that she is telling a lie, then I agree, she is humiliated; she needs my protection. That is why I said that I will go through the record. ...(*Interruptions*)... That is why I said, I will go through the record. ...(*Interruptions*)... Let me say. That is why I said, I will go through the record. Simply because somebody disagreed with her, I cannot say, that it is a question of ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: No, Sir. Not at all ...(*Interruptions*)... This is what that I didn't ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then what do you want?

KUMARI SELJA: I am not satisfied ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why? You are not satisfied. I have to go through the record and then we ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: No, Sir ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I said, I will go through the record then I will decide.

KUMARI SELJA: No, Sir, this is not the way.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, what do you want? ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: I am speaking; I am narrating something ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So what?

KUMARI SELJA: They may have an objection ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That happens always here. ...(*Interruptions*)... So many people stand up and say. Is all going on record?

KUMARI SELJA: Sir, this is something personal. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When you speak, a lot of people do like... (*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: No, Sir ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How can you say that? ...(*Interruptions*)... It is happening everyday. ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: No, Sir ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: My point is ...(*Interruptions*)... If anybody has specifically taken her name and said something ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: What is this? You were not even here. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am asking the Chair. Why are you trying to ...(*Interruptions*)... Please try to understand. If the Chair has rightly observed, if somebody has said something objectionable or offensive against an individual Member, the Chair is at liberty to remove it from the records. I can assure you as Parliamentary Affairs Minister, we will take care of the Members, if anybody has said so, which is not the case. Sir, at the same time, Members have been in this House, from time to time, they will be standing ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Please don't trivialize the issue. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, you have been experiencing it also every day.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, every day.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: So the question of trivializing ...(*Interruptions*)... Everyday happening is trivializing.

KUMARI SELJA: No, Sir ...(*Interruptions*)... Not at all. I cannot accept this.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Let Ghulam Nabiji say something.

6.00 P.M.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Let us not go into this as to who is right and who is wrong. On earlier occasions, there have been instances when hon. Ministers and hon. Members have got up and have said, 'if I have hurt the feelings of an individual Member of the House, I am sorry for that'. So what is the problem if the hon. Member who has made an objection in saying 'yes, sorry'?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I totally agree with you. If somebody has made, Ghulam Nabiji ...(*Interruptions*)... If somebody has made objectionable thing, yes, they have to correct themselves. ...(*Interruptions*)... On the other hand, Gujarat people are feeling that Gujarat is being defamed. ...(*Interruptions*)... That is the feeling of the Members. ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: There was an hon. Member from Gujarat ...(*Interruptions*)...

SHRI AHMED PATEL (Gujarat): Do you mean that she is not telling the truth?

वह जो कह रही हैं, वह गलत है कि उनको एलाउ नहीं किया गया। Can you say that?

श्री मोहम्मद अली खान (आंध्र प्रदेश): नहीं, उन्होंने कहा, यह गलत है। **...(व्यवधान)...**

†**جناب محمد علی خان :** نہیں انہوں نے کہا، یہ غلط ہے (مداخلت)۔

कुमारी शैलजा: उन्होंने कहा है कि यह गलत है। क्या मतलब है यह? **...(व्यवधान)...**

SHRI AHMED PATEL: Was hon. Member present there?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Ahmedbhai, you say something. मैं यहां से कहता हूँ कि यह सही नहीं है। तो यह आपका अपमान है क्या?

कुमारी शैलजा: आप यहां पर थे ही नहीं। **...(व्यवधान)...**

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We agree and disagree on certain things. ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: Sir, I cannot yield to the Minister. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I do not know why she is trying to make an issue out of it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What I am asking is... ...(*Interruptions*)...

KUMARI SELJA: He was not even present, Sir. ...(*Interruptions*)...

† Trasnliteration in Urdu Script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What I am asking is this. I said I will go through the record. If there is anything objectionable, if your integrity is questioned, or, if they have said that you are telling a lie, I will protect you, and I will take proper action. I will expunge it, and also I will ask him. Whatever action is to be taken, I will decide. What more do you want? ...(*Interruptions*)... I don't know. Whatever should be done, I have to go through the record. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, ...

कुमारी शैलजा: सर, ये क्या करने जा रहे हैं? कभी कोई मंत्री खड़ा हो जाता है, कभी कोई मंत्री खड़ा हो जाता है।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: Other issue, please. सर, 6.00 बज गए हैं। चूंकि अभी कई ऑनरेबल मेम्बर्स बोलने से रह गए हैं, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हाउस की सिटिंग को कम से कम एक घंटे और बढ़ाया जाए, ताकि कुछ और ऑनरेबल मेम्बर्स जो बोलने से रह गए हैं, वे बोल सकें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I want to share with the House one thing. Listen. From the 'Others Category' there are eight more speakers. That means, 8x10... ...(*Interruptions*)... Now, please listen to me. ...(*Interruptions*)...What do you want? Please listen to me. That means, 8x10 is 80 minutes. Then, the Congress Party has got 50 minutes. That means, 80+50 is more than two hours. ...(*Interruptions*)...

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, why are you counting the last half-an-hour which was disturbed because of this? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Seelam, you do not understand and you speak. ...(*Interruptions*)... What happened to you? ...(*Interruptions*)... You sit down. See, the Congress Party has got 50 minutes. So, 80+50 is 130. Then, there are others also who have to speak. That means, tomorrow, if you start at 11.00 a.m.; from 11.00 to 1.00, there are two hours. If the reply is to be at 2.00 p.m., there is no time. So, it is advisable that we may sit at least one more hour and finish as much as possible. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Let the reply be in the evening. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, LOP, what is your view?

SHRI GHULAM NABI AZAD: One hour is okay, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, the House is extended by one more hour.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, for tomorrow also, at least, three hours. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; tomorrow, if the House wants to do away with the lunch, I have no problem.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the House has agreed for one more hour. So, discuss it, and we will see it tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Kumari Selja, you please continue your discussion and finish. Kumari Selja, you please continue it.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I have just one submission to make. After what Seljaji had said and what was said from the other side, much time of the House has gone. That time should not be attributed to the Congress Party.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Agreed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay. All right. ...(*Interruptions*)... That is agreed to.

कुमारी शैलजाः सर, अभी जो हुआ है, उसके कई पहलू हैं। नंबर एक–जो मैंने कहा, मैं अपनी बात कह रही थी कि मैं गुजरात गई। मैं मेन द्वारका नहीं, जो आइलैंड है, पुराना वाला लॉर्ड कृष्णा का, यह वहां की बात है और यह हुआ। मैंने कहा, मैं वहां पर दर्शन के लिए गई और वहां मुझसे पूछा गया, एक प्रीस्ट ने मुझसे पूछा, एक पुजारी ने मुझसे पूछा कि आपकी जाति क्या है? यह* है! यह वहां के मन्दिरों का हाल है! अगर आपको इस बात से ऑब्जेक्शन हुआ होता, तो मुझे खुशी होती, लेकिन आपको इस बात से दुःख नहीं हुआ। मुझे इस बात से बहुत आघात पहुंचा है कि मैंने जो कहा, अपना अनुभव बताया, आप मेरी ही बात को क्वेश्चन कर रहे हैं। You are questioning my integrity as if what I am saying is not true and you know better. क्या आप वहां पर मौजूद थे? मंत्री जी आप भी मंत्री हैं। You are very fortunate. ...(*Interruptions*)... Sir, all the Mantris want to interrupt me. Okay. Now, the Leader of the House.

THE MINISTER OF FINANCE; THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS; AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I am just saying it is a very serious matter that a Minister of the Central Government can be treated in this manner. So, as a Minister, would you let us know what you did thereafter? Did you write to the Chief Minister? Did you write to the Prime Minister? Did you raise it in the Cabinet or you decided that this injustice should be swallowed and I should just sleep over it and ignore it?

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र) : सर, यह इन्जस्टिस है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए।

* Expunged as ordered by the Chair.

KUMARI SELJA: Sir, I choose not to answer that. ...*(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: Why?

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am afraid, when no answers are given, then no answers could have been given.

KUMARI SELJA: Sir, number two, मंत्री होकर आप एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, यह भी एक तरीके का ह्युमिलिएशन है। यह इनकी दोहरी चाल की जीती-जागती मिसाल है, on the floor of the House. हम जो letter and spirit की बात करते हैं, आज दो दिन के लिए बाबा साहेब का नाम जरूर लिया जा रहा है, कांस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, लेकिन क्या आपके मन में यह acceptance है? अगर आपके मन में acceptance होती, तो आज यहां खड़े होकर रूलिंग पार्टी का कोई सदस्य इस प्रकार की बात न कहता। यह जिज्ञासा, जो लीडर ऑफ दि हाउस के मन में आज के दिन जागी है, जब मैंने यह बात कही है, यह जिज्ञासा किसी और मेम्बर के मन में तो नहीं जागी, उन्होंने तो मुझसे ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। आज गुजरात के नाम पर, द्वारका के नाम पर और बाबा साहेब के नाम पर जो डिस्कशन हो रहा है या कांस्टिट्यूशन के ऊपर जो डिस्कशन हो रहा है, ऐसे में आप इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? माननीय लीडर ऑफ दि हाउस बहुत काबिल वकील हैं, तर्क में इनका कोई जवाब नहीं है, ये भी टेढ़े-सीधे रास्ते से मुझसे ही सवाल कर रहे हैं, यह दुःख की बात है और इससे मुझे आघात पहुंचा है। क्या इतने साल बाद, इतने दशक बाद, जब आज यह डिस्कशन हो रहा है और एक मेम्बर अपनी बात बता रहा है, तो आप उससे सवालों पर सवाल करते जाएंगे? I am being subjected to further humiliation on this subject.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: We have no intention at all. I am sorry to say that.

AN HON. MEMBER: What is the subject?

कुमारी शैलजा: अगर इस तरह की बात कहीं हुई है, तो इनको उसकी निन्दा करनी चाहिए, न कि मेरी निन्दा करनी चाहिए। इस तरह की बात आपका माइंडसेट दिखा रही है। ऐसा करके आज यहां पर आपने यह दो दिन का डिस्कशन रख कर दिया और साबित कर दिया है कि यह जो डिस्कशन आपने रखा है, इसके सही मायने क्या हैं? केवल political points score करना आपका मकसद है। **...(समय की घंटी)...** Sir, if I am going to be heckled like this ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not listen to them. You please speak.

कुमारी शैलजा: सर, atrocities खत्म नहीं हुई हैं। ये कहने की बातें हैं। अभी हाल ही में, मेरे अपने ही स्टेट हरियाणा में दो बच्चे जिन्दा जला दिये गये। उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उसके दो दिन बाद गोहाना में 14-15 साल के एक बच्चे को पुलिस उठा कर ले गयी, उसको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया गया। अभी परसों भी ऐसा ही एक वाकया हुआ। यही मिसाल मैं इनके मंत्रियों की दे रही हूँ। सिर्फ यहां ही नहीं है, बल्कि स्टेट्स में भी यही हाल है। इनके एक मंत्री एक डिस्ट्रिक्ट में गये, जहां एक मीटिंग बुला रखी थी। वहां

पर वहां की एसपी बैठी थी। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि वह एक महिला थी, दलित थी। वह मीटिंग में वर्दी में बैठी थी। गरीब घर की लड़की, जिसके पिता वहीं पर, उसी डिस्ट्रिक्ट में उन्हीं कोट्र्स में और उन्हीं दफ्तरों में पेंटर का काम करते थे। वह लड़की पढ़-लिख कर आईपीएस बनी। उसकी नियुक्ति वहां पर हुई। एसपी वहां पर बैठी है, मौजूद है और उसको इन्हीं के मंत्री ने humiliate किया। सर, यह तो इनकी आदत है। मुझे यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आज यहां पर जो घटना घटी, अगर यह नहीं घटी होती, तो आप इस बात को भी झुठला देते। यह भी सच्चाई है, हकीकत है और वह भी हकीकत है। सर, यह एक माइंडसेट है। मैं यह नहीं कहती कि पहले कभी एट्रोसिटीज़ नहीं हुई। यह कब नहीं हुई हैं? यह हमारे वक्त में भी हुई और आगे भी होंगी, लेकिन यह मुखौटा मत पहनिए, दोगली बात मत कीजिए। यह आज आप लोगों ने इन्वायरनमेंट क्रिएट किया है। क्या कारण है कि जब माइनॉरिटीज़ की बात हो, माइनॉरिटीज़ के शोषण की बात हो, एट्रोसिटीज़ की बात हो, दलितों पर एट्रोसिटीज़ की बात हो, तभी इनके नेताओं को डॉग्स की, कुत्तों की analogy याद आती है। केवल माइनॉरिटीज़ के और दलितों के context में ही डॉग्स याद आ जाते हैं! इसके क्या कारण हैं? यह इन्वायरनमेंट इन्होंने क्रिएट किया है, यह इनकी सोच ने क्रिएट किया है। Simply paying lip service to Dr. Baba Saheb Ambedkar is not going to serve any purpose. It is neither going to bring any glory to you, nor to this Parliament, nor to this nation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, conclude.

कुमारी शैलजाः सर, सच्चे मायने में ये अगर बाबा साहेब के अनुयायी बनना चाहते हैं, आज उन्हें याद करना चाहते हैं, जो कभी इन्होंने पहले नहीं किया, now they want to appropriate his legacy. They have nothing of their own. अब उनको याद करने के लिए और political tactics का इस्तेमाल करने के लिए special session बुलाते, बात करते, बताते, देश को दिखाते। These are only political tactics. दो दिन का डिस्कशन करना, न बाबा साहेब को याद करना है, न कांस्टीट्यूशन में affirmation करना है, यह इनका असली चेहरा है। थैंक यू, सर।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Thank you, Sheljaji. Now, Smt. Kanimozhi. ...(*Interruptions*)...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत)ः सर, मैं भी अनुसूचित जाति का हूँ। द्वारका में दोनों जगह जहां मंदिर है, सोमनाथ भी और असली द्वारका, जोकि समुद्र के किनारे अन्दर है, दोनों जगह मैं दो-दो, तीन-तीन बार गया, कभी किसी ने न जाति पूछी और न ही कुछ पूछा। हम वहां गये और आराम से दर्शन किये। **...(व्यवधान)...**

कुमारी शैलजाः किसी से नहीं पूछा होगा, लेकिन मुझसे पूछा गया। **...(व्यवधान)...**

श्री थावर चन्द गहलोतः किसी ने हमसे तो नहीं पूछा। हम वहां गये, दर्शन किये, सब किया। **...(व्यवधान)...**

श्री रामदास अठावले : सर, मैं कुछ कहना चाहता हूं **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's enough. Okay. Shrimati Kanimozhi. ...(*Interruptions*)... Shrimati Kanimozhi, please. ...(*Interruptions*)... Shrimati Kanimozhi, please. ...(*Interruptions*)...

श्री रामदास अठावलेः सर, ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Not allowed. ...(*Interruptions*)... Shrimati Kanimozhi. ...(*Interruptions*)... No, no. No discussion on that. That is over. ...(*Interruptions*)...

श्री रामदास अठावले : सर, ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Kanimozhi, you start. ...(*Interruptions*)... No, no, I am not allowing. ...(*Interruptions*)... No discussion on that subject. That subject is over. Shrimati Kanimozhi, you speak. ...(*Interruptions*)...

श्री रामदास अठावले : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)... I don't want to have a discussion on that. ...(*Interruptions*)... Shrimati Kanimozhi, you speak. Otherwise, your chance will go. You start. ...(*Interruptions*)...

No discussion on that. ...(*Interruptions*)...No, no. That is over. ...(*Interruptions*)... Shrimati Kanimozhi, are you starting? Otherwise, I will call the next name. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, I am starting. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You start. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI KANIMOZHI: But he is speaking. How can I ... ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, you need not look at him. You address me. ...(*Interruptions*)... You address me. ...(*Interruptions*)...

SOME HON. MEMBERS: We are hearing. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing else will go on record. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI KANIMOZHI: How can I not respect the other Members? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You first respect the Chair and then the Members. ...(*Interruptions*)... Shrimati Kanimozhi, please start. ...(*Interruptions*)... Please start. ...(*Interruptions*)...

श्री रामदास अठावले : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will not go on record. ...(*Interruptions*)... There is no point of order now. ...(*Interruptions*)...

---

* Not recorded.

श्री रामदास अठावले : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down. Sit down. ...(*Interruptions*)... I am not allowing you. Please sit down. ...(*Interruptions*)... I don't want that discussion to continue like this. ...(*Interruptions*)... That issue is over. I don't want a discussion on that. Please sit down. ...(*Interruptions*)... I am not allowing. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... Only what Shrimati Kanimozhi says will go on record. ...(*Interruptions*)...

श्री रामदास अठावले : *

श्री उपसभापति : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा, बैठिए। कानीमोझी जी, आप शुरू करो। ...(*Interruptions*)... Please start right now. ...(*Interruptions*)...

श्री रामदास अठावले : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. Then, why do you say? ...(*Interruptions*)... Naqviji, ask him to take his seat. This is not good. ...(*Interruptions*)... If this is the way, then, I will have to adjourn the House. ...(*Interruptions*)... Shrimati Kanimozhi, please start.

SHRIMATI KANIMOZHI: Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, today, we pay tribute to Babasaheb Ambedkar, the man who gave the constitutional sanction to the social awakening of this country. Sir, when Prafulji was speaking here, he actually mentioned about an incident where people actually had problems when Dr. Ambedkar's name was taken up to be the name of a Law University in Maharashtra. I would like to proudly say that when this issue started in Maharashtra, our leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, when he was the Chief Minister in Tamil Nadu, named a Law College after Dr. Ambedkar just to show that we will be the leaders in respecting Dr. Ambedkar.

Sir, social justice secures a special status in our Constitution for all citizens of this great nation. The term "Justice" in the Preamble of our Constitution embraces social, political and economic aspects. Affirmative action is a way of achieving social justice to the historically disadvantaged sections of the society. The very first amendment to the Constitution of India in 1951 which secured 'reservation policy' is proof that all the great leaders who provided us this Constitution themselves worked and advocated for this principle. Sir, this is the basis of the reservation policy which is explained in Article 15. It tells us to treat unequals unequally.

The seeds of reservation were first sown in Tamil Nadu. The very first Government reservation policy was the Communal G.O. which was passed in the then Madras

* Not recorded.

[Shrimati Kanimozhi]

Legislative Assembly in 1921 when the Justice Party was ruling the Tamil Nadu State. The Justice Party was the parent organization of the Dravida Munnetra Kazhagam. We are proudly a part of this legacy, and our ideological leader, Thanthai Periyar, fought for social justice and scientific temper. He led the protests at Vaikom in Kerala.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: His statue is there.

SHRIMATI KANIMOZHI: Yeah. He led the protest there in a street next to the temple. People from the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the backward communities were not allowed to walk on those streets. He led that struggle and Babasaheb Ambedkar has spoken about the Vaikom struggle as an inspiration for his *Mahad Satyagraha*, where he led thousands of people belonging to depressed classes for access to a local pond. Unfortunately, even today in this country there is a struggle. The Dalits and people from different communities in many parts of this country are still stopped from having access to drinking water wells in many villages and even when houses are rented out, you see advertisements sayings and the houses would be rented out only to people of particular communities. You know, there are castes, there are communities and there are problems of untouchability in different forms even today. It is a very sad situation.

Sir, we must understand that reservation can actually reach its peak and justice can be done only when there is a Caste Census. The need for a Caste Census has been there since the time of Independence. The first Backward Classes Commission in 1955 had recommended that. Subsequently, the Second Backward Classes Commission, popularly known as the Mandal Commission, recommended 27 per cent reservation for the OBCs. The DMK, when it was in Government in Tamil Nadu, ensured that the OBCs, SCs and STs were duly given their fair share in reservations and we have also given reservation to the Arundhathiar community. But we have to make sure that the Caste Census is given out. It is very sad to note the unwillingness of the Central Government to release the data on Caste Census; it is still not out and is not available. Without that data, definitely reservation cannot be done fairly and in a just manner. This is a very important thing and the Central Government must take steps to see to it that the data is available to the people.

In the recent times, another issue has been reservation in promotions. The issue of reservation in promotions was first struck down by the Supreme Court in the case of Indra Sawhney versus the Union of India in 1992 and declared as unconstitutional. In 1995, the Government amended the Constitution and inserted article 16(4)A, which provided for reservation in promotions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the light of the opinion that they are not adequately represented in services. This

amendment was upheld by the Supreme Court in 2006. On December 17, 2012, this House passed a Constitution Amendment Bill, which declared that all the Scheduled Castes and Scheduled Tribes notified in the Constitution shall be deemed backward. But this lapsed because it was not passed in the Lok Sabha. I urge this Government to take up this Bill in the coming Session. Along with the SCs and STs, OBCs should also be given reservation in promotions, as it is evident that they too are not adequately represented in the services, even after giving 27 per cent reservation for them two decades ago.

Sir, the social vulnerability of Dalits and other disadvantaged sections of the society still remains even after the reservation policy which was meant to uplift them. The protection given to them through legal measures such as the Protection of Civil Rights Act, 1955 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 have not been enough. If we take a closer look at the violence against these communities in recent times, incidents such as the murder of two Dalit children near Faridabad on 20th October, 2015, vindicate this fact. Even after close to seven decades of Independence, atrocities against Dalits and honour killings continue. We have all been reading about it and we know that in different parts of the country we have issues like these. They have not been eradicated from our society.

Sir, I would like to cite an example here. When the DMK Government was in power in the Government in Tamil Nadu, it brought forth a legislation saying that if people from different communities could learn the rituals, *mantras*, etc. in a temple, anybody from any community could become a Pujari. But there was so much uproar in the society. People could not accept that people from different castes can go into the sanctum sanctorum and become *pujaris*. Even today, look at the society; it has not changed; it hasn't been able to transcend and go beyond and accept people from different communities who believe in God. I am not asking non-believers or people from other religions should be allowed. People who believe in Hinduism, who believe in serving God want to become *pujaris* and want to enter the temple and the sanctum sanctorum, are denied rights; they are denied opportunities to do that just because they do not belong to a particular caste. This case is in the Supreme Court. We have not found an answer to these questions. But I think the mindset of the community and definitely the Government can play a very important part in changing this.

The next thing I would like to talk about is what Dr. Ambedkar says, "I measure the progress of the community by the degree of progress which women have achieved." The Women Reservation Bill has been languishing after being passed in this House for quite a few years. Again, when we talk about empowerment of

[Shrimati Kanimozhi]

women and improving the situation of women in this country, we rarely mention the fact that we are not adequately represented in the highest decision-making bodies. When we passed the Companies bill recently, we included provisions for women in the Board of Directors of companies. However, the Parliament is yet to practise what we preached. I would also like to touch upon two articles -- Article 19(1)(a) which speaks of Freedom of Speech and Expression, and Article 21 which speaks of Right to Life. While the Constitution guarantees these rights, we find that other laws work against these provisions. The punishment of death penalty is contrary to Article 21 and is not befitting a modern democracy. The Law Commission of India, in its 262nd Report, has advocated removal of death penalty for almost all crimes. I urge this Government to go one step further and remove it completely from all our statutes. Similarly, Section 124A of Indian Penal Code allows prosecution for sedition which is an outdated law. This sedition section is also directly counterproductive to freedom of speech and expression and has no place in our society. And this is often misused by many Governments which do not have the courage to face criticism. It is used as a tool to suppress and silence voices which question atrocities.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI: Just five minutes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already taken ten minutes.

SHRIMATI KANIMOZHI: Just two minutes. Section 377 in its present form denies the right of sexual expression; and has lead to association of criminality with the LGBTQ people, thus leading to their ostracisation and victimization. I welcome the recent statements by senior leaders of major political parties, including the Finance Minister, to have a relook at this section. This is a historic opportunity for Parliament to send a strong signal that we stand together, cutting across political differences, in a matter of social justice. I urge the Government to bring a legislation to repeal Section 377 and make necessary amendments so that rights of sexual minorities are protected.

Now, I come to federalism. In a global economy, States are faced with social, economic and financial challenges which are created by it. States are expected to compete with each other to attract investments, create jobs and achieve growth. In this race, State Governments are constrained by the very constitutional provisions which are supposed to help them. The list of subjects under Schedule VII of the Constitution has created a division of subjects. We have seen many subjects move from the State List to the Concurrent List. For example, Education which was in the State List has moved to the Concurrent List. The State Governments have been

requesting time and again, including the Government of Tamil Nadu, to move it back to the State List. Sir, the Central Government has been slowly taking away the powers of the State. In such a situation, definitely, there cannot be a true federal State and the powers of the States have been slowly taken away; this is completely against the basis of our Constitution. Sir, when the Leader of the House spoke, he spoke elaborately about Article 356. I request the Government that it is a right opportunity, on the 125th Birth Anniversary of Dr. Ambedkar, to remove this right of the Central Government to destroy a State Government which has been elected by the people.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI: I am just concluding. Sir, time and again, I think, my colleagues, who speak here from Tamil Nadu, have also referred to this demand. We have been requesting the Central Government to make Tamil as an 'official language' in the High Court. The lawyers have been agitating in Tamil Nadu for this issue. Without doing this, definitely, the common man will never understand the proceedings of justice. So, this should be done.

Sir, the greatness of this country lies in its diversity and the acceptance of its rich multi-dimensional culture, art, customs, religious practices, food, language and literature. Its greatness lies in celebrating its differences. That is the true spirit of India. We must ensure that this spirit is protected and nurtured.

Sir, India is a country of many languages, but slowly, we are moving towards one single language and we are replacing all languages with Hindi. Recently, the External Affairs Minister declared that India will take all steps to make Hindi an 'official language' at the United Nations. It is an unfair and unjust move as it erodes our country's plurality and unity in diversity.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, that is okay.

SHRIMATI KANIMOZHI: The Minister even said that the cost of infrastructure and interpretation services, which comes close to ₹ 250 crores per annum, would be borne by India.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken 15 minutes instead of 10 minutes.

SHRIMATI KANIMOZHI: This amount could be spent on providing the same facilities and recognition for all the 22 Scheduled Languages of our nation by making them 'official languages' in our Parliament. Thank you, Sir.

श्री पी. एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। दो दिन के लिए बाबा साहेब भीमराव

[श्री पी. एल. पुनिया]

अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि इस दौरान कार्यसूची में कोई अन्य विषय नहीं रखा गया। इसलिए एक मायने में इसे 'विशेष सत्र' कहा जा सकता है। मुझे गर्व है कि मैं इसमें हिस्सा ले रहा हूं।

महोदय, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं और संविधान की जो बारीकियां हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा के दौरान हमारे वरिष्ठ साथियों और माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संघर्ष किया और उनकी जो उपलब्धियां थीं, उनका सभी ने वर्णन किया और बाबा साहेब की संविधान निर्माण में क्या भूमिका रही, उसके बारे में भी चर्चा हुई। दलित समाज की क्या स्थिति है और संविधान की जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है, उसका भी विस्तार से वर्णन किया गया।

महोदय, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में बाबा साहेब का क्या योगदान रहा, किस दक्षता के साथ उन्होंने अपने इस कार्य का निर्वहन किया, इसका उल्लेख संविधान सभा के अध्यक्ष, डा. राजेंद्र प्रसाद जी और अन्य सदस्यों ने किया। बाबा साहेब वास्तव में उस समय इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति, सबसे योग्य व्यक्ति थे। कोलंबिया युनिवर्सिटी या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त करना आज भी हिन्दुस्तानियों का एक सपना है। बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर न केवल एक अच्छे कानूनविद थे, बल्कि अच्छे राजनेता थे, अच्छे अर्थशास्त्री थे, अच्छे लेखक थे, अच्छे पत्रकार थे और उनसे योग्य व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं हो सकता था। बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर वास्तव में एक राष्ट्रीय नेता थे और उस समय के सबसे कद्दावर नेता थे। अक्सर लोग यह कह देते हैं कि वे दलित लीडर थे, ऐसे लोग उनका गलत आकलन करते हैं। बाबा साहेब ने जब संविधान बनाया, जिसमें आज जो व्यवस्था चल रही है कि किस तरह से ज्यूडीशियरी काम करेगी, किस तरह से एग्ज़ीक्यूटिव काम करेगी, किस तरह से लेजीस्लेचर काम करेगी, किस तरह के फेडरल सिस्टम में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के आपसी संबंध होंगे, तब इस बारे में जो चर्चा की थी, वह केवल दलितों के लिए नहीं की थी। जो सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी की उन्होंने बात की, वह पूरे समाज के लिए थी। महिलाओं के अधिकारों की उन्होंने जो चर्चा की, वह केवल दलितों से संबंधित नहीं थी। वर्ण व्यवस्था को समाप्त करके समरसता के साथ लोग रहें, जिस कास्टलेस, जातिविहीन समाज की स्थापना की कल्पना उन्होंने की थी, वह भी पूरे समाज के हित में थी। जैसा कि अक्सर कहा गया कि इतना ह्युमिलिएशन, इतना उत्पीड़न सहन करने के बावजूद, व्यक्तिगत उत्पीड़न सहन करने के बावजूद बाबा साहेब के मन में कोई कटुता का भाव नहीं था और वे चाहते थे कि देश आगे बढ़े, जात-पात के झगड़े में पड़े बिना सभी लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें। अभी चर्चा के दौरान कहा गया कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचें। यह भी उल्लेख किया गया कि बंगाल से बाबा साहेब चुने गए, लेकिन कांग्रेस ने साजिश करके उस क्षेत्र को पाकिस्तान में दे दिया, ताकि बाबा साहेब यहां पर संविधान सभा में न पहुंच सकें, लेकिन यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि बाबा साहेब जब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे तब डा. राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस हाई कमान की तरफ से चिट्ठी लिखी, बम्बई के मुख्य मंत्री श्री बी.जी.खेर को पत्र लिखा कि बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने की व्यवस्था करें और यही हुआ। डा. जयकर, जो पहले से निर्वाचित थे, उनसे त्यागपत्र लेकर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का

सदस्य बनाया— कांग्रेस पार्टी ने बनाया। यह भी कहा गया कि 1952 में जब पहली लोक सभा का चुनाव हुआ, उस समय कांग्रेस ने बाबा साहेब को हराया, ताकि वे पार्लियामेंट में न पहुंच सकें। इससे ज्यादा गलत बात कोई नहीं हो सकती। बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर शैड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की तरफ से उस चुनाव में कैंडिडेट थे। सभी दल अपना-अपना कैंडिडेट लड़ा रहे थे। आम तौर से बाबा साहेब की जो हस्ती थी, जिस तरह का संविधान बाबा साहेब ने बनाया, वे जीतते, लेकिन चुनाव चुनाव है— बाबा साहेब हार गए। कांग्रेस पार्टी ने रियलाइज़ किया कि बाबा साहेब की उपस्थिति तो पार्लियामेंट में अनिवार्य है। तब उसने क्या किया? वह बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर को राज्य सभा में लेकर आयी— कांग्रेस पार्टी लेकर आयी। उसने उन्हें केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं बनाया, बल्कि यूनियन लॉ मिनिस्टर बनाकर रखा। इसलिए यह आरोप लगाना, कि बाबा साहब को हम संविधान सभा से अलग रखना चाहते थे, गलत है। हकीकत यह है कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही बाबा साहेब को सदस्य के रूप में लाया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। जब 1952 में लोक सभा का पहला चुनाव हुआ, तो उसमें निर्वाचित नहीं होने के बाद उनकी उपयोगिता का, उनकी योग्यता का, उनकी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें राज्य सभा में लाया गया, पार्लियामेंट का सदस्य बनाया गया और यूनियन लॉ मिनिस्टर बनाया गया। इस तरह के आरोप तथ्यों से परे हैं। यह एक बहुत पवित्र मौका है। हम चर्चा कर रहे हैं बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की, हम इस संविधान की चर्चा कर रहे हैं, संविधान का जो रास्ता अब तक चला है, जो मार्ग है, वह कैसा रहा, क्या कठिनाइयां रहीं, किस तरह की बात हुई, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम इस तरह की राजनीति करने लग जाएं, तो यह मौके के हिसाब से उचित नहीं है। हम राजनीति करें, जरूर करें, लेकिन यह इस तरह का मौका नहीं है कि राजनीति की जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अठावलेः सर, एक मिनट। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

SHRI P.L. PUNIA: I am not yielding, Sir. Let me complete. ..*(Interruptions)*.. I am not yielding, Sir. Let me complete. ..*(Interruptions)*..

श्री रामदास अठावलेः सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जो मुद्दा उठाया है ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding.

श्री पी.एल. पुनियाः सर, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि ...**(व्यवधान)**... आप मेरे बोलने के बाद बोलिएगा। मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि बहुत विषयों पर चर्चा हुई है, अनेकों विषयों पर चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है। ...**(व्यवधान)**... हमारे योग्य माननीय सदस्यगण अपने विचार रख चुके हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं केवल एक बिंदु के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा - जो सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अठावलेः उपसभापति महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है। ...**(व्यवधान)**...

श्री पी.एल. पुनियाः बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान पर चर्चा हो रही थी और 25 नवम्बर, 1949 को आखिरी बैठक थी, तब उनका भाषण हुआ था। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अठावलेः उपसभापति महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't do that. After he finishes, I will allow you. ..(*Interruptions*).. There is no time.

श्री पी.एल. पुनियाः हमारी ओर से माननीय सदस्य **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you yielding?

SHRI P.L. PUNIA: No, Sir, I am not yielding. Let me complete. **...(व्यवधान)...** सर, मौके की नज़ाकत को देखते हुए, उनसे भी अनुरोध है कि कृपया बाद में बोलें और इस तरह से डिस्टर्ब न करें। **...(व्यवधान)...** जब आप बोलेंगे, तो हम में से कोई नहीं बोलेगा। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you after he completes his speech. आप बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...**

श्री रामदास अठावलेः बाबा साहेब अम्बेडकर जी को लॉ मिनिस्टर बनाया था **...(व्यवधान)...**

SHRI P.L. PUNIA: I am not yielding, Sir. संविधान सभा की जब आखिरी बैठक 25 नवम्बर, 1949 को हो रही थी **...(व्यवधान)...** जिस दिन संविधान स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया, ड्राफ्ट तैयार किया गया, उस समय बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे आज इस बात की खुशी है कि हम राजनैतिक अधिकारों की बराबरी सबको दे सके। उन्होंने तब कहा था कि हम विरोधाभास के युग में प्रवेश कर रहे हैं। We are entering an era of contradiction. एक तरफ राजनैतिक अधिकारों की बराबरी और दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की गैर-बराबरी और ये आने वाली सरकारों के लिए एक चुनौती होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनौती को स्वीकार करके जल्दी से जल्दी इस गैर-बराबरी को खत्म करना चाहिए, अन्यथा जो लोग पीड़ित हैं, वे इस संवैधानिक ढाचे को ध्वस्त कर देंगे। उन्होंने यह चेतावनी के रूप में कहा था। मैं यह मानता हूं कि बहुत से कदम उठाए गए, जो भी सरकार रही, उसके द्वारा बहुत से कदम उठाए गए कि इस तरह की सामाजिक, आर्थिक गैर-बराबरी खत्म हो। रिजर्वेशन एक माध्यम है सत्ता और प्रशासन में भागीदारी देने का और इसी के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, वह दिया गया। इसके अलावा पदोन्नति में आरक्षण है, स्पेशल रिक्रूटमेंट है, पार्लियामेंट और असेम्बलीज़ में रिजर्वेशन है, लोकल बॉडीज़ और पंचायतों में रिजर्वेशन है। शिक्षा के माध्यम से इम्पावरमेंट होता है, इसलिए शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। दाखिले के लिए रिजर्वेशन है, स्कॉलरशिप है, होस्टल है, ये सभी चीजें दी गईं। उन्हें जमीन के पट्टे शैड्यूल्ड कास्ट सबप्लान के माध्यम से दिए गए। इसके अलावा अलग-अलग योजनाओं में फंडिंग दी गई, ताकि उससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इस तरह के कदम उठाए गए, लेकिन आज हम यह सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी खत्म हो गई? सर, लोग अक्सर कहते हैं कि अब तो बहुत परिवर्तन हो गया है, अब तो कहीं untouchability नहीं है। आज untouchability कहां है, लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, लेकिन सोशल इकनॉमिक कास्ट सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में शेड्यूल्ड कास्ट के परिवार 5 परसेंट से कम हैं और प्राइवेट सेक्टर में ये 2 परसेंट भी नहीं हैं। तमिलनाडु में प्राइवेट सेक्टर में सब से ज्यादा about 5 per cent हैं, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में 2 परसेंट भी नहीं हैं।

महोदय, इसके और पहलू हैं। एक छुआछूत का पहलू है। आज भी लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। कहने को तो है कि सब ठीक है। इस से काम नहीं चलेगा। महोदय, इस

मानसिकता को बदलना अनिवार्य है क्योंकि लोगों की मानसिकता आज भी उसी तरह की है। महोदय, स्कूलों के ऐसे कई उदाहरण हैं और आप इसे गलत मत बोलिएगा। अभी आदरणीया शैलजा जी को कहा गया कि आपने गलत कहा। बहुत से स्कूलों की रिपोर्ट आती है कि अगर स्कूल में टॉयलेट साफ करना है तो दलित बच्चे को बुलाया जाता है **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Try to conclude.

श्री पी. एल. पुनिया : सर, ऐसी बातें आ रही हैं। अगर मिड-डे-मील बनाने के लिए कुक महिला दलित समाज से संबंधित है, तो वहां बच्चे खाना नहीं खाते।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Take two more minutes and conclude because there are three more speakers from your Party. ...*(Interruptions)*...

श्री पी. एल. पुनियाः सर, यह कर्णाटक का दृष्टांत है। Sir, give me five-ten more minutes. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Otherwise so many names are there! ...*(Interruptions)*...

श्री पी. एल. पुनिया : मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। गुजरात के बारे में वहां बहुत बवाल खड़ा हो जाता है। यह मेरे पास रिपोर्ट है, जोकि इंडियन एक्सप्रेस में नवम्बर के महीने में ही छपी है कि आंगनवाड़ी दलितों के लिए अलग है और बाकी समाज के लिए अलग है। **...(व्यवधान)...** अलग-अलग आंगनवाड़ी है। **...(व्यवधान)...** जो दलित बच्चे हैं, वे दूसरे केंद्र पर नहीं जा सकते हैं। तो यह आज हकीकत है। जगह जगह पर मंदिर में प्रवेश पर रोक है। मैंने स्वयं देखा है। जब यह रिपोर्ट आई तो मैं उड़ीसा में पुरी के धर्मापुरी थाने में गया। वहां रानापाड़ा में कलिका मंदिर है, वहां पता लगा कि दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते। मैं वहां गया और दलितों को साथ लेकर गया। मैंने कहा कि मैं दलित हूं और मेरे साथ इतने दलित हैं, इस मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि यह सार्वजनिक मंदिर है। अगर इस में जाने पर कोई प्रतिबंध लगाता है या रोकता है, तो वह अपराध है। वहां एक बोर्ड लगा था कि, 'तो वह can pray from here'. दलित केवल यहीं से पूजा करें और बाकी लोगों के लिए एक छोटा रास्ता था, जिससे आगे जाकर मूर्ति के सामने लोग पूजा कर सकते थे। वहां मैंने स्वयं देखा। जब हम उसी छोटे रास्ते से मूर्ति के पास जाने लगे और जब पुजारी को पता लगा कि ये सब लोग आ गए, तो वह ताला लगाकर भाग गया। अब वह अलग बात है कि उन लोगों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। उस पर कार्यवाही हो चुकी थी और डीजीपी व चीफ सेक्रेटरी से कई बार डिस्कशन हुआ कि जेल भेजने से काम नहीं चलता है। इसके लिए कोई न कोई ऐसी strategy बननी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो और सभी लोग समरसता व बराबरी के हिसाब से रहें।

कुमारी शैलजा : आपने सच बोला है न?

श्री पी.एल. पुनिया : हां मैंने सच बोला है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Conclude now.

श्री पी. एल. पुनिया : आज भी दलित समाज का दूल्हा घोड़े पर बैठकर marriage procession को नहीं ले जा सकता। **...(व्यवधान)...**

श्री भुपेंद्र यादव (राजस्थान) : एक मिनट **...(व्यवधान)...**

SHRI P.L. PUNIA: I am not yielding, Sir. ...(*Interruptions*)... मैं खत्म कर रहा हूं, आप उसके बाद अपनी बात कहिएगा। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not permitted. ...(*Interruptions*)... No, I am not allowing. ...(*Interruptions*)... Yes, you sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री पी.एल. पुनिया : सर, इसके कई उदाहरण हैं। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not right. ...(*Interruptions*)... He is not yielding. ...(*Interruptions*)... If he is not yielding, you cannot say. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... If he is not yielding, it is not possible. ...(*Interruptions*)... Are you yielding?

SHRI P.L. PUNIA: No, I am not yielding. ...(*Interruptions*)... I am continuing. ...(*Interruptions*)... I am continuing. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You continue. ...(*Interruptions*)...

श्री पी.एल. पुनिया : उन्हें आज भी ऐसा होता है। आज भी तमिलनाडु में **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: After he completes, you can speak. ...(*Interruptions*)... I will allow you. ...(*Interruptions*)... उनके बोलने के बाद आपको मौका मिलेगा। Sit down. ...(*Interruptions*)... That is what I am saying. ...(*Interruptions*)... Let him finish. After that I will allow you. ...(*Interruptions*)... You finish. ...(*Interruptions*)...

SHRI P.L. PUNIA: I am finishing. ...(*Interruptions*)... I am finishing. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. There are three more speakers from the Congress Party. ...(*Interruptions*)... No, please. ...(*Interruptions*)... There are three more speakers from the Congress Party. ...(*Interruptions*)... If he removes one name, I will allow you. ...(*Interruptions*)...

श्री पी. एल. पुनिया : इंग्लैंड में हमने स्वागत किया, लेकिन अखबारों में जो आया उसकी पुष्टि के लिए **...(व्यवधान)...** उसका सब-प्लान से पैसा खर्च किया गया। **...(समय की घंटी)...** Scheduled Caste Sub-Plan का पैसा दलितों के **...(व्यवधान)...**उद्धार के लिए खर्च होता है।

श्री उपसभापति : आप समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए।

श्री पी. एल. पुनिया : लेकिन बाबा साहेब की स्मृति में **....(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : आप समाप्त कीजिए।

श्री पी. एल. पुनिया : वह Scheduled Caste Sub-Plan से **...(व्यवधान)...** तो यह बहुत ही चिंता की बात है। **....(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : आप समाप्त कीजिए।

श्री पी. एल. पुनिया : बाबा साहेब चाहे जितने महान हों, लेकिन इन लोगों के लिए एक सामान्य दलित से ज्यादा नहीं हैं। ...**(समय की घंटी)**... मैं यह कहना चाहूंगा ....**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : पुनिया जी, प्लीज़।

श्री पी. एल. पुनिया : बिहार चुनाव के दौरान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा ....**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : पुनिया जी, प्लीज़।

श्री पी. एल. पुनिया : हमने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे आरक्षण के लिए जी जान दे देंगे। हमने कहा कि जी जान मत दीजिए, अभी अच्छे दिन आने बाकी हैं। अच्छे दिन आने से पहले ऐसा मत करिए। इसलिए जरूरी है कि हमें रिजर्वेशन में promotion दीजिए। यह काफी समय से अटका हुआ है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now the next speaker is Shri Rajeev Chandrasekhar.

श्री पी. एल. पुनिया : आज मुझे ताज्जुब हुआ ...**(व्यवधान)**... Parliamentary Affairs Minister कह रहे थे ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : हो गया। आपके बारह मिनट हो गए हैं। दस मिनट के अलावा बारह मिनट हो गए हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री पी. एल. पुनिया : संविधान का प्रावधान है ...**(व्यवधान)**... एम. नागराज केस में भी कहा गया कि यह संवैधानिक है, केवल कठिनाइयां हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : पुनिया जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री पी. एल. पुनिया : यह जो संविधान संशोधन है, केवल कठिनाइयों को दूर करने के लिए है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : पुनिया जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री पी. एल. पुनिया : आप कठिनाइयों को ...**(व्यवधान)**... अब यह सेशन चल रहा है। आप करिए, आपका लोक सभा में प्रचंड बहुमत है। ...**(समय की घंटी)**... वहां से पास करवाइए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall have the Message from the Lok Sabha. हो गया पुनिया जी। ...**(व्यवधान)**.... You have taken 18 minutes. पुनिया जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री पी. एल. पुनिया : Reservation in service किस तरह से आए? ...**(व्यवधान)**... Prevention of Atrocities Act ...**(व्यवधान)**.... उसको भी इसमें आना चाहिए। Next is reservation in private Sector. किस चीज का private sector? सब फेक्ट्रियां सरकारी पैसे से लगती हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now I will have to say it.

श्री पी. एल. पुनिया : लेकिन जब दलित समाज की बात आती है, वे कहते हैं कि हमारा तो private sector है। इसलिए एक कानून बनना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू हो। ...**(समय की घंटी)**... इसी तरह से जुडिशरी में हर तरह के कानून बनते हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not listening to me. What can I do?

श्री पी. एल. पुनिया : अभी उन्होंने कहा .....**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Puniaji, I have to say that nothing more will go on record.

श्री पी. एल. पुनिया : चिड़ियाओं को खुली हवा में उड़ने का .....**(व्यवधान)**... अधिकार होना चाहिए। .....**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Puniaji, please conclude.

श्री पी. एल. पुनिया : लेकिन पर्यावरण के ऊपर ...**(व्यवधान)**... कैटल्स के ऊपर वह कानून ...**(व्यवधान)**... कर सकता है, लेकिन दलितों के ऊपर आज तक ऐसा कोई फैसला नहीं आया, जो इनके पक्ष का हो, क्योंकि वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। उसके ऊपर एक इस तरह की मेंटेलिटी है, मैं समझता हूं कि रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... आर्टिकल 312 में इंडियन जूडिशल सर्विस का प्रावधान है। ...**(व्यवधान)**... हम चाहते हैं कि इंडियन जूडिशल सर्विस का प्रारम्भ करने के लिए सरकार प्रस्ताव लेकर आए, ताकि उसके माध्यम से अगर रिक्रूटमेंट होगा, तो हम लोगों की बारी ऊपर तक पहुंचने की आ जाएगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now please sit down.

श्री पी. एल. पुनिया : इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please co-operate with the Chair also.

SHRI P. L. PUNIA: Sir, I am co-operating with the Chair. I am finishing it. Look at the quality of life and the Human Development Index. उसमें क्या है? आप देखिए, जो सोशल इकॉनोमिक caste सेंसस है, उसमें पूरी तस्वीर आपके सामने है। हम लिट्रेसी में पीछे हैं, हम महिला लिट्रेसी में पीछे हैं। हम दस-दस percentage कम हैं। आप आंकड़े देख लीजिए, हमारा एससी का एनरोलमेंट कम होता जा रहा है। 2014 के बाद से आंकड़े कम हो रहे हैं और ड्रॉपआउट रेश्यो बढ़ रहा है। ...**(व्यवधान)**... मैं अभी 2014 की बात कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... बच्चे और महिलाएं, nutrition, anaemia ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all. Sit down.

श्री पी.एल. पुनिया : महिलाएं और बच्चे 75 फीसदी anaemia face कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... IMR है या under 5 mortality rate है या MMR है, they are alarming. The difference is of 25 per cent. सामान्य और अनुसूचित जाति में 25 per cent का difference है। Poverty है, और सब है, लेकिन इसका समाधान करने की योजनाएं होती थीं। यह देखना है कि यह होता है या नहीं। ...**(व्यवधान)**... एजुकेशन है, हैल्थ है, सेनिटेशन है, जो इस पर बजट है, वह सामान्य से भी ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now please sit down. ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)... Nothing more will go on record. ...(*Interruptions*)... Nothing more will go on record. He has taken 21 minutes. Now nothing more will go on record.

SHRI P.L. PUNIA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajeev Chandrasekhar. Before that Message from Lok Sabha.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015

SECRETARY-GENERAL: I am directed to inform you that the following announcement regarding extension of time for presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015 was made by the Hon'ble Speaker in Lok Sabha at its sitting held on the 30th November, 2015:-

"I have to inform the House that the Chairperson, Joint Committee on 'The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015' intimated to me that the Report of the Committee could not be finalized by the extended timeline granted by the House *i.e.* the 27th November, 2015. The Joint Committee, therefore, decided to seek extension of time. The Chairperson, Joint Committee was not able to move the motion in this regard on the 27th November, 2015 as the sitting of the House on this day was dedicated exclusively for discussion on commitment to India's Constitution. I have on behalf of the House granted extension of time for presentation of the Report on the Bill up to the last day of the Winter Session, 2015."

RE. DEMAND TO AUTHENTICATE THE INCIDENT OF DISCRIMINATION AGAINST THE DALITS IN A TEMPLE IN GUJARAT

श्री भुपेंद्र यादव (राजस्थान)ः सर, एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your problem?

SHRI BHUPENDER YADAV: I am on a point of order.

---

* Not Recorded.